खण्ड-347, अंक-4
सोमवार, 14 आश्विन, शक संवत् 1902
(6 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य—	421–425
कोरम के अभाव के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण	425
प्रश्नोत्तर	425–457
अस्थायी सूची में प्रश्न आने के उपरान्त निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	458–459
ग्राम खानपुर गुरैला, थाना खोरी, निवासी श्री बाबू हरिजन की पुत्री कु० माया के साथ दुराचार तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	459–460
लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये गये प्रदर्शनों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	460
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों के चयन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	461
जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, दुवारी, आजमगढ़ के प्रवक्ता श्री जगदीश सिंह के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	461–462
जनपद, शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कतिपय ग्रामों के पट्टों को नाप न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	462
भूतपूर्व सदस्य, श्री मिसयार खां के निधन पर शोकोद्गार ..	462–465
गन्ना विकास मन्त्री श्री भानुप्रताप सिंह के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	465–466
श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	466–467
राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन तिथि की सूचना	467–468
विविध विषय	468–470
त्रिवेणी एक्सप्रेस में इन्दौरा तथा बिल्थरा रोड स्टेशन के बीच यात्रियों को डकैतों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	470
मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्र श्री विवेक के मेडिकल कालेज हास्टल से गायब हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	470–471
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 पुरःस्थापित किया गया) ..	471
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	471–472

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3––मन्त्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17––सचिवालय, अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29––सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 30––नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36––सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37––विज्ञान और प्राद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88––सूचना विभाग (जारी) 472–506

राज्य निराश्रित सहायता (समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद् व कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृति) .. 506

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17––सचिवालय, अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30––नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36––सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37––विज्ञान और प्राद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88––सूचना विभाग (जारी) 507–526

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 526

नौतनवां बाजार, गोरखपुर में पुलिस आतंक द्वारा पैदा भयावह स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 527–530

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित) .. 531–545

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 6 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—323

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमरी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमरी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमल प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरेलाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

चेत राम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जिया राम शुक्ल विकल सकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगावार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक मार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपनरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नक्कलो सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थूलाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बीलया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाईलाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बजराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
बज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)

भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय' श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद शफीउर्रहमान अन्सारी श्री (वाराणसी)
यसपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री उर्फ ललन जी (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आधरे रासवान, श्री (बस्ती)
राम असरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राय चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
ललन सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणी, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदनन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सीमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरबंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट :—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

कोरम के अभाव के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण

श्री उपाध्यक्ष---

आज मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि आज छुट्टियों के बाद हम बैठ रहे हैं। आज फिर कोरम के अभाव में हम अपने निश्चित समय से 6 मिनट लेट अपना कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हमने इसके पूर्व भी आपका ध्यान आकर्षण किया था कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सदन की कार्यवाही ठीक समय से प्रारम्भ हो और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है कि कोरम समय से पूरा हो जाय। मैं इस जिम्मेदारी में दोनों पक्षों के लोगों का समानरूप से आह्वान करना चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह---

चीफ मिनिस्टर के कक्ष में यह लोग चाय पी रहे थे।

श्री रियासत हुसैन---

मुख्य मंत्री के बजट में इन लोगों को दिलचस्पी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैंने माना कि शासन पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन विरोध पक्ष को अपनी बातें ज्यादा कहनी होती हैं, इसलिये इस ओर ज्यादा सजग रहना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 6 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

श्री राम सुमिरन पाण्डेय, ग्राम रायपुर मजरे अगानपुर, जिला बाराबंकी का अन्त्योदय ऋण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*1-श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-2-80 को जिलाधिकारी, बाराबंकी को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्रीराम सुमिरन पण्डे, निवासी रायपुर मजरे, अगानपुर विकास खण्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी का इस आशय का मिला था कि विकास खण्ड, दरियाबाद की ग्राम सभा, अगानपुर तथा सुर्रा में अन्त्योदय योजनान्तर्गत जो ऋण दिया गया है, वह उन व्यक्तियों को नहीं मिला जिनके नाम ऋण अंकित है ? यदि हां, तो उपवर्णित प्रार्थना-पत्र में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

जी हां, श्री राम सुमिरन पाण्डे, निवासी रायपुर मजरे, अगानपुर विकास खण्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी का एक प्रार्थना पत्र, दिनांक 22-2-80 को जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ था, जो केवल श्री गोली पुत्र श्री भभती

[श्री अम्मार रिजवी--]

को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत क्रय कर ई गई भैंसों की अनियमितता के सम्बन्ध में जांच हेतु था । इसकी जांच अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा जिलाधिकारी ने कराई । इन भैंसों पर लगाये गये नम्बरों में काटपीट है । जांच अधिकारी द्वारा भैंसों की खरीद संदिग्ध पाई गई । इस अनियमितता में तीन व्यक्ति दोषी पाये गये । सम्बन्धित ग्राम सेवक को दिनांक 12-6-80 से निलम्बित करके आगे की कार्यवाही की जा रही है । सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका मे प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर उन्हें संसूचित करने का आदेश, कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मण्डलायुक्त, फैजाबाद को दे दिया गया है तथा उन्हें उनके मूलपद पर प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु न्याय विभाग से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक अन्य प्रकरण में उच्च न्यायालय से प्रत्यावर्तन के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । सम्बन्धित पशुधन विकास अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच के आधार पर सी० सी० ए० रूल के अन्तर्गत आरोप पत्र भेजने का आदेश निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उप निदेशक, पशुपालन, फैजाबाद को दे दिया गया है, ताकि उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही तत्काल आरम्भ की जा सके ।

श्री राम सुमिरन पाण्डे का प्रार्थना पत्र केवल श्री गोली के विषय में था, विकास खण्ड अगानपुर तथा सुर्रा के शेष तीन अन्य लाभान्वित अन्त्योदय परिवारों के सम्बन्ध में नहीं । फिर भी अन्य के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश शासन स्तर से भेज दिये गये हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इस अनियमितता के सिलसिले म 3 व्यक्तियों को दोषी पाया गया । सम्बन्धित ग्राम सेवक को दिनांक 12-6-80 से निलम्बित करके आगे की कार्यवाही की गयी है । मंत्री जी ने यह भी बताया कि सम्बन्धित बी० डी० ओ० की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रवृष्टि की गयी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सम्बन्धित ग्राम सेवक को निलम्बित किया गया है उसी प्रकार से बी० डी० ओ० को सस्पेंड करने में शासन को क्या दिक्कत है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जैसा प्रश्न किया है कि सम्बन्धित ग्राम सेवक को जिस प्रकार सस्पेंड किया गया है उसी प्रकार बी० डी० ओ० को क्यों न सस्पेंड किया जाय ? तो मान्यवर, प्राइमाफेसी केस में सीधे तरीके से किसकी जिम्मेदारी आती है, उसको सजा दी जाती है, तो इस ग्राम सेवक का पता चला इसलिये उसको निलम्बित किया गया और जैसा कि कहा है कि पूरी जांच कराई जा रही है, लेकिन फौरन जांच के बाद जो कार्यवाही की जा सकती थी, वह की गयी है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जांच जो चल रही है, उसमें कोई व्यवधान न पड़े ऐसी सूरत में जनहित को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित बी०डी० ओ० का क्या मंत्री जी स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है, तो यदि अवरोध जांच में पैदा हुआ, तो उनको हटाया भी जा सकता है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित बी० डी० ओ० बाराबंकी जिले में कितने दिनों से हैं और शासन को उसको वहां से हटा देने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, शासन को किसी भी अधिकारी को किसी जगह से हटा देने में परेशानी नहीं है, यदि शिकायत पाई जाती है कि उसका वहां रहना जनहित में ठीक नहीं है । लेकिन मान्यवर, रेकार्ड के चेकिंग का सवाल है, उसको हटा देने से रुकावट आ सकती है । दूसरा प्रश्न कि वह वहां कितने दिनों से है, इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जैसा उत्तर में बताया है कि ग्राम सेवक को निलम्बित किया गया है और बी० डी० ओ० के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन की यही नीति है कि अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जय और कर्मचारियों को निलम्बित किया जाय और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बी० डी० ओ० को निलम्बित न किये जाने का क्या कारण ह ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जिसका सीधा इंवाल्वमेंट उसमें पाया गया उस पर कार्यवाही की गयी, जो नहीं था उसको जो सजा दी जानी चाहिये थी, वह दी गयी । जुर्म करने वाला छोटा हो या बड़ा अधिकारी उसके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिये वह होगी ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, प्रश्न में अन्त में लिखा हुआ है कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत जो ऋण दिया गया है, वह उन व्यक्तियों को नहीं मिला जिनके नाम ऋण अंकित है, तो मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके नाम ऋण दिखाया गया है और उनको नहीं मिला है बल्कि दूसरों को मिला है, तो वह कितने व्यक्ति ऐसे हैं और जिनके नाम ऋण लिखा हुआ है और नहीं मिला है, तो उनके नाम क्या काटे गये हैं कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सारे प्रकरण की जांच चल रही है और पूरी हो जाने पर सही बात सामने आयेगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जैसा बताया गया है कि बी० डी० ओ० के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि घोटाले में उनका हाथ साबित हो चुका है और जांच चल रही है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको वहां से हटाना उचित नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि किसी भी अधिकारी को हटाने में आपत्ति नहीं है लेकिन देखा जाता है कि अपराध में किसी व्यक्ति का कितना हिस्सा शामिल है और उसके हिसाब से सजा दी जाती है । जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कत्ल किया, दूसरे व्यक्ति ने उसको, असलहा दिया, तो कत्ल करने वाले को और असलहा देने वाले को एक तरह की सजा नहीं दी जा सकती है । इसी तरह बी० डी० ओ० को जो सजा उचित समझी गयी वह दी गयी है और अभी तो जांच चल रही है और शासन यदि महसूस करता है कि उनको हटा दिया जाना चाहिये तो वह भी कर सकता है । लेकिन शासन उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं देगा ।

श्री ऊदल--

यह बात सही है कि ग्राम सेवक लिस्ट बना कर ले जाता है बिना बी० डी० ओ० के एप्रूवल के और किसी को अन्त्योदय के अलावा कोई ऋण नहीं दिया जाता, क्या इसका जानकारी मन्त्री जी को है ? यदि है, तो क्या इस बात की जांच करायेंगे कि बिना बी० डी० ओ० के एप्रूवल के किसी का ऋण नहीं दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, वह लिस्ट जाती है लेकिन उसके एक्जीक्यूशन की जिम्मेदारी ग्राम सेवक की होती है । उसे कार्यान्वित किसने कराया यह ग्राम सेवक ने कराया । जहां तक जांच का सवाल है ऊदल जी की तो हर बात मान ली जाती है उन की बात शिरोधार्य है, जाँच करा ली जायगी ।

कृषि उत्पादन सम्बन्धी मशीनें, यन्त्र, उर्वरक आदि पर बिक्रीकर से छूट दिये जाने की मांग

*2--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन में साधन रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले (मशीनें, यन्त्र, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों जैसी) चीजों पर सभी प्रकार के टैक्स माफ करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सिफारिश करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

वर्तमान में पशु शक्ति चालित एवं मनुष्य चालित कृषि यंत्रों एवं कृषि मशीनरी पर कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता है । अन्य संयंत्रों पर, ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट व थ्रेसर आदि तथा उर्वरक, कीटनाशक दवाओं आदि पर कोई कर न लेने से शासन सिद्धान्तः सहमत है । परन्तु प्रदेश की आय के सीमित स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न करों में छूट देने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करों के सम्बन्ध में उनको संदर्भित करने के प्रकरण पर विचार किया जाना है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अभी सरकार को शराब को ठेके पर उठाने से काफी मुनाफा हो गया है, तो खेती में साधन रूप में प्रयुक्त किए जाने वाली चीजों पर टैक्स माफ करने....

श्री उपाध्यक्ष--

दो चीजों से यह आप का प्रश्न तालुक रखता है मूल प्रश्न से किसको जोड़ रहे हैं ? संदर्भ समझ में नहीं आया....

श्री राम स्वरूप वर्मा--

सरकार का यह कहना है कि क्योंकि कर न देने से आय में कमी होगी, तो इधर तो शराब को ठेके पर उठाने से बहुत काफी आमदनी सरकार को हो गई ह क्या किसान पर लगे कर को माफ कर देगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न अलग से पूछ लीजियेगा, स्वीकार होगा तो जवाब देंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह सवाल पूछ रहा हूं । क्या माननीय मन्त्री जी बतने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस में कोई आदेश द्वारा कोई बाधा उठाई है या इस पर स्वयं प्रदेश सरकार ने कोई विचार नहीं किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, आप के प्रश्न का जबाब मूल उत्तर में दिया जा चुका है । प्रदेश की सरकार ने सिद्धान्तः इस को स्वीकार कर लिया है कि कृषि यंत्रों पर जो टैक्स लगता है वह नहीं लगना चाहिए और इस पर विचार किया जा रहा है । जहां तक केन्द्राय सरकार का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है । हम उनको सिफारिश कर सकते है । हम आश्वासन देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि केन्द्रीय सरकार की प्रदेश का सरकार की तरफ से लिख दिया जायगा कि जो केन्द्रीय कर लगता ह उसके बारे में वह कृपा कर विचार कर उसे कम करने का कष्ट करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह मान लिया कि किसानों के काम आने वाले कृषि यंत्रों को कर मुक्त होना चाहिए । अब इस पर यह कहना कि प्रदेश सरकार विचार कर रही है या केन्द्रीय सरकार को संस्तुति करेगी, इस पर आपका अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, निश्चित तिथि बताना बड़ा मुश्किल है किन्तु शासन शीघ्र इसमें निर्णय लेगा इतना ही आश्वासन दे सकता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि सिद्धान्ततः सरकार सहमत है, केन्द्र को लिखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा । इस चीज को ध्यान में रख कर क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब तक इस कर से मुक्त करने का केन्द्र का आदेश न मिल जाय तब तक उन चीजों को सब्सीडाइज्ड कर दिया जाय जिनसे सरकार सिद्धान्ततः सहमत है रिलीफ देने के लिए ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह विचाराधीन है । उसमें सब्सीडाइज्ड करने, न करने का प्रश्न, यह सभी मामला विचाराधीन ह ।

श्री हुकम सिंह--

अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि आर्थिक कठिनाई प्रदेश सरकार के सामने है । मैं पूछना चाहता हूं इन यंत्रों पर टैक्स माफ करने से कितना भार सरकार पर पड़ेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसके लिए अलग से प्रश्न की आवश्यकता है ।

श्री हुकम सिंह--

आपने उत्तर में कहा कि प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए यह सम्भव नहीं ह । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कमी से क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस प्रश्न का उत्तर आबकारी विभाग ही दे सकता है । हमारे विभाग के पास इस तरह के कोई आंकड़े नहीं रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप बिना मेरे निर्देश के ही उत्तर दे रहे हैं । (श्री हुकम सिंह से) आप का प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से सम्बद्ध नहीं हो रहा है । यह तो आबकारी विभाग ही बतायेगा न ।

श्री हुकम सिंह--

प्रश्न सीधा है । मूल उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि टैक्स को हटाने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए इसको अभी नहीं हटाया । मैं पूछना चाहता हूं कि कितना प्रभाव प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा ? सीधा सवाल है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, अगर टैक्स नहीं लिया जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा । कितना पड़ेगा यह आबकारी विभाग ही बता सकता है । हमारे विभाग में इस तरह का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

श्री रामआसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, थ्रेसर आदि तथा उर्वरक, कीट नाशक दवाओं पर कोई कर न लेने से सरकार सिद्धान्ततः सहमत है, जब सिद्धान्तः सहमत हो गई ह तो फिर इस मसले पर विचार कर रहे हैं कहना उपयुक्त है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न को स्पष्ट कीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जब एक बात पर आप सिद्धान्ततः सहमत हैं तो उसको सब्सीडाइज्ड करने में आपके सामने क्या कठिनाई है ? इसको विचाराधीन की फाइल में डालना कहां तक उपयुक्त ह ?

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर तो आपके प्रश्न से ही मिल रहा है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इसका उत्तर दिया जा चुका है कि यह तमाम मामला विचाराधीन है और जब तक इस पर विचार हो रहा है कोई बात इस प्रकार की कहना उचित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर को पढ़ कर मैंने सुनाया कि सिद्धान्ततः शासन सहमत है । इसको तो मान लिया, अब यह माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मसला विचाराधीन है । माननीय मंत्री जी अपने बचाव को ही खुद कन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं । जब सिद्धान्ततः शासन सहमत हो चुका है तो कर में सब्सीडी दे कर किसानों को कुछ राहत दी जा सकती ह, इसमें क्या अड़चन आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि यह विचाराधीन है । सिद्धान्त रूप में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया । अब उसके क्या तरीके होंगे यह तो विचाराधीन हो सकता ह । यह तो इस परिधि में नहीं आया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आप मंत्री जी की मदद करते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

यह तो आक्षेप है ...।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसे आक्षेप नहीं सक्षमता, उद्गार है केवल ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की है उनको देखते हुए और उनको मूर्त रूप देने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर नहीं सही उत्तर प्रदेश बिक्रीकर जो इन बीजों पर लगता है उसे आधा करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो मामला विचाराधीन है तो आधा या पूरा करने का यहां प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

ग्राम सभा भरौली, कथवलिया एवं मधवापुर जिला बस्ती के ग्राम प्रधानों का निलम्बन

*3--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ तथा श्री माता प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र भनवापुर, जनपद बस्ती के ग्राम सभा भरौली, कथवलिया एवं ग्राम सभा मधवापुर के प्रधानों को पिछले कई वर्षों से परगनाधिकारी, डुमरियागंज ने मुअत्तल कर रखा है ? यदि हां तो इनके ऊपर कौन-कौन से चार्ज हैं ? क्या यह सत्य है कि इन लोगों को आपातकाल में जबरन नसबन्दी के केस न देने के कारण मुअत्तल किया गया था ? यदि हां, तो इन्हें बहाल करने का आदेश तत्काल देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । इन ग्राम प्रधानों के ऊपर ग्राम सभा सम्पत्ति का दुरुपयोग किए जाने का चार्ज है। यह सत्य बात है कि इन्हें नसबन्दी के केस न देने के कारण मुअत्तल किया गया । अतः इस आधार पर इन्हें बहाल किए जाने का आदेश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम प्रधानों के ऊपर जो आरोप हैं, उनकी जांच किस अधिकारी ने और कब की और ये लोग कब से निलम्बित हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा कि उत्तर में कहा गया है, यह सही नहीं है कि नसबन्दी के केस न दिए जाने के कारण इनको निलम्बित किया गया । श्री छोटे लाल प्रधान का निलम्बन 24-5-77 को हुआ और श्री शिव प्रसाद का 26-9-77 को निलम्बन हुआ था । इनके खिलाफ जमीन, दरख्तों और प्रापर्टी के दुरुपयोग के चार्जेज थे, इसलिए उनका निलम्बन किया गया था । इनका नसबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जिन ग्राम प्रधानों को निलम्बित किया गया है, तो क्या जनता का काम चलाने के लिए, जैसा कि आजकल हो रहा है कि घर आदि के गिरने की सूचना सरकार को दी जाती है, किसी उपप्रधान को नियुक्ति की गयी है ?

नोट--प्रश्न संख्या 3 श्री दिवाकर सिंह ने पूछा ।

श्री अम्मार रिजवी--

दोनों प्रधानों ने उप-प्रधानों को चार्ज नहीं दिया है । अतः इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ताकि उनको चार्ज दिया जा सके ।

श्री हुकम सिंह--

इनको वर्ष 1977 में निलम्बित किया गया था तो अब तक जांच मुकम्मल न होने के क्या कारण हैं और अन्तिम आदेश होने की कब तक आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, केन्द्रीय सरकार में कांग्रेस का शासन मार्च 1977 को समाप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 30-4-77 को । ग्राम प्रधान निलम्बित हुए 24-5-77 को अर्थात् पांचवे महीने में जिसे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरे हुए सितम्बर में । नौवें महीने का अन्दाजा भी माननीय सदस्य को होगा । इसका बन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका सम्बन्ध ग्राम सभा की सम्पत्ति के दुरुपयोग से है और इन्होंने इसका चार्ज नहीं दिया है । आपकी सरकार भी 3 साल तक भी चार्ज नहीं दिला पायी, हमारी सरकार को तो अभी 3 माह ही हुए हैं । हम तो अब चार्ज दिलाने का प्रयास कर ही रहे हैं ।

श्री अकबाल हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि कितने क्षेत्रफल भूमि एंव कितनी मालियत के पेड़ या लकड़ी के गबन के आरोप हैं, इन प्रधानों पर ?

श्री अम्मार रिजवी--

पैसे में वैल्यूएशन की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह मामला सर्वप्रथम कब किस तिथि को प्रकाश में आया ?

श्री अम्मार रिजवी--

24-5-70 को इनका निलम्बन हुआ । उसी जमाने में यह प्रकाश में आया और कार्यवाही हो रही है ।

श्री ऊदल--

इस मामले में अभी कितना समय और लग जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसे शीघ्र किया जायेगा ।

न्याय पंचायत, मंगारी, जिला वाराणसी के सरपंच एवं पंचायत सेवक के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*4--श्री ऊदल--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत मगारी ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के न्याय पंचायत सरपंच तथा पंचायत सेवकों के खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र नागरिकों का ता0 3-7-80 को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मुख्य मंत्री को दिया था कि बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकदमा न्याय पंचायत मंगारी में चलाकर हजारों रुपये का जुर्माना तथा सजा किया गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

श्री ऊदल--

यह मामला बहुत गम्भीर है और पूरी अदालत पंचायत से सम्बन्धित है और सैकड़ों छात्रों, नागरिकों और किसानों से सम्बन्धित है । मंत्री जी कब तक इसकी जांच करायेंगे और उस सरपंच को जो गलत तरीके से धन्धा करता है और जुर्माना करता है, उसको निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह मामला काफी गम्भीर था इसी कारण इसमें जांच के तुरन्त आदेश दिए गए । मैं समझता हूं कि जांच इसी महीने में पूरी हो जानी चाहिए और इसके बाद सरपंच या जो भी अधिकारी दोषी होंगे, उनको जो भी सजा न्यायोचित देनी चाहिये वह दी जायगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

किस अधिकारी के द्वारा यह जांच कराई जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिलाधिकारी को इसकी जांच के लिए लिखा गया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यह न्याय पंचायत से सम्बन्धित मामला है और जिलाधिकारी इसको जांच करें तो कुछ जंचता नहीं है । जन प्रतिनिधियों से भी यह जांच कराई जा रही है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने हमेशा इस सदन का मार्गदर्शन किया है तो माननीय जसवन्त सिंह इसमें भी सरकार का मार्गदर्शन करें कि किसके द्वारा यह जांच करवाई जाय ।

बाराबंकी में अफीम की खेती में वृद्धि किए जाने की मांग

*5--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के विशेष कर जनपद बाराबंकी में कृषकों द्वारा उत्पादित अफीम (ओपीएम) संसार में गुणात्मक विशेषता रखती है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार अफीम उत्पादन हेतु कृषि क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करेगी ? जिससे कि कृषकों को आर्थिक लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अफीम के उत्पादन को केन्द्रीय सरकार नियंत्रित करती है और वही उसकी गुणात्मक विशेषता आंकती है । चूंकि अफीम का प्रयोग औषधियों के निर्माण में होता है और जनसाधारण अफीम का प्रयोग नहीं कर सकती, अतः अफीम का

अधिक उत्पादन कदाचित जनहित में न हो । अतः प्रदेश सरकार भारत सरकार से अफीम की खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं समझती ।

श्री मित्रसेन—

किसानों को नकदी फसल की विशेष आवश्यकता होती है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जनपद में सारे संसार से अच्छी अफीम पैदा होती है और मैंने यह उम्मीद की थी कि अफीम की इस लाभान्वित फसल के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि प्रदेशीय सरकार से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अफीम के क्षेत्रफल को बढ़ान में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कानूनी अधिकार अफीम की खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने का और उसकी मार्केटिंग करने का केन्द्रीय सरकार को है, प्रदेश की सरकार का कोई उसमें कानूनी दखल नहीं है ।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि अफीम बाहर भी भेजी जाती है और अपने देश में भी दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है जो कि इंसान की जिन्दगी के लिए मुफीद चीज है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी भारत सरकार से इस बात के लिए सिफारिश करेंगे कि इस पर कंट्रोल भी अच्छा हो सके और खेती भी इसकी बढ़ाई जा सके ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं उसे समझने और सोचने का कार्य केन्द्रीय सरकार का ही है । बात यह है कि हमारे यहां एक कारखाना गाजीपुर में अफीम से दवायें बनाने का है और हम समझते हैं कि जितनी उस कारखाने के लिए अफीम की आवश्यकता होगी उतनी हमारे यहां पैदा हो जाती होगी । इस वजह से केन्द्रीय सरकार अफीम के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि जब अफीम से दवायें यहां भी बनती हैं और बाहर भी भेजी जाती हैं तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार से इसकी खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने के विषय में कोई वार्ता करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या नहीं है यह तो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है । अगर आवश्यकता होगी तो केन्द्रीय सरकार अफीम के क्षेत्रफल को अवश्य बढ़ायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हुए कि यह एक कैश क्राप है और किसानों की आर्थिक स्थिति से इसका सीधा सम्बन्ध है साथ ही आपकी राष्ट्रीय सरकार से भी डाइरेक्ट ताल्लुक इसका है तो क्या राज्य सरकार सिद्धान्ततः इसके पक्ष में है कि इस फसल के जरिये किसानों की आर्थिक स्थिति सम्भाली जा सकती है, इसलिए केन्द्रीय सरकार से इस विषय में कि इसका बीज भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, वार्ता करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में अफीम की खेती कितनी जमीन पर होती है और हर साल कितनी अफीम विदेशों को निर्यात होती है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश की है और उसके अनुसार अफीम की खेती का कुल क्षेत्रफल 1978–79 में 114 हेक्टेयर था और उसी वर्ष में कुल उत्पादन 45.60 क्विंटल था ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी अफीम की खेती के मामले में एशिया में एक प्रसिद्ध जिला है और इस समय बाराबंकी जिला बाढ़ और अतिवृष्टि से गुजर रहा है । वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक जैसी जमीन और सिंचाई के साधन हैं फिर भी अफीम की खेती नहीं कराई जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में भी अफीम की खेती कराए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को आप तुरन्त लिखने की कृपा करेंगे जिससे बाढ़ और अतिवृष्टि के समय में किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

इनके कहने का मतलब है कि इस साल बाढ़ और अतिवृष्टि से फसल को बहुत नुकसान हुआ है तो इसके लिए भारत सरकार को लिखेंगे कि अधिक क्षेत्र में खेती कराई जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 114 हेक्टेयर में अफीम की खेती होती है और उसकी स्मगलिंग आदि को नियंत्रित करने में सरकार अक्षम है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी कि सारी अफीम की खेती सरकारी कृषि फार्मों में की जाय ताकि खेती लाभप्रद हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री गुलाब सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अफीम का कुल उत्पादन बाराबंकी में 43.60 क्विंटल है, तो सारे उत्तर प्रदेश में कुल कितना उत्पादन होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न केवल बाराबंकी से सम्बन्धित है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शराब पिलाना सरकार की नीति है, तो अफीम के बारे में सीधे प्रश्न किया गया है कि क्या इसके क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं पहले कह चुका हूं कि इस अनुरोध पर विचार कर लिया जायेगा ।

जिला परिषद् आजमगढ़ की आडिट आपत्ति

*6—श्री मोहन सिंह—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा आडिट आपत्ति संख्या 11 (ई) सन् 1979–80 के सम्बन्ध में भेजी गयी आख्या से सन्तुष्ट होकर शासन ने आपत्ति निरस्त कर दी और आडिट आपत्ति में दर्शाए गये जिम्मेदार व्यक्तियों के कार्यरत रहते हुए भी सहायक परीक्षक के निर्देशानुसार उनसे वसूली की कार्यवाही क्या अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला परिषद् आजमगढ़ में वर्ष 79–80 का अभी आडिट ही नहीं हुआ है । अतः शासन द्वारा आपत्ति निरस्त किए जाने का सवाल नहीं उठता ।

श्री मोहन सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य किसी स्रोत से, जन–प्रतिनिधि से या मुकामी अधिकारी से शिकायत मिली है कि जिला परिषद् आजमगढ़ में गड़बड़ी है ? यदि हां, तो क्या उसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 56 जिले हैं हर जिला परिषद् के बारे में सैकड़ों शिकायतें मिला करती हैं । केवल आजमगढ़ के बारे में कहना संभव नहीं होगा कि जितनी शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच की जा रही है ।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किसी तिथि या एक साल दो साल की बात बतायें, तो जांच करायेंगे उसमें जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1978-79, 1977-1978, 1976-1977 में कोई आडिट हुआ और उसमें कोई आडिट आब्जेक्शन आये हैं जिन पर सरकार ने कोई जांच कराई ?

श्री बलराम सिंह यादव---

माननीय, इसके लिए तो अलग से माननीय सदस्य प्रश्न कर लें मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री पंचानन---

क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना उपलब्ध है कि वहां से कोई आडिट आपत्ति शासन को आई हो और उसे यहां निरस्त किया गया हो ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस समय ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट---

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जिला परिषदों के विरुद्ध सैकड़ों शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों का कब तक निराकरण हो जायेगा ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

[दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1---श्री अम्बा प्रसाद वर्मा तथा श्री राम आसरे वर्मा---

[आश्वासन समिति के विचराधीन होने के कारण निरस्त]

*2---श्री शंकर सिंह, श्री छत्तर सिंह, श्री दल गंजन सिंह, श्री ऊदल, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बंशीधर राज---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*3---श्री शम्भू नाथ---

[8-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

*4---श्रीराम चन्द्र---

[22-9-80 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

खाद एवं बीज पर सब्सीडी दिये जाने की मांग

*5---श्री राधेश्याम पटेल (अनुपस्थित)---

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाढ़ से सैकड़ों किसानों की तबाही एवं बरबादी को देखते हुए शासन, जनता सरकार की तरह खादों एवं बीजों के मूल्यों पर सब्सीडी देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट : प्रश्न संख्या 5 श्री हुकुम सिंह ने पूछा ।

श्री बलराम सिंह यादव—

बाढ़ ग्रस्त कृषकों को कृषि निवेशों के क्रय पर सब्सीडी देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हुकम सिंह—

क्या इस सम्बन्ध में अगली रबी की बोवायी शुरू होने के पहले निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

निश्चित रूप से ले लिया जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

पहले खरीफ के लिये जो सब्सीडी के आदेश शासन ने घोषित किया था, उनके पहुंचने में इतना विलम्ब हो गया था कि जब तक आदेश पहुंचे तब तक किसान अपने खरीफ की बोवाई कर चुके थे और खाद उन्होंने अपना खरीद लिया था । इसको देखते हुये क्या मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेश समय से जिलाधिकारियों के पास पहुंच जाये और पहले की तरह विलम्ब न हो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

इस सब्सीडी का प्रतिशत क्या होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो छोटे कृषक हैं उनको उन स्थानों पर जहां पर नुकसान 50 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है 25 प्रतिशत तक की सब्सीडी मिलेगी और जो सीमान्त किसान हैं, उनको साढ़े 33 प्रतिशत मिलेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी विस्तार के साथ यह बतायेंगे कि सब्सीडी देने की जो बात है वह किन-किन चीजों पर देने का प्रश्न विचाराधीन है और कितनी-कितनी देंगे ? 28 तारीख को जो आपके आदेश गये हैं वे मार्जिनल फार्मर्स के लिये हैं और पिछली सरकार ने 10 एकड़ तक के किसानों के लिये भी सब्सीडी घोषित की थी, तो इसे विस्तार से बता दें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

केन्द्रीय सरकार से 1 करोड़ रुपया इस प्रदेश की सरकार को प्राप्त हो गया है । प्रदेश की सरकार ने कुछ और सहायता की मांग की है और आशा है कि वह शीघ्र ही कुछ और सहायता हमको मिल जायेगी । जितना वे देंगे उतना ही अंश हमको मिलाना होगा । इस प्रकार जो राशि होगी उसी हिसाब से सब्सीडी दी जायेगी ।

श्री राधेश्याम पटेल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लघु कृषक और सीमान्त कृषक भी बाढ़ग्रस्त हैं, उनको भी यह सब्सीडी दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि अन्य कृषक को पोटाश और फासफोरस पर छूट दी जाय । इसके बारे में लिखा गया है, मान्यवर ।

श्री धर्मपाल सिंह गहलौत--

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में जहां पर कम वर्षा हुई है, क्या उनको भी सब्सीडी देने पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जायगा ।

गंजरिया फार्म, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल

*6---श्री सन्तबक्श रावत---

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-11-79 को गंजरिया फार्म जनपद, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करने के सम्बन्ध में उप निदेशक, परिक्षेत्र, लखनऊ तथा अन्य चार अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता-पत्र तैयार किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, समझौते में 5 निर्णय लिए गए । इनके अन्तर्गत कुल 13 मांगों में से 12 मांगों पर कार्यवाही सम्पन्न कर ली गई है तथा एक मांग अभी विचाराधीन है ।

श्री सन्तबक्श रावत---

जो 5 निर्णय लिए गए हैं, वे क्या हैं ? 13 मांगों में जो 12 मान ली गई हैं, वे कौन-कौन सी हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जो 5 निर्णय लिए गए हैं, वह इस प्रकार हैं :---

1---संघ के मांग-पत्र, दिनांक 31-10-1979 में दी गई 11 मांगों पर क्षेत्र प्रबन्धक स्तर से जो कार्यवाही होनी है, उसको 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए ।

2---जिन माँगों का सम्बन्ध निदेशालय से है, उनके लिए निदेशालय को मामला भेजा जाए ।

3---उप निदेशक (प्रक्षेत्र) स्तर से जो मांगें पूरी होनी हैं, वे भी 15 दिन में सम्पन्न कर ली जायं ।

4--मैनेजमेन्ट की ओर से संघ ने जो यह मांग की कि इस माह में हट'ये गये मजदूरों को पुनः दिनांक 7-11-1979 की सुबह से कार्य पर ले लिया जाय, जो स्वीकार कर ली गई है । प्रक्षेत्र पर इनके सदुपयोग के लिए आवश्यक कार्य जैसे मेढ़बन्दी, कम्पोस्ट गड्ढ़े, फार्म की कच्ची सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य किया जाए ।

5--आज की हड़ताल के लिए जो कर्मचारी हड़ताल पर रहे, उनको उपार्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश, जो भी अनुमन्य हो, दे दिया आय।

और इनकी 11 मांगें इस प्रकार हैं :--

1--वार्षिक वेतन वृद्धियों को दिया जाना ।

2--बकाया वेतन दिए जाने की मांग ।

3--सेवा-निवृत्त के आश्रित को नियुक्त किया जाना तथा बकाया भुगतान ।

4--नियुक्ति के आधार पर सेवा में लेने की मांग ।

5--वेतन पहली तारीख से 3 तारीख तक भुगतान की मांग ।

6--बेगार प्रथा समाप्त करने की मांग ।

7--तीन वर्ष से अधिक सेवा में लगे कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग ।

8--दैनिक मजदूरों को स्थायी स्थानों पर रखे जाने की मांग।

9--दैनिक मजदूरों को निदेशालय स्तर पर दैनिक मजदूरी दिए जाने की मांग ।

10--फार्म मैनेजर व श्री हृदय नारायण कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण की मांग ।

11--दैनिक मजदूरों को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति न किये जाने की मांग ।

उपरोक्त 11 मांगें पूर्ण कर ली गई हैं और बारहवीं मांग--दैनिक मजदूरों को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति न किए जाने की मांग, यह नहीं मानी गई है ।

श्री सन्तबक्श रावत--

वह कौन सी मांग है जो अभी तक मन्त्री जी ने मंजूर नहीं की है, जबकि 6-11-1979 को यह समझौता हुआ है, तो अभी इसके मानने में कितना समय लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दैनिक मजदूरों को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्तियां न किए जाने की मांग, इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । उसका कारण यह है कि फार्म सम्बन्धी कार्यों--जैसे जुताई, मड़ाई, थ्रेशिंग आदि के समय पर टेम्प्रेरी मजदूरों की काफी आवश्यकता होती है, जिनको आवश्यकतानुसार रख लिया जाता है ।

श्री सन्तबक्श रावत--

जिन मांगों को मन्त्री जी ने मान लिया है, उन पर कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी और कर्मचारियों को कब तक उसकी जानकारी मिल जाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, सभी मांगों पर कार्यवाही हो चुकी है । कर्मचारी संघ को सूचना दे दी जाएगी ।

*7--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[8वें सोमवार के लिए स्थगित ।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के कर्मचारियों की हड़ताल

**1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के कार्यालय के सामने विभाग के कर्मचारियों द्वारा आजकल अनशन चल रहा है जिससे न केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग बल्कि दूसरे विभाग के कर्मचारियों में भी असन्तोष एवं तनाव है ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं एवं तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दो कर्मचारी सर्वश्री कासिम उल्ल ह खां, प्रवर लिपिक एवं सुबोध दास, रसइया, के वेतन भुगतान की मांग को लेकर, दिनांक 19-8-1980 से 30-8-180 तक धरना दिया गया । जांच उपरान्त ज्ञात हुआ कि श्री कासिम उल्लाह खां को गबन के आरोप में निलम्बित किया गया था । दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने एवं निलम्बन अवधि में दिया गया जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई वेतन देय न होगा, के निर्णय के उपरान्त उन्हें बहाल कर दिया गया । बकाया वेतन का भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुबोध दास, रसोइया का प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किया गया किन्तु उन्होंने अपने नये पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसे फलस्वरूप वेतन का भुगतान करना सम्भव नहीं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया है वह किस आधार पर दिया है, उनकी मांग क्या है, जिस मांग को लेकर वह अनशन कर रहे थे, उनकी मांगों को सुना दीजिए ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मांग तो थी, कासिम उल्ल.ह खां प्रवर लिपिक को निलम्बित कर दिया गया था, सुबोध दास रसोइया को, दोनों को वेतन नहीं मिल रहा था, इस वजह से इन लोगों ने स्ट्राइक किया था । उसके बाद एक दूसरा मांग-पत्र भी दिया है, जिसमें उनकी 38 मांगें थीं । आप आज्ञा दें तो मैं 38 मांगों को पढ़कर सुना दूं :--

(1) श्री कासिमुल्ला खां उच्च श्रेणी लिपिक के रोके गये वेतन का भुगतान न करना ।

(2) श्री सुबोध रसोईया, निरीक्षण भवन, गोरखपुर के रोके गये वेतन का भुगतान न करना ।

(3) अवर अभियन्ता कर्मचारियों को मोटर साईकिल भत्ता का न दिया जाना ।

(4) अवर अभियन्ता कर्मचारियों के दक्षता रोक का मामला ।

(5) अवर अभियन्ता कर्मचारियों की यात्रा भत्ता का पूर्ण भुगतान न करना ।

(6) अवर अभियन्ता कर्मचारियों को प्रत्येक खन्ड में बैठक कक्ष का मामला ।

(7) अवर अभियन्ता कर्मचारियों के गोपनीय आख्याओं के निस्तारण का मामला ।

(8) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के दक्षता रोक का मामला ।

(9) जी0 पी0 एफ0 अग्रिमों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर मन-माना स्वीकृत करना ।

(10) उ0 श्रे0 लि0 तथा निम्न श्रेणी लिपिक में नियमानुसार कार्यों का बटवारा न करना ।

(11) कार्यों का बटवारा के समय वरिष्ठता क्रम की नीति का न अपनाना ।

(12) जी0 पी0 एफ0 लेखा का पास-बुक न तैयार करना ।

(13) अधिकारियों द्वारा अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना ।

(14) ग्रिवींस कमेटी का समुचित गठन न करना ।

(15) सेवा निवृत्त कर्मचारियों के देय भुगतानों में विलम्ब करना ।

(16) कर्मचारियों के बकाये धनराशि का भुगतान न करना ।

(17) लिपिक संघ के जिला इकाई के पत्रों का कोई महत्व न देना ।

(18) श्री मो0 असलम खां के वेतन निर्धारण का मामला ।

(19) श्रीराम बोध त्रिपाठी के वेतन वृद्धि रोके जाने का मामला ।

(20) श्री भोला प्रसाद को निन्दित किये जाने का मामला ।

(21) जी0 पी0 एफ0 को कटौती का लेखा-जोखा को न तैयार करना ।

(22) जिला इकाई हेतु उपयुक्त कमरे का आवंटन ।

(23) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों हेतु 100 उपयुक्त आवासों का निर्माण ।

(24) मृतक चo श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में न लिया जाना ।

(25) राजा राम, बेलदार को नियमित न करना।

(26) छटनी शुदा कर्मचारियों को आदेश के बाद सेवा में न रखना।

(27) च0 क्षे0 कार्य प्रमाणित कर्मचारियों से बेगार लेने का मामला।

(28) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी गैंग में न रखना।

(29) कार्य प्रमाणित कर्मचारियों के बकाये धन का भुगतान न करना।

(30) अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण करने का मामला।

(31) जिस खन्ड में दो जीपें हैं उसी में से एक जीप को स्थानान्तरण का मामला।

(32) मार्गों पर कार्यरत कर्मचारियों को टी0 ए0 का वर्षों से भुगतान न करना।

(33) श्री राम सरन सिंह, आशुलिपिक के चिकित्सा अवकाश का मामला।

(34) श्री राम सरन सिंह, आशुलिपिक के दो वर्षों से पड़ा हुआ वार्षिक वृद्धि का मामला।

(35) श्री आर0 पी0 सिंह के वेतन एवं छुट्टी का मामला।

(36) श्री राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव राष्ट्रीय मार्ग उपखन्ड के वर्ग 4 से वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति का मामला।

(37) श्री बेचन प्रसाद वर्क एजेन्ट के अपनी गैंग के साथ श्री बी0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खन्ड, सा0 नि0 वि0, गोरखपुर के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाये जाने पर जिस पर विभागीय कर्मचारियों से मारपीट हो गयी और विभागों के कर्मचारी बन्द हो गये बाद में मुकदमा कायम हुआ उससे कर्मचारी अपने खर्च पर निजी मुकदमा के रूप म लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों ?

(38) श्री राम सिंह, ट्रक चालक का मुख्य अभियन्ता द्वारा आदेश के बावजूद भी रिवरसन करने का मामला।

अनेक सदस्य—

आदि-आदि। शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री बलराम सिंह यादव—

इस तरह 38 मांगे थीं उनकी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अब यह स्पष्ट हो गया कि मन्त्री जो किस खूबी के साथ सदन को गुमराह कर रहे थे। इसके अलावा उस अधीक्षण अभियन्ता पर लगभग 21 आरोप भी थे। इसी से सम्बन्धित एक पम्पलेट भी वहां के समस्त कर्मचारियों ने छपाया था, अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं। लिखा था कि "सार्वजनिक निर्माण विभाग के समस्त कर्मचारी अनशन पर क्यों ?" जिसमें पहला आरोप उन पर यह है कि—"अधीनस्थ खन्डों की आवंटित मक्सफाल्ट की ढुलाई हेतु खन्डों से प्राप्त अनुमोदनार्थ दरों में उन्हीं की स्वीकृति की जा रही है जिससे मोटी-मोटी रकम प्राप्त होती है, शेष को लम्बित कर रखा है।

2--अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से खन्डों से तथा कथित पांच हजार रुपये प्रति खन्डों व प्रति माह को दर से लगभग तीस हजार रुपये प्रति माह जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है जिसके कारण समस्त कर्मचारी त्रस्त हैं और राष्ट्र तथा जनता का तीन लाख 60 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लूट की जा रही है ।

3--अस्थायी खन्ड नं0 1--देवरिया के अधिकारी के साथ सांठ-गांठ करके अधिक दरों पर अनुपयुक्त लोहे की खरीद स्थानीय बाजार से किये जो कि आडिट की आपत्ति भी बन चुकी है ।

4--यह अधीक्षण अभियन्ता अपने यात्रा भत्ता बिल माह दिसम्बर, 1978 एवं सितम्बर, 1979 में दोनों बार अपने निजी कार्यों से छुट्टी पर गये, लेकिन गलत रूप में टी0 ए0 चार्ज किया । जिसका आरोप कोषाधिकारी, गोरखपुर द्वारा लगाया जा चुका था, जिसके प्रति उनके उच्चाधिकारी द्वारा चेतावनी भी दी जा चुकी थी । इसके अलावा मान्यवर, एक बहुत घृणित आरोप है कि नवम्बर, 1978 से छोड़ने तक निरीक्षण भवन में श्री सुबोध रसोईया से बेगार लेते रहे और इसके अतिरिक्त रसोईया की पत्नी से भी निजी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे । इन स्वार्थों की मान्यवर, पूर्ति न होने पर महीनों वेतन न देना तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा आदेशों के बावजूद स्थानान्तरण निरस्त न करना । इस तरह बहुत सी बात हैं और लगभग 21 आरोप और भी हैं और करोड़ों रुपयों का साथ ही घपला भी है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस अधीक्षण अभियन्ता को, जिसका ट्रांसफर हो गया है, उसे रिलीव करने के तुरन्त आदेश देंगे, जिस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और मान्यवर गन्दे आरोप भी हैं उस पर, जिसके विरुद्ध वहां के समस्त कर्मचारियों ने लिखित रूप में दे दिया हो, माननीय मन्त्री जी को, तो इन आरोपों को देखते हुए, विभाग और शासन की प्रतिष्ठा को देखते हुए उस अधीक्षण अभियन्ता को तुरन्त हटाने और उस पर खुली जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस मामले की पूरी जांच करा ली जायेगी, और जो माननीय सदस्य ने बताया, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है, फिर भी जहां तक उसके स्थानान्तरण का सवाल है, उस पर शांति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, उसका ट्रांसफर तो हो गया है, लैंसडाउन लेकिन उसने लिखकर दे दिया है कि वह लैंसडाउन नहीं जायेगा, तो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उसके तुरन्त रिलीव किये जाने के आश्वासन देंगे ? मान्यवर, इसका आश्वासन माननीय मन्त्री जी से दिलवा दें ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, अगर स्थानान्तरण हो गया है, तो उसे तुरन्त रिलीव भी कर दिया जायेगा ।

श्री केदार नाथ सिंह---

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आन्दोलन और आन्दोलनकारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर ने कोई रिपोर्ट शासन को प्रेषित की है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने एक पत्र शासन को लिखा है यह पत्र 30 अगस्त को लिखा गया है । अगर आप इजाजत दें, तो मैं पत्र की भाषा पढ़कर सुना दूं । उसमें खास बात यह है कि जो चपरासी रसोइया है, श्री सुबोध के स्थानान्तरण के बारे में लिखा था कि कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण तुरन्त कर दिया जाए, यह जिलाधिकारी ने शासन को लिखा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्थिति बहुत साफ होती जा रही है । सवाल तो पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के आन्दोलन का है । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें डी० एम० की रिपोर्ट की क्या आवश्यकता थी ? मान्यवर, इसमें उच्च अधिकारियों की साजिश है कि छोटा कर्मचारी जो रसोईया है उसका मेरठ ट्रांसफर कर दिया । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आरोप गम्भीरता को देखते हुये, कर्मचारी आन्दोलित है और यह अधीक्षण अभियन्ता 30 हजार रुपया प्रति मास इंजीनियरों से लेता है क्या इस मामले की खुली जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पहले ही कह चुका हूं ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सचिवालय का धुलाई भत्ता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

**2--श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी (वर्गीय) कर्मचारी संघ के महामन्त्री (श्री रामनाथ तिवारी) द्वारा केवल सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दो रुपए के स्थान पर पन्द्रह रुपए माहवार धुलाई भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में मार्च, 1980 का कोई प्रार्थना-पत्र माननीय राज्यपाल के सलाहकार (श्री शुक्ला) को दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

इस मामले पर वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ड्राइवरों को 15 रुपया, रक्षकों को 10 रुपया धुलाई भत्ता दिए जाने के बारे में माननीय मंत्री ने आदेश कर दिया है जब ड्राइवर और रक्षकों को धुलाई का माननीय मुख्य मंत्री जी आदेश कर सकते हैं, तो इन बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले को वेतन आयोग को सुपुर्द किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस पत्र के मिलने के बाद कोई आदेश नहीं हुए हैं । यह 23 अप्रैल, 1980 का पत्र ह इस पर राज्यपाल के सलाहाकार ने आदेश दिये थे कि 10 रुपये प्रतिमाह मिले किन्तु जब यह पत्र वित्त विभाग में आया, तो वित्त विभाग न अपना आदेश दिया कि इस प्रकार के सारे मामले वेतन आयोग के सामने चल रहे हैं किसी एक मामले को अलग से तय करना उचित न होगा क्योंकि और भी मामले सामने आयगे । चूंकि वेतन आयोग को 31-12-80 तक अपनी रिपोर्ट शासन को आनी है । इस मामले को वेतन आयोग के सामने रख दिया हैं जो इसमें दूरी हैं 10, 15 और 2 रुपये की, मैं समझता हूं वेतन आयोग इस पर जरूर निर्णय कर देगा ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हैं कि यह धुलाई का वेतन आयोग से कोई मतलब नहीं हैं जब माननीय मंत्री जी 74 से 77 तक कैबिनेट में मंत्री थे एक बार यह धुलाई बढ़ाने की घोषणा आपने की थी ? यदि हाँ, तो इस मामले को वेतन आयोग से लेकर तय करने का विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह मामला वेतन आयोग को भेजा जा चुका है, इसलिए शासन द्वारा किसी प्रकार की घोषणा करना उचित न होगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वेतन आयोग जब बैठा था उसी समय स्टेट विभाग के कर्मचारियों ने खसतौर से ड्राइवरों ने हड़ताल किया था और शासन से समझौता हुआ और उनको धुलाई भत्ता दिया गया । क्या इस बात पर विचार करते हुये कि यह छोटे कर्मचारी हैं और यह वेतन आयोग का मामला नहीं हैं इस पर प्रशासकीय निर्णय कर सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी समझकर इक्जोक्यूटिव आर्डर के जरिये कुछ बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति हैं । मैं चाहता था कि यह मामला तय हो जाय । किन्तु हमारी कठिनाई को आप समझते होंगे । राज्यपाल शासन में यह वेतन आयोग को दिया जा चुका हैं यदि हम इसको लेकर कोई इक्जीक्यूटिव आर्डर करते हैं, तो एक नजीर हो जायेगी और बहुत से मामले हमारे सामने लोग लायेंगे, माननीय मोहन सिंह जी तो मंत्री रहे हैं । मान्यवर, 31-12-80 तक का मामला हैं, अक्तूबर महीना हैं थोड़े दिन इंतजार करले मामले पर निर्णय हो जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ड्राइवरों को 15 रुपये और रक्षकों को 10 रुपये दिए गए हैं । यह वेतन आयोग के गठन के बाद दिये गये, तो जब मुख्य मंत्री आयोग के गठन के बाद दे सकते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते ? अधिकारियों को सेक्रेटेरिएट एलाउन्स आज भी मिल रहा हैं लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह एलाउन्स बन्द कर दिया गया, इसका क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

भत्ता-भत्ता है मान्यवर, चाहे धुलाई भत्ता हो या सेक्रेटेरिएट भत्ता ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, क्या उत्तर आप की तरफ से आ रहा है क्योंकि आपने कहा कि भत्ता-भत्ता है ?

श्री मोती लाल [देहलवी--

जैसा मंत्री जी ने कहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहानुभूति है लेकिन सिर्फ एक परेशानी जाहिर की कि इसी तरह के कई मामले वेतन आयोग को गये हैं, अगर इसे वापस लिया गया, तो यह नजीर बन जायेगी, तो यह मात्र बहाना है । मैं जानना चाहता हूं कि अन्य कितने लोगों के मामले वेतन आयोग को दिए गए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अन्य बहुत से मामले वेतन आयोग को गये हैं और उसके बाद भी शासन ने उन पर विचार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप मेरी इजाजत से बोल रहे हैं ?

श्री ऊदल--

यह ड्राइवरों और रक्षकों को जो दिया गया उस वक्त वेतन आयोग था या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी है, था, तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको वेतन आयोग के रहते क्यों दिया गया और यदि दिया गया, तो जो बाकी लोग हैं उन पर भी सहानुभूति रखते हुए धुलाई भत्ता देंगे, अलग से ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, वेतन आयोग का गठन 10-1-79 को हुआ, उसके बाद ड्राइवरों को 1-9-79 को भत्ता दिया गया और अन्य कर्मचारियों को 1-4-79 को । मैंने निवेदन किया कि यह राज्यपाल के सलाहकार द्वारा दिया गया था । उन्होंने 15 रुपये की मांग की थी । 10 रुपये शासन ने कहा कि दिया जाये । वित्त विभाग ने कहा कि यह मामला केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नहीं है बल्कि और लोग भी इसकी परिधि में आ सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं इसलिए वेतन आयोग को दे दिया गया । जब वेतन आयोग को दे दिया गया, तो उससे मांगना आप स्वयं तय कर सकते हैं उचित होगा या नहीं । 31-12-80 तक रिपोर्ट आनी है । मैं नहीं समझता की कितनी अरजेन्सी है । बात आयेगी कि जब एक को दे दिया गया, तो दूसरे को क्यों नहीं दिया गया ? दूसरे प्रश्न के लिए क्यों तैयारी की जाये ? वेतन आयोग इस मामले को स्वयं तय कर देगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वेतन आयोग इस बात से पृथक है धुलाई भत्ता उसकी परिधि में नहीं आता । वेतन आयोग से धुलाई भत्ते का क्य रिश्ता है ? महामहिम राज्यपाल महोदय के शासन में अलग से यह मामला वेतन आयोग को रेफर कर दिया गया तो पुनः उस गल्ती को क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी पहले जो गल्ती की गयी उसको दुरुस्त करके मामले को ठीक करने की कोशिश करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, गल्ती तो तीन साल से होती चली आई । राज्यपाल शासन में यह तो किया गया कि 10 रुपये कर दिया गया । वहीं पर निर्णय होगा । वही इसको करेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

तीन साल की गल्तियों ने ही इनको मंत्री बना दिया । इन्हें तो खुश होना चाहिए न राज नहीं । माननीय मंत्री जी मंत्री हैं । वह जानते हैं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाने से वेतन नहीं मिल जाता । इसको संस्तुतियों को सदन का सामना करना पड़ता है, वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है । दिसम्बर में रिपोर्ट आ जायेगी इससे कर्मचारियों को वेतन भत्ता नहीं मिल जायेगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और बजट में प्राविधान होने से पूर्व ही क्या इसे मानवीय प्रश्न समझ कर मंत्री जी किसी प्रशासनिक प्रबन्ध के द्वारा धुलाई भत्ता देने का आश्वासन देने जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह केवल सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ही मामला नहीं है, इसके साथ और लोग भी जुड़े हैं । इसलिए वेतन आयोग में तय हो जायेगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह धुलाई भता विरोधी पक्ष को दे दें । ज्यादा उचित होगा ।

श्री मोहन सिंह--

क्या माननीय विधायक मंत्री हो गय हैं जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जितने लोग प्रश्न कर रहे हैं, कोई मन्त्री नहीं है । जेतली साहब भी मंत्री नहीं हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय विधायक के प्रश्न से सम्बन्धित मेरा प्रश्न सुझाव रूप में है । जो धुलाई भत्ता मांग रहे हैं क्या माननीय मंत्री जो विरोध पक्ष को धुलाई भत्ता देने की कृपा करेंगे जिससे यह गन्दगी साफ कर लें ?

अतारांकित प्रश्न

जालौन जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरों का भुगतान

1--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 25 जुलाई, 1980 तक किन ग्रामों के कितने मजदूरों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था तथा सम्पूर्ण बकाया मजदूरी कितना खाद्यान्न देना बाकी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2--श्री राम कुंवर सिंह--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

3--श्री विद्या सागर नौटियाल--

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

खाद्यान्न योजना को चालू रखने की मांग

4--श्री राज कुमार राय--

क्या पंचायत राज मन्त्री बतायेंगे कि काम के बदले अनाज योजना को आगे चालू रखने का सरकार का इरादा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

भारत सरकार के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी क्योंकि वह योजना भारत सरकार द्वारा ही चलाई गयी है ।

श्री मोहम्मद शब्बीर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद शब्बीर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा अन्य अनियमितताओं सम्बन्धी कितनी शिकायतें जनवरी, 1980 से अब तक प्राप्त हुई ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मो0 शब्बीर, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ के विरुद्ध जनवरी, 1980 से अब तक कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच चल रही है ।

6--श्री राधे श्याम पटेल--

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चक गंजरिया फार्म एवं आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब लखनऊ के कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता

7—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या बारह-ई0-1-49-2 (40)/72-322-प-1, दिनांक 7 नवम्बर, 1958 पशुधन (1) अनुभाग के द्वारा चक गंजरिय फार्म तथा आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी तालाब, लखनऊ पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, उक्त शासनादेश के अनुसार नगर की अर्हकारी सीमा में रहने वाले चक गंजरिया फार्म एवं बक्शी का तालाब, आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है ।

8—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

फल शोध केन्द्र, बस्ती के परिवर्तित नाम औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र के ट्रक द्वारा पौधों की आपूर्ति

9—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य कि फल शोध केन्द्र, बस्ती में अब शोध कार्य बन्द कर दिये गये है और इसका नाम बदलकर औद्यानिक उपयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

फल शोध केन्द्र, बस्ती में आरम्भ से ही देश तथा विदेश में हुए मौलिक औद्यानिक शोध परिणामों का प्रदेश की जलवायु के परिप्रेक्ष्य प्रयोग एवं प्रशिक्षण कराया जाता रहा है । इस कार्य को बन्द नहीं किया गया है और अब भी प्रयोग एवं परिक्षण कार्य यथावत हो रहा है । इसके अतिरिक्त विभागीय विकासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को अद्यावधिक तकनीकी प्रविधियों की जानकारी कराने के लिये उक्त केन्द्र पर निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाने लगा है । इसीलिये उक्त केन्द्र का नाम औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र कर दिया गया है जो कि वहां हो रहे कार्यों के अनुरूप है ।

10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री को मालूम है कि उक्त निदेशक उद्यान बस्ती के अधीन एक आजकीय ट्रक है ? क्या यह सत्य है कि ट्रक द्वारा किसानों को मुफ्त पौध (पूर्ण ट्रक लोड) पहुंचाने के आदेश है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में किन-किन किसानों को ट्रक द्वारा कुल कितना पौध पहुंचाया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारियों के मांग के अनुसार व विभिन्न कृषकों को ट्रक द्वारा विगत 3 वर्षों में 60,323 पौधे पहुंचाये गये ।

11—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त ट्रक गत तीन वर्षों में कुल कितने किलोमीटर चलाई गई तथा इस तीन वर्षों में इस पर कुल कितना धन डीजल आयल, मोबिल आयल, मरम्मत तथा रखरखाव में मदवार व्यय किया गया ? 1 अगस्त, 1979 से 31 अगस्त, 1980 तक कुल कितना लीटर डीजल हेतु बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जनपदों में ट्रक हेतु परमिट बनवाया गया तथा क्रय किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

44,630 किलोमीटर चलाई गयी ।

इस अवधि में कुल रु0 41,359.86 व्यय हुआ । मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1 डीजल आयल रु0 12,018.25 ।

2 मोबिल आयल रु0 3,513.42 ।

3 मरम्मत रु0 10,430.54 ।

4 रखरखाव रु0 15,397.65 ।

अगस्त, 79 से 31 अगस्त, 80 तक बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ में निम्न प्रकार परमिट बनवाया गया तथा डीजल क्रय किया गया :—

जनपद	बनवाये गये परमिट ली0	क्रय किया गया डीजल ली0 में
बस्ती	1220	1220
गोरखपुर	248	248
देवरिया	..	..
आजमगढ़	..	..
	1468	1468

1053 लीटर डीजल बस्ती से इस ट्रक के लिये बनवाये गये कार्ड पर क्रय किया गया ।

विकास खण्ड, गोसाईगंज एवं माल जिला लखनऊ के सहायक विकास खण्ड अधिकारियों की पदोन्नति

12--श्री सन्त बक्श रावत--

क्या पंचायत राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं माल में कौन-कौन सहायक खण्ड विकास अधिकारी, दिनांक 14-7-80 के पूर्व स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहें थे ? क्या यह सही है कि ज्येष्ठ सहायक खन्ड विकास अधिकारी, गोसाईगंज को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और कनिष्ठ सहायक खन्ड विकास अधिकारी, माल को कार्यरत रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खन्ड गोसाई गंज में श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा विकास खण्ड माल में श्री बाबू सिंह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खन्ड-विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, जो नियमित खन्ड विकास अधिकारियों के योगदान से क्रमशः 14-7-80 तथा 22-8-80 को अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गए । इनमें श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र वरिष्ठ सहायक-विकास अधिकारी हैं । ज्येष्ठ सहायक खन्ड-विकास अधिकारी को पहले प्रत्यावर्तित कर दिए जाने तथा कनिष्ठ सहायक खन्ड विकास अधिकारी को कार्यरत रखे जाने के कारणों की छानबीन हो रही है ।

सहायक कृषि निरीक्षक, डिंडई, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

13--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि बीज गोदाम डिंडई वि0 खं0 रुधौली, जनपद बस्ती के इंचार्ज स0 कृ0 निरीक्षक के विरुद्ध उस क्षेत्र के किसानों ने ख0 वि0 अ0 रुधौली को कोई शिकायती-पत्र माह मई-जून, 80 में दिया था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र भी 7-6-80 को कृषि मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या खं0 वि0, अधिकारी, रुधौली ने कोई जांच आख्या जि0 वि0 अधिकारी, बस्ती को मह जून, 80 में प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो खन्ड विकास अधिकारी की जांच आख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 7-6-80 प्राप्त नहीं है । खन्ड विकास अधिकारी रुधौली ने जून, 80 में जांच आख्या प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने सहायक कृषि निरीक्षक डिंडई के विरुद्ध धन का अपहरण तथा अभिलेखों की जालसाजी का आरोप सिद्ध होना बताया है ।

लघु कृषक विकास अभिकरण, बस्ती द्वारा धनराशि का आवंटन

14-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर लघु सीमान्त कृषक विकास अभिकरण द्वारा गत वर्ष लघु कृषकों को 19 लाख रुपये लगभग सहायता दी गई जब कि इस वर्ष जून, 80 तक मात्र 43 हजार की सहायता दी गयी तथा सीमान्त कृषकों को उक्त अवधि तक 4 हजार रुपये की सहायता दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979-80 में लघु कृषक विकास अभिकरण गोरखपुर के अंतर्गत कुल 22 लाख रुपया व्यय हुआ जिसमें से उक्त वर्ष में लघु/सीमान्त कृषकों को 16.29 लाख रुपये की सहायता दी गई। वर्ष 1980-81 में उक्त अभिकरण में जून, 1980 तक केवल 43 हजार रुपया व्यय हुआ, किन्तु लघु एवं सीमान्त किसानों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिलाधिकारी, गोरखपुर को उक्त परियोजना की प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देश दिये गए हैं।

जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

15-श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा अन्त्योदय तथा आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत की गयी गम्भीर अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों के सम्बन्ध में दिनांक 4-7-80 को प्राप्त हुआ है ? इसी सन्दर्भ में क्या समस्त ग्राम सेवक एवं ब्लाक स्टाफ, फैजाबाद का दिनांक 18 जुलाई, 1980 का प्रेषित कोई शिकायती-पत्र भी शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, नियोजन मन्त्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र, दिनांक 4-7-80 शासन को प्राप्त हुआ था। इस सन्दर्भ में समस्त ग्राम सेवक एवं ब्लाक स्टाफ, फैजाबाद का दिनांक 18 जुलाई, 1980 का प्रेषित कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 4-7-80 के शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं से मिलते-जुलते जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद के कुछ कर्मचारियों का बिना हस्ताक्षरित शिकायती पत्र, दिनांक 4-4-80 तथा श्री राम किशोर जायसवाल, उपाध्यक्ष, नेहरू ब्रिगेड, हैदरगंज, फैजाबाद के शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-80 तथा 27-4-80 की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद से कराई गयी। उन्होंने इनकी अलग-अलग जांच की तथा सभी शिकायतों को निराधार बताते हुए संग्रहीत किये जाने का अनुरोध मण्डलायुक्त से किया। जांच रिपोर्ट शासन स्तर पर भी देखी गयी। चूंकि शिकायतें सामान्य किस्म की थीं, जिनकी जांच तीन बार जिलाधिकारी से करा ली गयी थी तथा रिपोर्ट से मण्डलायुक्त भी सन्तुष्ट थे, अतएव शासन के अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 31-7-80 द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को यह अवगत करा दिया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा की गयी जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं।

16-श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि समस्त ग्राम सेवक एवं विकास स्टाफ, जनपद फैजाबाद ने श्री फरहत अली, आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को जनपद में आई0 आर0 डी0 एवं अन्त्योदय योजना में की जा रही गम्भीर अनियमितताओं की जांच एवं उचित कार्यवाही हेतु कोई शिकायती-पत्र जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध माह जुलाई, 1980 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री फरहत अली, माह जुलाई, 1980 म आयुक्त, फजाबाद मण्डल, फजाबाद के पद पर कार्यरत नहीं थे । समस्त ग्राम सेवक एवं विकास स्टाफ फजाबाद का बिना हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1980 मण्डलायुक्त को दिनांक 1 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ था । इस शिकायती-पत्र से मिलते-जुलते जिला विकास कार्यालय फैजाबाद के कुछ कर्मचारियों का बिना हस्ताक्षरित शिकायती पत्र, दिनांक 4-4-80 तथा श्री राम किशोर जायसवाल, उपाध्यक्ष, नेहरू ब्रिगेड, हैदरगंज, फैजाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-80 तथा 27-4-80 प्राप्त हुआ था । इन तीनों शिकायती पत्रों की जांच जिलाधिकारी फैजाबाद से कराई गई । उन्होंने इनकी अलग-अलग जांच की तथा सभी शिकायतों को निराधार बताते हुए संग्रहीत किये जाने का अनुरोध मण्डलायुक्त से किया । चूंकि शिकायती पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1980 में दिये गये लगभग सभी शिकायतों की जांच जिलाधिकारी द्वारा करा लिया गया था, अतः इसकी पुनः जांच कराने की आवश्यकता मण्डल युक्त द्वारा नहीं समझी गई ।

जिला परिषद्, आजमगढ़ के कर्मचारियों का स्थायीकरण

17--श्री झिलमिट राम--

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जिला परिषद् आजमगढ़ में कितने कर्मचारी एक वर्ष से अधिक अस्थायी कार्यरत हैं ? उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद् आजमगढ़ में 47 कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय से अस्थायी कार्यरत हैं । जिला परिषद् द्वारा इनके अभिलेख पूर्ण कराकर स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

देसही देवरिया, विकास क्षेत्र, जिला देवरिया के अन्तर्गत पम्पिंग सेट हेतु दिया गया ऋण एवं अनुदान

18--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले के देसही देवरिया ब्लाक में एक जून, 1977 से 30 जून, 1980 तक कितने किसानों को पम्पिंग सेट लोन (कर्ज) पर दिए गये थे ? कितने किसानों को पम्पिंग सेटों हेतु अनुदान दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जिले के देसही देवरिया ब्लाक में 1 जून, 1977 से 30 जून, 1980 तक 181 किसानों को पम्पिंग सेट लगाने के लिये कर्ज दिया गया है जिसमें से 105 किसानों को पम्पिंग सेट पर अनुदान दिया गया है ।

विकास क्षेत्र, मथुरा एवं गोवर्धन, जिला मथुरा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण

19—श्री कन्हैया लाल—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे की पिछले वर्ष जनपद मथुरा के मथुरा विकास क्षेत्र एवं गोवर्धन विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत अलग-अलग काम के बदले अनाज योजना एवं सूखा योजना के अन्तर्गत कुल कितना कार्य हुआ (वर्ग मीटरों में) एवं इस कार्य के बदले कुल कितना खाद्यान्न वितरित हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1979-80 में जनपद मथुरा के विकास क्षेत्र, मथुरा तथा गोवर्धन में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के किए गए कार्यों तथा श्रमिकों को वितरित खाद्यान्न का विवरण निम्न प्रकार है :—

विकास खंड	योजना का नाम	संख्या	लम्बाई (कि0 मी0) क्षेत्रफल	किया गया कार्य (घन मीटर मे)	श्रमिकों को वितरित खाद्यान्न (कुंतल में)
मथुरा	(1) सम्पर्क मार्ग	42	105·631	7,03,182	9,032·99
	(2) तालाब की खुदाई	7	..	74,552	1,362·01
गोवर्धन	(1) सम्पर्क मार्ग	67	175·484	11,93,808	16,865·53
	(2) तालाब की खुदाई	6	..	13,832	246·95
	(3) स्कूल के मैदान में मिट्टी भराई	1	..	3,752	62·62
	योग ..	123	281·115	19,89,126	27,570·10

जालौन जिले के पशु चिकित्सक एवं बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

20—श्री रामलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जालौन जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी (श्री राम सनेही) ने दो माह पूर्व एक जांच आख्या भेजते हुए अन्त्योदय योजनाएं एक बी0 डी0 ओ0 और एक पशु चिकित्सक को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त अधिकारियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, अपनी जांच अवधि में अतिरिक्त जिलाधिकारी, जालौन (श्री राम सनेही) ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक धन के गोल-माल की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की विस्तृत जांच सी० आई० डी० से कराये जाने की संस्तुति जिलाधिकारी को दी थी। चूंकि इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा गृह विभाग से किया गया है अतएव सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित किये जाने आदि विभागीय कार्यवाही, सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट के प्रकाश में की जायेगी।

जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा सगड़ी एवं घोसी में लगाये गये कर

21--श्री मोहन सिंह--

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे जिला परिषद् आजमगढ़ वर्ष 1976-77, 1977-78 में कार्य अधिकारी द्वारा सगड़ी एवं घोसी के किन-किन करदाताओं पर पांच सौ रुपए कर प्रस्तावित किया गया था उनमें से कितने का कर उसी अधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

घोसी के आठ तथा सगड़ी के 17 व्यक्तियों पर कर अधिकारी द्वारा 500-500 रु० का कर प्रस्तावित किया गया, जिसमें से केवल एक व्यक्ति का कर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी ने कर समिति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए समुचित वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात् माफ कर दिया।

बहराइच जिले की ग्राम सभा परगहवा में कूप निर्माण

22--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बहराइच के मिहीपुरवा विकास खण्ड की न्याय पंचायत भगवानपुर कुर्मियाना में कूप नं० दो तीन वर्षों से निर्माणाधीन है ? क्या यह सही है कि केवल भगाड़ खोद कर लगभग दो फीट की गोले की जोड़ाई कराकर छोड़ दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बहराइच के विकास खंड मिहीपुरवा के अन्तर्गत न्याय पंचायत भगवानपुर कुर्मियाना में स्थित ग्राम सभा परगहवा के अन्तर्गत वर्ष 1977 में क्षेत्र निधि से रुपये 2,500 के अनुदान से एक पेयजल कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इस कुएं पर उसी वर्ष निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया था तथा अब तक 8·40 मीटर चिनाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कुएं में 6·80 मीटर गहरा जलस्तर है।

इसका आगणन जल स्तर तक 14 इंच की चिनाई तथा जल स्तर से ऊपर 9 इंच की चिनाई करने के आधार पर स्वीकृत था, परन्तु ग्रामवासी नीचे से ऊपर तक 14 इंच की चिनाई चाहते थे। अब कुएं में आने वाले अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति क्षेत्र निधि से दे दी गई है।

अस्थायी सूची में प्रश्न आने के उपरान्त निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 19 मिनट]

श्री राम आसरे वर्मा--

पहले जेतली साहब अपने दिमाग की सफाई के लिए इन्तजाम कर लें। प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं लेने के लिये खड़ा हो गया हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आया । मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के सम्बन्ध में है । आज के एजेन्डे में देखें नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या 1 और 2 । एक की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है । मान्यवर, दो प्रश्न ऐसे हैं जो पहले एजेंडे में छप गये थे । उसके बाद सूचना अलग दी है क्योंकि जो लोग इन प्रश्नों से प्रभावित हो रहे थे, उन लोगों ने तरह-तरह के दबाव डाले कि किसी तरह से वापस ले लें । उसके बाद किसी तरह से आज एजेंडे में लिखा है कि आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त कर दिये गये हैं। अब क्यों निरस्त हुआ, यह नहीं जानते । अगर आश्वासन समिति के सुपुर्द भी है तो 1977-78 में हुआ होगा । 1977-78 में आश्वासन समिति के सुपुर्द किये तो, मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण में दिया है कि--"90 प्रतिशत सरकार द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन. आश्वासन समिति या सदन के विघटन पर समाप्त नहीं होंगे जब तक कि नयी सरकार उनको अस्वीकार न करे । तो, मान्यवर, 77-78 में यह आश्वासन समिति के सुपुर्द किया गया । उसके बाद तत्कालीन सरकार के विघटन के बाद आज यह नयी सरकार है । जो आश्वासन उस सरकार ने दिया था उनको माननीय मंत्री जी भूल रहे हैं या नहीं हमारे ऐजेंडे में छपकर आ गया है । जो पहले के आश्वासन हैं, उनके बारे में बात है । तत्कालीन सरकार में उस समय के जो कृषि मन्त्री थे...

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था के विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विषय से अलग नहीं जाऊंगा । व्यवस्था पर भी आ रहा हूं । जिस दिन कृषि का बजट था....

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उस समय के माननीय मंत्री जी ने आश्वासन हाउस में दिया था कि एक कर्मचारी को बहाल कर देंगे। कृषि मंत्री का आश्वासन था कि रिइन्सटेट कर देंगे । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और

आदेश भी कर दिया । लेकिन वह फाइल पड़ी है । वह अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे रहते हुये यह बहाल नहीं हो सकता है । मंत्री के आश्वासन का तो यह हाल है इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न आश्वासन समिति को दिये गए हैं, उनका पालन हो पायेगा कि नहीं ?

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन समिति के परिधि में आश्वासन हैं, उनको आज भी स्वीकार करते हैं, तब तो कोई बात नहीं है । कम से कम इस माननीय सदन में कह दें कि जो पहले शासन द्वारा आश्वासन दिये गये हैं, उनको यह शासन पूरा करेगा । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, माननीय, इस शासन को पहले शासन द्वारा किये गये आश्वासनों को रिवाइज करने का अधिकार है कि नहीं ? अगर माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न किये गये हैं, उनके बारे में जो आश्वासन दिये गये हैं, और जो आश्वासन समिति के सुपुर्द होने के कारण विचाराधीन हैं, क्या माननीय मंत्री जी उनको पूरा करेंगे कि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक आपने प्रश्नों के बारे में व्यवस्था मांगी है, प्रश्नों के दौरान व्यवस्था नहीं उठती । इसी तरह से व्यवस्था के दौरान व्यवस्था नहीं उठती । अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न के स्थगन की तरफ ध्यान आकर्षित किया । आपने नियमावली की तरफ ध्यान आकर्षित किया । व्यवस्था की अपेक्षा मंत्री जी से की । इसमें लिखा हुआ है कि आश्वासन समिति के विचाराधीन है । प्रदर्शन में तो यही देखकर करते हैं । अब जब तक कि इन प्रश्नों की पत्रावलियों को न देख लेंगे और उससे नियमावली को देखकर संतुलन न कर लें, ऐसे प्रश्नों पर व्यवस्था नहीं देनी चाहिये । इसलिये इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित करता हूं ।

अब हम आगे चलते हैं ।

ग्राम खानपुर गुरैला थाना खीरी निवासी श्री बाबू हरिजन की पुत्री कु0 माया के साथ दुराचार तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 में केवल 12 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से 5 स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की है ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 28 सितम्बर, 1980 ई0 को उसी क्षेत्र के कुछ बअसर लोगों ने जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम खानपुर गुरैला थाना खीरी के निवासी श्री बाबू हरिजन की 15 वर्षीय पुत्री माया का असमत लूटी और बाद को दुराचारियों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं तथा उसका दाहिना स्तन बुरी तरह से काट डाला । पता चला है कि पहले तो पुलिस ने उपरोक्त घटना को दबाने का प्रयास किया किन्तु जब माया की हालत अधिक बिगड़ गयी तो बड़ी मुश्किल से बनमाने ढंग से रिपोर्ट दर्ज की गयी । अस्पताल में माया की हालत बहुत गंभीर है और वह अब अंतिम सांसें ले रही है फिर भी अब तक कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव---]

की गयी है और न तो थाना खीरी की पुलिस द्वारा इतनी बड़ी घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी नहीं दी गयी।

उपरोक्त हृदय विदारक घटना से जन मानस में विशेषकर निर्बल और असहाय लोगों को शासन की ओर से घोर निराशा हुई है।

अतः शासन से मेरा अनुरोध है कि उक्त घटना को पुलिस द्वारा दबाने तथा बाद को गलत रिपोर्ट दर्ज कराने और अब तक सम्बन्धित दुराचारियों को गिरिफ्तार न किये जाने से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों का अविलम्ब निलम्बित किया जावे और दुराचारियों को तत्काल गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जावे तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जावे।

लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये गये प्रदर्शनों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा किये गये प्रदर्शन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आये लगभग 40 हजार शिक्षकों ने राजधानी के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए विधान भवन के निकट जी० पी० ओ० पार्क में एक रैली आयोजित किया। शिक्षक संघ की मान्यता है कि शिक्षकों के वर्तमान संकट से प्रदेशीय शासन पूर्ण रूप से परिचित है। उसकी दिशाहीनता राष्ट्रीय मूल्यों के सृजन में उसकी अक्षमता तथा बेकारी, बेरोजगारी, अनुशासनहीनता एवं साम्प्रदायिकता के मूल में वर्तमान शिक्षा तथा उसकी व्यवस्था ही है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की ओर से राज्य सरकार को उनकी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया है।

शिक्षकों की मांगों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था की तत्काल समाप्ति के साथ-साथ जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक भावना तथा जातिवाद के जहर को मिटाने और समाजवादी समाज की संरचना के लिए निर्धन और धनवान के लिए समान प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना शामिल है।

अन्य प्रमुख मांगों में अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए शिक्षा सेवा आयोग का गठन वेतन आयोग की रिपोर्ट का शीघ्र प्रकाशन तथा तत्काल अन्तरिम सहायता में वृद्धि, पेंशन की विसंगतियों को दूर करना शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने असहायिक विद्यालयों को वेतन वितरण की परिधि में लेना आदि शामिल है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षा के हित में शिक्षकों के हित में तथा शिक्षार्थियों के हित में तत्काल शिक्षक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर समस्याओं का समाधान किया जाय।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों के चयन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगत सूचना।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय विषय का प्रश्न लाना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सन् 1980–81 के लिए अभ्यर्थियों के चयन एवं प्रवेश में बड़ी भारी धांधली हुई हैं। सम्बन्धित अधिकारियों, जिनमें प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं परगनाधिकारी पद के नाम उल्लेखनीय हैं, ने आपस में षड्यन्त्र करके वरीयता के आधार पर तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर एक सरासर फर्जी सूची तैयार की जिसमें योग्यता एवं वरीयता का उल्लंघन करके पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया। यहां तक कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनको 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक अंक प्राप्त हुए थे, को नजरन्दाज किया गया और 40 व 42 प्रतिशत के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। फर्जी अंक तालिकाएं तैयार की गयीं। अनुसूचित व जन जातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित करके फर्जी व झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर सवर्ण जातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश व चयन के मामले में लाखों रुपयों का घोटाला है जिससे समस्त जनपद में रोष व्याप्त है।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कांड की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करें व योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करायें।

जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, दुबारी, आजमगढ़ के प्रवक्ता श्री जगदीश सिंह के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में अविलंबनोय लोकमहत्व का यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील में जनता शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज दुबारी में पिछले तीन वर्षों से श्री जगदीश सिंह, प्रवक्ता, भौतिक शास्त्री, कुछ अपवादों को छोड़कर, कभी भी विद्यालय पर उपस्थित नहीं रहे। और न तो उन्होंने विद्यार्थियों को कभी पढ़ाया अपने संगठन बल तथा ताल–तिकड़म के बल पर जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ पर हमेशा हावी रहे और बराबर उस अनुपस्थिति काल का वेतन लेने की कोशिश करते रहे। प्रबंधाधिकरण ने उनके अनुपस्थिति और गलत अवकाश को अस्वीकृत कर दिया तो उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को छल पूर्वक प्रभावित कर प्रबन्धाधिकरण को भंग कर दिया और अपने षड्यंत्र से श्री के0 डी0 सिंह सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया। मेरी सूचना के अनुसार उक्त नियंत्रक श्री सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया यद्यपि प्रबंधाधिकरण द्वारा रुग्णावकाश और अनुपस्थित में प्रार्थनापत्रों को अवैधानिक रूप से श्री जगदीश सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने स्वीकार भी कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

किया था । इस अन्याय पूर्ण रवैये को देखकर विद्यालय के समस्त 35 शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी विगत एक सप्ताह से पूर्ण हड़ताल पर हैं । गांव तथा आस-पास के विद्यालय में इस बात का महान क्षोभ है और वातावरण अशांत हो चुका है । प्राधिकृत नियंत्रक न केवल अवैधानिक, पक्षपात पूर्ण पूर्वाग्रह युक्त और अनैतिक आदेश ही दिये बल्कि शिक्षक जगत के लिये यह अभूतपूर्व और बहुत ही गलत परम्परा होगी कि एक व्यक्ति बिना विद्यालय गये सारा वेतन ले लें और प्रबंधाधिकरण को भंग करा दे तथा प्रबंधाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करा दे । विद्यालय की अपूर्णनीय क्षति हो रही है । पार्श्ववर्ती विद्यालयों में भी यह आग फैल रही है जिससे लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका है ।

अतः शासन से मांग करूंगा कि समस्या को समय रहते समझ ले और इस बात का यत्न करे कि जनपद में होने वाली हड़ताल रुक जाये और शैक्षिक वातावरण बना रहे । इसकी सूचना जिलाधिकारी, आजमगढ़ तथा परगनाधिकारी, घोषी को भी दी जा चुका है

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कतिपय ग्रामों के पट्टों का नाप न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश सिंह--

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर की अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, ग्राम कन्दहरापुर में करीब दो वर्ष हो चुके हैं हरिजन व पिछड़े वर्ग को पट्टे दिये गये हैं । अभी तक उन पट्टों की नाप नहीं हुयी है । गरीब काश्तकार लगान भी दे रहे हैं बार-बार तहसील के चक्कर भी लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । जहां पर उन्हें पट्टे दिये गये हैं वहां पर तीन गांव की सीमा मिलती है । वह ग्राम लक्ष्मीपुर व देवरास है और वहां पर तीनों गांव में बहुत बड़ा झगड़ा है ? क्योंकि वहां पर पट्टे उन गांव वालों को दिये गये हैं । तीनों गांव में इतना संघर्ष है कि वहां पर बलवा होने की अत्यंत संभावना है । मैंने कल स्वयं कानूनगो क्षेत्र जलालपुर से कहा कि वह पट्टों की जमीन तुरन्त नाप दीजिए क्योंकि तीन गांव का मसला है बलवा हो जाने की संभावना है । कानूनगो ने मुझे जवाब दिया कि मैं कहां-कहां देखूं । उनकी बात से साबित होता है कि अभी पट्टे अन्य गांव के नहीं नपे हुये हैं । ये गांव कानूनगो के क्षेत्र में पड़ते हैं । मैंने कानूनगो से कहा कि आप मुझे बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं । क्योंकि जहां पर तीन गांव की समस्या है पट्टे नहीं नपे हैं । फसल उनकी जमीन पर जबरदस्त आदमी बोये हुये हैं बलवा की पूर्ण सम्भावना है आप कह रहे हैं कि ऐसे मामले कहां तक देखूं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप पट्टों की जमीन तुरंत नपवा दें और फसलें दिलवा दी जायं जिससे वे लोग झगड़े से बच सकें ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मिस्त्यार खां के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मिस्त्यार खां 12 सितम्बर, 1980 को हम लोगों के बीच से चले गये । आपका जन्म इस सदी

के उस पार 1896 में हुआ था । 1974 में इस सदन के सदस्य रहे और 1980 में संसद में चुन कर गये । जिस गांव में आपका जन्म हुआ था, वहां पर आपने एक इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी और एक आंख के अस्पताल में बहुत बड़ा सहयोग दिया था । आपने विदेश में सऊदी अरब और अन्य देशों की यात्रा किया । आपके निधन से एक समाजसेवी और देशसेवी हम लोगों के बीच से अलग हो गये । मान्यवर, आपके माध्यम से संतप्त परिवार के प्रति अपने दल की भावनाओं को हम प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, श्री मिस्रयार खां एक बड़े ही समाजसेवी व्यक्ति थे । बरेली और रामपुर जिले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो श्री मिस्रयार खां के नाम से और उनकी सेवाओं से परिचित नहीं था । मैं स्वयं उनको अच्छी तरह से जानता था और उनके निवास पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ । मैंने यह देखा कि श्री मिस्रयार खां के पास कभी भी किसी भी दल या धर्म या सम्प्रदाय का व्यक्ति गया हो, लेकिन वह उसी आदर का पात्र होता था । जिस तरह से उनके अपने लोग हों । किसी ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि मिस्रयार खां किसी दूसरे विचारों से सम्बद्ध थे । मान्यवर, जब वह पहली बार चुनकर 1974 में इस विधान सभा में वह आए तो उस समय भी वह विधान सभा के सदस्यों में बड़े लोकप्रिय हो गये थे । उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी भूमि को बिना किसी धन के अपने क्षेत्र के निर्धन व्यक्तियों को वितरित कर दिया था । जब वह लोक सभा के सदस्य चुने गये उस समय से वह अधिकतर बीमार रहे । दुर्भाग्य से मैं उस दिन भी वहां मौजूद था जब उनका निधन हुआ । मैंने ऐसा अनुभव किया कि उनके निधन से हमारे प्रदेश ने एक बहुत बड़ा समाजसेवी व्यक्ति खो दिया है जिसकी पूर्ति आसानी से संभव न होगी । मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि जो भावनाय नेता सदन ने व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के साथ हमारी और हमारे दल की भावनाओं को जोड़कर उनके संतप्त परिवार तक हमारे जो संवेदना के शब्द हैं वह पहुचाने का कष्ट करे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, श्री मिस्रयार खां साहब ने उम्र तो 85 साल की पायी मगर काम वह सदियों के लिए कर गये । मान्यवर, मैं उन तमाम विचारों से, जो माननीय नेता सदन और माननीय उप नेता लोक दल ने जाहिर किए हैं, अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हू । जनाब मिस्रयार खां साहब बाशिन्दे रियासत रामपुर थे और खास बात यह है कि शुरू से आखिर तक बेताज के बादशाह वह थे । उनके यहां पैट लगती थी और सोने चांदी के व्यापारी जेवर बेचने आते थे और उनका हुक्म था कि रात के 12 बजे तक वे दूकान करते रहें और जब दूकान का काम खत्म होता था तो उनके आदमी हाथ में बन्दूक लेकर उन सर्राफों को उनके घर तक पहुंचाने जाते थे और जब वह सर्राफ अपने घर पहुंच जाते थे और कहते थे कि हम आ गये अपने घर तभी उनके बन्दूकची वहीं से चलते थे । उनका इन्तजाम बहुत अच्छा था । वह ऐसे आदमी थे जिन्होंने बहुत सी मिसालें कायम की और जो रास्ता उन्होंने दिखाया तथा तरीका अख्तियार किया उससे इंटेग्रिटी तथा कंसालिडिरिटी पैदा होती थी । जिस कंसालिडिरिटी तथा इंटीग्रेशन के लिए हम स्कीमें बनाते हैं वह जीते जागते नमूने हैं इस बात के । वह पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, लेकिन कढ़े हुए थे जिससे लोगों का दिल मोह लेते

[श्री फखरे आलम---]

थे । ऐसे शख्श का हमारे बीच से चला जाना दुःख की बात है । गरीब जनता में जिन लोगों का कोई साथी नहीं होता था उनकी वह मदद करते थे, उनका बचाव करते थे जिनके साथ ज्यादती होती थी उनके इन्तकाल से उनको बहुत दुःख पहुंचा है । मैं अपने और अपने दल की तरफ से इस मौके पर यह इजहार राय करता हूं कि आप उनके दुखी परिवार को यह पैगाम पहुंचा दें कि हम उनके दुःख में पूरी तरह से शरीक हैं और मेरी दुआ है कि उनकी रूह को अमन व शान्ति नसीब हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अभी स्वर्गीय मिस्त्रयार खां साहब के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, उप नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (आर) द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । यह बात सही है कि खां साहब को दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त था और बड़े ही लोकप्रिय समाजसेवी थे और गरीब लोगों के सहारा थे । वह विधान सभा के सदस्य भी रह चुके थ और लोक सभा के भी सदस्य रहे । आज वह हमारे बीच से चले गये जिससे यह बात सही है कि एक अभाव हमारे बीच उत्पन्न हो गया है । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस रास्ते पर वह चले उससे हम नसीहत लें । मैं अपना तथा अपन दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जिसे उनके शोक संतप्त परिवार तथा उस क्षेत्र को जनता तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, श्री मिस्त्रयार खां साहब के बारे में जो विचार नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने उनके प्रति प्रकट किए हैं मैं अपने को तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मिस्त्रयार खां साहब 85 वर्ष के हो गये थे । उनकी उम्र लम्बी हो गयी थी लेकिन जैसा कि बताया इस समय भी वह लोक सभा के सदस्य थे । उनके चले जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा असर था । लिहाज हम उस क्षति को पूरा नहीं कर सकते । इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे और हमारे दल की ओर से संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री मिस्त्रयार खां के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और दूसरे नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं बचपन में उनको 1957 से भी पहले जानता था । वे जिस हवा के आदमी थे उस हवा के आदमी आज रामपुर जिले में मिलना बहुत मुश्किल है । मैं चाहूंगा कि आप मेरी और मेरे दल की इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

श्री बद्री कुमार यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मिस्त्रयार खां जी के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और दलों के नेताओं ने प्रकट किये हैं मैं भी उनके साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री मिस्त्रयार खां इस माननीय

सदन के सदस्य रहे और अब वे लोक सभा के सदस्य थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस भावना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मिस्त्रयार खां के निधन पर मैं अपनी और अपने प्रगतिशील विधायक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वर्गीय श्री मिस्त्रयार खां सन् 1974 में इस सदन के सदस्य होकर आये थे और मुझे भी उनके साथ इस सदन में सदस्य होने का सौभाग्य हुआ था। उनकी भारी भरकम काया और उनका अच्छा मृदु-व्यवहार लोगों को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करता था। मुझे आज भी याद है कि वे इस सदन में इस बेंच पर (बेंच की ओर इशारा करते हुए) यहां बैठा करते थे और भारतीय क्रान्तिदल से चुन कर आये थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने स्वतः उनका परिचय प्राप्त किया और मुझे ऐसा लगा कि वह एक अत्यन्त सहृदय मानव हैं, एक बुजुर्ग हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के नाते, अपनी जनसेवा के नाते जैसा कि अभी नेता सदन ने कहा कि वे जिस इलाके से आते थे वहां उन्होंने एक मदरसे की व्यवस्था की थी और एक आंख के अस्पताल में भी उनका योगदान था। इसके अलावा भी जो जनसम्पर्क उनका रहा है उसका सबूत उन्होंने संसद का चुनाव जीत कर दिया है। वे संसद सदस्य भी रहे। परन्तु इस दुनिया की जो गति है उससे न कोई बच सका है और न ही बचेगा। इसी तरह से वे हमारे बीच से चले गये। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने के लिए अपार शक्ति दे। हम इस मौके पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सबकी भावनाओं को उस शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

ग्रामा विकास मंत्री श्री, भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर, सदस्यगण विधान सभा ने दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को माननीय ग्रामा विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्यगण का कहना है कि प्रथम सत्र, 1980 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 29 अगस्त, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 'क' ने अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर में माननीय ग्रामा विकास मंत्री ने बताया कि 5 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है परन्तु यह सूचना सही नहीं है। माननीय सदस्यगण का यह भी कहना है कि उनको निजी जानकारी के

[श्री उपाध्यक्ष---]

अनुसार "उक्त कर्मचारी" को 15 सितम्बर, 1980 को विभाग में काम करते देखा गया और इस प्रकार माननीय मंत्री ने सदन को गुमराह करने के लिए बयान दिया है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय गन्ना विकास मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी । माननीय मंत्री ने मुझे इस सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 29 अगस्त, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संदर्भ में उनके द्वारा निम्न प्रकार सूचना दी गयी थी :--

"वर्ष 1978-79 में देवरिया जनपद में बैतालपुर परिच्छेद में पेड़ी गन्ने पर यूरिया खाद के छिड़काव में की गई अनियमितताओं में एक ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, एक गन्ना विकास निरीक्षक तथा एक सहायक गन्ना विकास निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था ।" और "वर्ष 1979-80 में लखीमपुर जनपद में गोला परिक्षेत्र में यूरिया छिड़काव की अनियमितताओं में दोषी पाये गये एक सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया था ।" माननीय सदस्यगण के इस आरोप के सम्बन्ध में कि उन्होंने 5 अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में बयान दिया था, माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में केवल 4 अधिकारियों के निलम्बन किए जाने की सूचना दी थी, 5 की नहीं, जिसमें से बैतालपुर परिक्षेत्र के 3 अधिकारियों को जांच अधिकारी की संस्तुति पर दिनांक 12-9-80 को पदारूढ़ किया गया है, और चूंकि प्रश्न का उत्तर दिनांक 29 अगस्त, 1980 को दिया गया था तथा निलम्बित व्यक्ति दिनांक 12 सितम्बर, 1980 को पदारूढ़ किए गए हैं अर्थात् वे कर्मचारी 11 सितम्बर, 1980 तक निलम्बित रहे हैं, अतः उनके द्वारा कोई गलत बयान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मैंने माननीय गन्ना विकास मंत्री द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1980 को दिए गए उक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर तथा माननीय मंत्री द्वारा अपने पत्र में बताई गई स्थिति का अवलोकन किया उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने सदन में 29 अगस्त, 1980 को गलत बयानी की थी । शिकायतकर्ता माननीय सदस्यों ने ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुचा जा सके कि सदन को जानबूझकर गुमराह किया गया है । अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्रम मन्त्री, श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी का मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के बारे में । जो मैंने सूचना दी थी, उसमें क्या रहा इसमें मुझे यह कहना है कि ...

श्री उपाध्यक्ष--

आप जानते हैं कि जब आप ऐसी सूचना देते हैं तो मैं छानबीन करता हूं और उसके बाद ही कोई निर्णय करता हूं । इस सूचना के बारे में भी किया है ।

बात सुनने की स्थिति तब आयेगी जब प्राग्दर्शन में केस बनता हो। अभी वह स्थिति नहीं आई है। मैंने निर्णय सुना दिया, उसके बाद किसी की सुनने का प्रश्न नहीं ह।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, वह बड़ा गम्भीर है, उससे सम्पूर्ण विधायक लोग लांछित हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा है कि अभी मैंने देखा नहीं है। मैं उसे अभी देखूंगा और फिर उचित कार्यवाही करूंगा। आज मैंने अपने कक्ष में आपसे कहा था इसके बारे में, फिर इसे यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

जब अवसर आयेगा तब सुनूंगा। अभी आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिए लिखा नहीं जायेगा।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मुझे तो आप आज्ञा दे दीजिए बोलने की....।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी इजाजत नहीं है, विराजिए।

श्री ऊदल--

मैं तो आज्ञा मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिये, मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन तिथि की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

1--राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिए 3 सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला होगी।

2--माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए 5 सदस्यों तथा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री उपाध्यक्ष--]

3--13 विश्वविद्यालयों, अर्थात् लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, की सभा के लिए प्रत्येक के वास्ते 5-5 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को नियत समय पर की गई। एक को छोड़कर सभी नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये।

कुमायूं विश्वविद्यालय तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य निकायों में पूरणीय स्थानों की संख्या से विधिमान्य अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। नामों की वापसी के लिए 6 अक्तूबर, 1980 के 5 बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित है। अतः यदि उक्त समय तक उपर्युक्त निकायों की सभाओं के लिए जो नाम अतिरिक्त हैं वे वापस न ले लिए गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उपर्युक्त समस्त निकायों के सम्बन्ध में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची पटल कार्यालय में देखी जा सकती है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, क्या इसमें विद्ड्राल का समय बढ़ाया जा सकता है? नाम वापसी का समय बढ़ा दिया जाए, तो कृपा होगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कांटेस्ट हो। आज सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा है और हम लोग प्रशासन की धज्जियां उड़ायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा ख्याल है कि आप सब मिलकर धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, एक-एक करके ही उड़ायगे। इसलिए आपकी इस आपत्ति का कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता।

विविध विषय

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैंने भी विशेषाधिकार के हनन की एक सूचना दी थी लेकिन आपके कक्ष में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की तरह से नहीं मिला। जैसे सूचना दी जाती है, वैसे ही मैंने भी दी थी। पता नहीं वह नोटिस आपको मिली या नहीं और यदि वह आपके पास पहुंच गयी है तो मेरी प्रार्थना है कि उस पर आप विचार करें?

श्री उपाध्यक्ष--

जिस समय मैं माननीय गुप्त जी से कह रहा था कि आप मुझ से कक्ष में मिले थे, मैंने कहा था कि सूचनायें मिली हैं, लेकिन अभी तक उन पर विचार नहीं कर पाया हूं । जांच कर रहा हूं । सम्भव है, उसमें आपकी सूचना भी हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी सूचना पर आप कब तक विचार करेंगे ? मेरा केवल इतना निवेदन है कि वह विषय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समुचित अवधि के अन्दर ही विचार किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जब मुझ जैसा साधारण सदस्य किसी मसले के आने पर बोलने के लिए खड़ा होता है तो आप डांट देते हैं और जब आप डांट देते हैं तो बैठना पड़ता है तो हमारी आदत खराब होती है आपकी डांट को सहन करने की । तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप बतायें कि जिससे न तो आपकी डांट पड़े और न सहने की आदत पड़े ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप साधारण सदस्य नहीं, प्रगतिशील दल के विधायक हैं । मैं डांटता नहीं, आपको प्यार से बैठाता हूं । आपकी आदत डांट सहन करने की नहीं, प्यार बर्दाश्त करने की है ।

(त्रिवेणी एक्सप्रेस में हुई डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु मुख्य मंत्री को बुलाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । मैं अगली मद ले चुका हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन को अव्यवस्थित होने से बचाने के लिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया विराजें, अव्यवस्था तो अब उत्पन्न हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपके कक्ष में किसके साथ क्या बातें हुयी, क्या आपके लिए उसकी जानकारी देना सदन में उचित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा कक्ष इसीलिए बना है कि माननीय सदस्य उसमें आयें, बैठें और अपने विषय पर बाते करें । यदि आप आते तो मैं आपकी शिकायत अवश्य सुनता पर आप मेरे कक्ष में अकेले में बात न करें । (हंसी)

त्रिवेणी एक्सप्रेस में इन्दारा तथा बिलथरा रोड स्टेशन के बीच यात्रियों को डकैतों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23/24 सितम्बर, 1980 को 5 अप त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से इलाहाबाद जा रही थी । बिलथरा रोड स्टेशन म 3 व्यक्ति द्वितीय श्रेणी की स्लीपर पर, कम्पार्टमेंट में चढ़े और किरहिरापुर व इन्दारा रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रियों को चाकू और पिस्तौल दिखाकर लूट लिया । कुछ यात्रियों ने आपत्ति की तो उन्हें घायल कर दिया । डाकू लूट का माल सहित रेलवे स्टेशन इन्दिरा के आउटर सिगनल पर चलती गाड़ी से कूद गय । इस घटना की सूचना थाना जी0 आर0 पी0 मऊ जं0 पर दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को रात्रि 01.55 बजे की गई जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या—150 धारा 394 भा0 द0 वि0, पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त सूचना के प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष अन्य कर्मचारियों के साथ तुरन्त ही बदमाशों की तलाशी में चल दिये । थोड़ी दूर पर उन्हें 3 व्यक्ति जाते दिखायी दिये जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर फायर करना शुरू किया । पुलिस दल ने भी फायर का उत्तर दिया, जिससे एक व्यक्ति घायल हुआ और उस व्यक्ति जिसने अपना नाम परसनाथ सिंह पुत्र शम्भू सिंह बताया, मौके पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक एयर बग में से 16 हाथ घड़ियां, 1,959.55 रु0, एक सोने की अंगूठी, एक कैलकुलेटर तथा 5 मनी बेग बरामद हुये । इसके अलावा उसके पास से एक चाकू, एक देशी पिस्तौल तथा 12 बोर की एक मिस फायर कारतूस भी प्राप्त हुआ ।

शेष दो व्यक्तियों में से एक और अभियुक्त बन्दी बनाया जा चुका है । विवेचना परिचलित है और तीसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है ।

मेडिकल कालेज लखनऊ के छात्र श्री विवेक के मेडिकल कालेज हास्टल से गायब हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को रात्रि लगभग 9 बजे श्री सतीश कुमार गुप्ता द्वारा थाना चौक पर लिखित सूचना दी गई कि कमरा नं0 249 सरदार पटेल हाल, मेडिकल कालेज, लखनऊ में रहने वाले छात्र श्री विवेक शर्मा पिछली रात से दिखाई नहीं दे रहे हैं । उनके सम्बधियों से भी जानकारी की गई, परन्तु उनका कुछ पता नहीं चला । इस सूचना पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की गई । जांच के दौरान विवेक शर्मा के पास पड़ोसियों तथा मित्रों से जानकारी की गई । जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि गत वर्ष श्री विवेक शर्मा को मेडिकल कालेज के अन्दर चाकू मारा गया था जिस पर थाना चौक में अपराध पंजीकृत किया गया था । परन्तु विवेचना से

अभियुक्तों का कोई पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । अब तक हुई जांच से ऐसा आभास होता है कि श्री शर्मा सम्भवतः स्वयं अपने निवास पटेल हाल से कहीं चले गये हैं व किसी अपराध के होने की पुष्टि नहीं हो सकी है । घटना की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी थी ।

यह सूचना प्राप्त हो गई है कि अपराध शाखा द्वारा श्री विवेक शर्मा को ढूढ निकाला गया है तथा उनसे पूछ-तांछ जारी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा रामलाल की मोदीनगर कपड़ा मिल में मजदूरों के उत्पीड़न से विस्फोटक स्थिति के सम्बन्ध म, दूसरी श्री नन्दकिशोर सिंह क दिल्ली-हावड़ा ट्रेन में मुगलसराय और मिर्जापुर के बीच पड़ी डकैती के सम्बन्ध में, और तीसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का उत्तर प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियक्तियों के बारे में इन तीनों को मैंने अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

---

†दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी का हस्तक्षेप हुआ था और कुछ शर्तें तय हुई थीं, उनको पूरा नहीं किया गया। उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिन शर्तों पर समझौता हुआ था उनको तुरन्त लागू श्रीमान, करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

18 सितम्बर, 1980 को इस पर वक्तव्य हो चुका था। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता। वक्तव्य इस पर हो चुका है।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से कुछ सूचना मैं देना चाहता हूं। जो शर्तें मोदी ने दी है शासन को, वह शर्त पूर्णरूप से लागू की जायंगी।

(मेजें थपथपाई गयीं)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक जानकारी अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी दे दें, तो बात साफ हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आज्ञा नहीं।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जो मोदी ने शर्तें दी थीं, वे लागू की जायंगी....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3--मन्त्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88--सूचना विभाग

(1 बज कर 12 मिनट)

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

3--मन्त्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,13,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,22,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुए ।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून और व्यवस्था जड़ नहीं चेतन की व्यवस्था है । एक नहीं अनेकों इन्सानों की व्यवस्था है और केवल बात ईंट, सीमेंट और पत्थर को बटोरकर रोलर चलाने की बात नहीं है । यह तो इन्सानों को संभालने की बात है और ऐसे इन्सानों के संभालने की बात है, जो दूसरों के लिए अपनी जानें दे देते हैं और अपने ही लोगों की जानें ले भी लेते हैं । सदियां बदलती गयी कानून और व्यवस्था का सामना करने वालों के सामने एक ही निरन्तर प्रश्न बना रहा । कब, कहां और क्या पक्ष प्रस्तुत होगा यह सदैव कभी न ज्ञात हो पाने वाली एक कड़ी रही है, जिसके समझने में बड़े-बड़े लोग असमर्थ रहे हैं । कब कौन सा आकस्मिक सवाल उसकी किस्मत को पड़ने वाला है, आज तक कोई नहीं जान पाया । इस द्वन्द्वात्मक पक्ष का शिकार जो लोग प्रबन्ध करते रहे वह

भी रहे जिनका प्रबन्ध होता रहा वह भी रहे और इंसान द्वारा इंसान के प्रबन्ध की सबसे बड़ी कठिनाई है ।

श्री मोहन सिंह––

अध्यात्मवाद ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मैं जानता हूं कि मोहन सिंह अवश्य यह टिप्पणी करेंगे । मान्यवर, यह कानून और व्यवस्था के नाक के बारे में चर्चा करें नाक के अन्दर की गन्दगी के ऊपर चर्चा करें तो बहुत दिलचस्पी लेगें लेकिन पूरे चेहरे के बारे में नहीं तैयार होंगे । बलात्कार के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे । मान्यवर, मैं यह बात इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि कानून और व्यवस्था केवल ताजीरात हिन्द की धाराओं के अन्दर ही नहीं, जहां–जहां विभाजन की रेखायें हैं वह विभाजन की रेखाएं हिंसामूलक ह और विषमता के जो पौधे हैं उनकी जड़े इन दरारों में धंसी हैं । जब तक हम विषमता और दरारों में नहीं पहुंचेंगे केवल कानून और व्यवस्था के आंकड़ों से हम लोग प्रबन्ध नहीं कर पायेंगे । इसलिए मान्यवर, यह परिकल्पना मार्क्स और गांधी को भी रही कि मानव स्वतंत्रता के अन्तिम रूप में दण्ड शक्ति की आवश्यकता नहीं रही लेकिन जब तक दण्ड शक्ति की जगह अन्तः अनुशासन नहीं ले लेता तब तक दण्ड शक्ति की समाज को आवश्यकता रही और जब–जब अन्तः अनुशासन की श्रृंखला टूटी समाज में अनुशासन की श्रृंखला बचाने के लिए शासन ने कठोर शासन का सहारा लिया है । इस समय जनता को विश्वसनीय ढंग से शासन उपलब्ध है उसके लिये जो स्थूल प्रबन्ध या प्रयास किया गया है इस बजट के द्वारा इस माननीय सदन के सम्मुख है । स्थूल क्यों है इस पर मैं बाद में आऊंगा । मान्यवर इस बजट में जो व्यवस्था की गई है उस पर संक्षेप में कहूंगा । इसमें प्रयास किया गया है कि पुलिस लाइनों में जल सम्पूर्ति में जहां पिछले वर्ष 23 लाख रुपये का मूल प्राविधान था इस वर्ष 39 लाख 66 हजार रुपये का प्रबन्ध किया गया है । इसी प्रकार 72 प्रतिशत का बढ़ोत्तरी इसमें हुई है । भवन निर्माण के सम्बन्ध में 4.44 करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर प्रस्तुत हो चुका है और 21 करोड़ रुपया जो संख्या 25 में अनुदान है उनके अन्दर रेडियो प्रशिक्षण और टेलीफोन का प्रबन्ध किया जायेगा और इस प्रकार 71 थाने में वायरलेस लग जायेंगे और इससे समस्त थानों में वायरलेस का प्रबन्ध हो जायेगा जो बहुत ही आवश्यक है । ये जो अपराधी हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए । इसके अतिरिक्त कभी–कभी वायरलेस में भी दिकवत होती है तो जो अपने प्रदेश का मुख्यालय है, हर जनपद से टेलीप्रिन्टर से इस वर्ष के अन्त तक सम्बद्ध हो जायेंगा । टेलीफोन इस वर्ष के अन्त तक 757 थानों में लग जायेंगे । इस बार 203 थाने बढ़ाये जा रहे हैं । जैसे–जैसे उधर की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मान्यवर, थानों की संख्या बढ़ायी जा रही है । गाड़ियों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

एक हजार 31 थानों में 975 गाड़ियां/जीपों का प्रबन्ध किया जायेगा जो इस वर्ष के अन्त तक हो जायेगा। जहां तक मैन पावर बढ़ाने की बात है तो उसमें इस वर्ष निरीक्षक, 15, उप-निरीक्षक 649, हेडकान्सटेबल 454, कान्स्टेबिल 3981 की व्यवस्था और की जायेगी। सीतापुर में तीसरा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 5 स्थाई रंगस्ट प्रशिक्षण विद्यालय विचाराधीन हैं, अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक रख-रखाव हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। यह वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग पहली बार होगा। ज अपराधी हैं उनके बारे में सूचनायें कम्प्यूटर में संचित रहेगी और फाइलों को उलटना-पलटना नहीं पड़ेगा। दक्षता के हेतु में निरीक्षक और उप-निरीक्षक के स्तर पर 4-1-80 से मोटर साइकिल एलाउन्स 30 रुपये से बढ़ा कर 75 रुपये कर दिया गया है और कान्स्टेबिल आदि को 4 से 10 प्रति माह कर दिया गया है। स्थानान्तरण भत्ता की भी सुविधा दी जा रही है और सामूहिक जीवन बीमा में भी सुधार किया जा रहा है। मृत्यु होने पर राजपत्रित अधिकारियों को 50 हजार और अराजपत्रित कर्मचारियों को 25 हजार रुपये बीमा द्वारा दिये जायं। आवासीय सुविधा जो दी जा रही है, वह आगामी 10 वर्षों में दस से बारह करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से खर्च की जायेगी और 29171 आवासीय भवन, 1801 व्यक्तियों के लिए बैरक निर्माण की योजना है। 10 करोड़ रुपये से उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना की जा रही है। एक करोड़ रुपये प्राप्त ब्याज से 470 कांस्टेबिलों के आवास निर्मित होंगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक हजार आवासीय तथा 45 अनावासीय भवन निर्माण की योजना है। यह सब डिटेल इसमें है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 5 करोड़ रुपये की पुलिस जनों के लिए कल्याण निधि खोलने का शासन ने निर्णय लिया है। तीन विशिष्ट बटालियन पुलिस की और बढ़ाई जायेंगी, जिसके जिम्मे विशिष्ट कार्य रहेंगे। दस्यु उन्मूलन, तस्करी की रोक-थाम, बाढ़ आदि के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से यह बटैलियन काम करेंगे और जो विशिष्ट जिम्मेदारियां आयेंगीं, उनको भी यह संभालेंगी। जैसा मैंने पहले कहा था, इसकी स्थूल काया आपके सामने रख दी। स्थूल मैंने इसलिए कहा कि जीपें टेलीप्रिन्टर, टेलीफोन, जवान शरीर मात्र हैं। प्राण तो उसमें राजनैतिक और प्रशासनिक संकल्प ही दे सकता है यह मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही दो मौलिक चीजों का कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में संकल्प लिया। एक भ्रष्टाचार उन्मूलन और दूसरा दुष्ट दलन। तो यह दो सूत्री कार्यक्रम है।

श्री मोहन सिंह---

मंत्रियों की कुर्सियां खाली हैं। मंत्री नहीं हैं। क्या वे दुष्ट दलन में चले गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

इस दो सूत्री कार्यक्रम से, भ्रष्टाचार उन्मूलन और दुष्टदलन से उधर के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं।

मान्यवर इस दो सूत्री कार्यक्रम के लिए बजट के प्राविधान की आवश्यकता नहीं है, रुपये की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है इमान। आप देखें मौजूदा सरकार ने अपनी किस दृढ़ता और इमानदारी से इसे लागू किया। जहां तक भ्रष्टाचार उन्मूलन का सवाल है बहुत धोटाले किए गए।

पता लगाया गया, कार्यवाहीं की गयी, दवाओं की खरीद–फरोक्त में दो करोड़ रुपये का घपला है । मौजूदा सरकार ने पकड़ा । 12 राजपत्रित अधिकारियों को मैंने अपनी कलम से निलम्बित किया । इसके अतिरिक्त खाद्य में घोटाला देखे । कहा जाता है कि छोटे–छोटे लोगों को पकड़ा जाता है । 30 लाख का घपला पकड़ा गया । एक भंडार में मैं स्वयं गया था, 1 लाख 30 हजार का भंडार है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त, 24 अगस्त को जो हमारी आवश्यक वस्तुयें हैं, उसमें जो गड़बड़ी कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान शुरू किया गया और अब तक लगभग 3 करोड़ का माल पकड़ा जा चुका है और 740 लोग प्रान्त के अन्दर एसेन्सियल कमोडिटीज, ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं । तो इस तरह से यह अभियान देखिये ।

यही नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बराबर त्रुटियां करने वाले हैं उनको भी नहीं बख्शा जायेगा । उनको भी नहीं बख्शा गया है विजीलेन्स कार्यवाही 230 अधिकारियों के विरुद्ध हुयी, जिसमें से 172 राजपत्रित अधिकारियों (जिनमें से अधिकांश गजेटेड आफिसर्स हैं) के नाम हैं । 45 का चालान हुआ और 38 को प्रशासनिक अधिकरण में दे दिया गया है और 69 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई हैं । 5 को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी सर्विसेस टर्मिनेट कर दी गई है और 2 की पेन्शनें घटा दी गई हैं । इस सयने में हर दिशा में एक अभियान जो चला, उसमें इस तरह की स्थिति है ।

अब आप आंकड़े देखें, दूसरे अभियान के । लूट, हत्या, दंगा और हस्तक्षेप के जितने अपराध हैं, अगर जून से सितम्बर तक लिए जायं, तो इन सभी में कमी आई है और आप हंस रहे हैं । हम जिस तरह से भी देख लें, इनमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । चोरी और नकबजनी में थोड़ा वृद्धि जरूर हुई है । इनके आंकड़े इस प्रकार हैं––लूट आपके शासन काल में 1,713 थी, इधर यह 1,651 है । हत्या आपके शासनकाल में 1,501 थी, जो अब 1,380 रही है । ये 16 जून सन् 1980 से 15 सितम्बर, 1980 तक के आंकड़े हैं । दंगा आपके शासनकाल में 3,061 और अब 2,861 है । नकबजनी में जरूर थोड़ा वृद्धि हुई है । नकबजनी आपके शासनकाल में 7,002 से इस साल 7012 हो गई है । पता नहीं यह कैसे हो गया । शायद आप लोग कुछ खाली हो गये हैं, यही कारण हो सकता है । ऐसी रिपोर्ट थी । (हंसी)। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जबसे आप मन्त्री बन गये हैं माल की कमी हो गई है । (हंसी) । तो इस तरह से ये आंकड़े आपके समने रखे ।

अब बलात्कार की बात आई । मान्यवर, यह माना कि जनता शासन के बाद हमने जब इस प्रान्त को पाया, तो यहां बलात्कार ही बलात्कार का सिलसिला चल रहा था । यह डेढ़ महीने चला । उसको रोक गया और मान्यवर, अब अखबारों में देखेंगे कि एक भी नहीं आता । अब कम से कम आप लोग सुन तो लें । मैं अपने ही आंकड़े नहीं कह रहा हूं आपके भी आंकड़े बता दूं । (शोर) । आप लोग मेरी बात तो सुन लें । आंकड़ों की भी बात लें तो मैं एक महीने की तुलना कर रहा था । तो 33 बलात्कार इधर

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

रहे तो 92 बलात्कार अपके पिछले स ल रहे । हमारे ही आंकड़ों की बात नहीं । 14 प्रतिशत हम लोगों के डेढ़ महीने के शासनकाल में गिरावट रही । लेकिन वह न मानें तो 12 प्रतिशत ही मान ल ।

(इस समय 9 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

तब फिर अखबार में देख लीजिये बलात्कार के केसेज नहीं आ रहे हैं, तो मान लीजिये कि अब बलात्कार के केसेज नहीं हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

पुलिस अधिकारियों के भी विरुद्ध, जिन लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं किया, या किसी तरह से गड़बड़ी की, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की गयी है और इसमें उनको निकालना, रिवर्जन, सस्पेंशन कार्यवाही, 1 हजार 43 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गयी है । यह कार्यवाही उन दिशाओं में रही । एक दिशा में मन्यवर, विशेष रूप से अन्तर पड़ा है और वह है हरिजनों पर अत्याचार । मान्यवर, उनके समय के भी आंकड़े हैं, सब लेखा-जोखा है । मान्यवर, 16-6-79, पारसाल जून से लेकर 15 सितम्बर तक हरिजनों पर जो गम्भीर चोट की संख्या है वह पारसाल 162 थी और इस साल 149 है । पारसाल बलात्कार की संख्या 52 है और इस साल 47 है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

बीच में टोका-टोकी नहीं की जानी चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

गम्भीर अपराधों की संख्या पार साल 63 थी और इस साल 48 है । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि हरिजन कुछ हिकारत में अपनी जिन्दगी बिताता है । गुरबत बरदश्त कर सकता है लेकिन हिकारत बरदाश्त नहीं होती है । किसी हरिजन के घर पर डकैती या चोरी का नुकसान नहीं होगा । उसके पास धन ही क्या है जिसकी डकैती या चोरी हो । उसके पास केवल एक ही धन है । उसका शरीर । जिसकी इज्जत भी नहीं है । लेकिन अगर प्रहार होता है तो शरीर पर । जब प्रहार होता है तो मारपीट और हत्या होती है और इधर ऐसी परिस्थिति रही पश्चिमी जिलों में राज्य मंत्री को विवश होकर लगाना पड़ा, कुछ हरिजनों पर अत्याचार जो बढ़ते चले जा रहे हैं दृढ़ता के साथ हम उनको रोकना चाहते हैं । उनको रोका जाय । (व्यवधान) यह मुंह चाय की धोंकनी है । बड़े से बड़े लोगों को भी जला देती है । इसके अतिरिक्त जहां गरीबों पर अत्याचार की बात है । इसके साथ-साथ, कानून और व्यवस्था के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा । हर शासक वर्ग अपने हितों और अपने स्वार्थों को निगाह में रखते हुए, दृढ़ता के साथ एक संकल्प करता है और उसके अनुसार कानून बनाता है । एक समय था कि केवल डकैती, हत्या, चोरी, मारपीट ही अपराध समझा जाता था । लेकिन अब दृष्टि बदल गये है । क्योंकि अब एक नया वर्ग आ गया है जो मारपीट नहीं करता है लेकिन गरीबों का पेट जरूर मारता है । एक नया वर्ग आ गया है तो हत्या के लिये बारूद का इस्तेमाल तो नहीं करता लेकिन मसाले में बुरादा मिलाकर लाखों को मरघट के निकट कर देता है । एक ऐसा वर्ग अब पैदा हो गया है जो घरों में चोरी नहीं करता है लेकिन खुले बाजार में चोरबाजारी करता है । एक नया वर्ग

अब ऐसा पैदा हो गया है जो डकैती तो नहीं करता है लेकिन हंसते–बोलते हुए आपसे अधिक दाम ले लेता है। डकैत तो देश का माल देश ही में रखते हैं लेकिन एक तस्करों का वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो देश की संपत्ति को बाहर भेजता है। मान्यवर, ऐसे लोगों से अब संघर्ष तेज करना होगा और इन कफन चोरों से उनके मरघट तक लड़ना होगा तो हम मरघट तक लड़ेंगे। इनके विरुद्ध अगर पी० डी० ऐक्ट लगाने की बात होगी तो हम पी० डी० ऐक्ट लगाने को तैयार हैं। इनके विरुद्ध अगर पी० ए० सी० लगाने की बात होगी तो हम पी० ए० सी० लगाने को तैयार हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

इस वर्ग के लोगों को मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ऐसा वर्ग या तो उत्तर प्रदेश के बाहर चला जाय और अगर उत्तर प्रदेश में उनको रहना ही है तो उनके लिये एक ही स्थान है, वह है जेल।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, कुछ चीजें संक्षेप में मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई वर्षों के बाद परीक्षायें शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो सकी हैं। हर वर्ष कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रही है। लेकिन विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से, जो अलग–अलग यूनीवर्सिटीज में प्रबन्ध किये गये, उनके सबके सहयोग से यह परीक्षायें संपादित हो सकी हैं। मान्यवर, मोदीनगर की बात आयी थी। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि जहां तक श्रमिकों का सवाल है, उनके हितों का सवाल है सरकार उनकी ओर से लड़ेगी। मैंने कह दिया था कि वह दिन चले गये जब मजदूरों की छाती पर संगीन लगायें और आप बंगलों में बैठे रहें। अगर आप 13 हजार मजदूरों का पेट मारना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। मौजूदा सरकार में, उनके दरवाजे खोलिये या तो सरकार को 7 दिन के अंदर दरवाजे खोलकर चलाना पड़ेगा। अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह हर शासन का कर्तव्य होता है कि हर वर्ग में विश्वास पैदा करे, सरकार के प्रति हर अंगों में आस्था हो और अपने जो अकलियत के लोग हैं वह शासन में अपने को सुरक्षित महसूस करें और शासन में समाज की मुख्य धारा में विश्वास हो कि उनका एक स्थान है। इस दिशा में सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील रहेगी और उसका लक्ष्य रहेगा और इसके सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि पहले चर्चा हो गयी है और इसका मखौल बनाना उचित नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं उनके सुधार करने की दिशा में जाना मैं समझता हूं कि अच्छा होगा।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं मौजूदा बजट आपके सामने, सम्मानित सदन के सामने पेश करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस बजट के सम्बन्ध में सम्मानित

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

सदस्यों के जो बहुमूल्य सुझाव आयेंगे उनमें जो हितकारी होंगे हम उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3--मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--गृह (पुलिस) विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 37--विज्ञान और आयोग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43-- सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, इन सभी कटौती प्रस्तावों का कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों से जो माननीय नेता सदन का दार्शनिक ज्ञान हमें मिलता रहा वह आज भी मिला । शायद बहुत से लोगों को रेफ्रेशर कोर्स के लिये यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा उस ज्ञान को सीखने के लिये । मैं जानता हूं नेता सदन की परेशानी को क्योंकि जो उनका साथी था वह दुर्भाग्य से इस देश से उठ गया । इसलिए उन्हें बड़ी जल्दी-जल्दी दिल्ली की परिक्रमा करनी पड़ती है और इस कारण विषय की तैयारी तो सम्भव है नहीं और इसीलिए दर्शनिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं । तथ्य तो होते नहीं हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

राम नरेश यादव जी को कितने बार जाना पड़ता था ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

बताऊंगा, आप पूछेंगे तो । श्रीमन्, अभी माननीय नेता सदन बोल रहे थे । इधर के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि परम्परा के बिल्कुल विपरीत है, नियमों के बिलकुल विपरीत है कि जब माननीय नेता सदन इस सदन के अन्दर अपना भाषण कर रहे हैं अपने प्रस्तावों पर तो सम्पूर्ण कैबिनेट को यहां होना चाहिए (शेम-शेम) इसी बात से माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो पहुंच है और उनका जो प्रभाव है वह दृष्टिगोचर होता है । श्रीमन्, सिर्फ तीन कैबिनेट मन्त्री यहां पर मौजूद थे जैसा मैंने देखा ....

श्री मोहन सिंह--

बाकी का विश्वास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह तो आप ने बताया कि विश्वास नहीं है । वे शायद माननीय मुख्य मंत्री जी की कुर्सी खींचने के लिए जोर लगा रहे हैं ।

श्रीमन् कानून की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही । बहुत बड़ा पोथा है मेरे पास । मैं जानता हूं उन्होंने यह कहा कि स्थिति सुधरती जा रही है, पिछले आंकड़ों में और आपके आंकड़ों में बहुत कमी हुई है एक जगह को छोड़ कर । श्रीमन् मैं आप की अनुमति से माननीय मुख्य मन्त्री चाहेंगे तो इस पूरी सूची को जो मने इकट्ठा की है उनको दिखा दूंगा कि अपराध घटे नहीं हैं बढ़े हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा कि कोई रेप का केस पिछले दिनों रिपोर्ट नहीं हुआ । मेरे पास इत्तफाक से अक्टूबर 3 का नार्दन इण्डिया पत्रिका है । मुख्य मन्त्री जी इसे देखेंगे ।

एक सदस्य--

अखबारों पर चर्चा नहीं होती ....

श्री राजेन्द्र सिंह--

कभी कानून आप ने पढ़ा । उन्नाव की बात है श्रीमन् "टु हैल्ड फार रेप चारजेज ।" मुख्य मंत्री जी की परेशानी मैं समझता हूं । वहां पर पढ़ने लिखने का कोई सवाल नहीं है । हाजिरी देने की बात है । मैं अधिक नहीं कहूंगा । बहुत से केसेज हैं । श्रीमन् आप आज का ही अखबार उठा लीजिए, 6 अक्टूबर का, आठ केसेज रिपोर्ट हुये हैं । हो सकता है आप कहें कि यह सब झूठ है । यह कहना पड़ेगा क्योंकि तथ्य हैं नहीं, प्रशासन आप के पास है नहीं । श्रीमन् इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ आपने कहा है उसमें कोई सत्यता नहीं है अपराध बढ़े हैं घटने का कोई प्रश्न नहीं है । श्रीमन् श्री भिंडर ने 9 अगस्त को दिल्ली में इस तरह का बयान दिया । उन्होंने कहा 'देहलीज क्राइम पोजीशन बेरी हंपी" । उसी दिन इन्डियन ऐक्सप्रेस रिपोर्ट करता है "8 हैल्ड टु रेप गर्ल" । जैसा वह बयान दे रहे हैं वही बयान यहां हो रहे हैं । बढ़े हैं घटे नहीं हैं अपराध । श्रीमन् अब फिर आप जरा बहक जायेंगे, व्याकुलाहट आप को होगी अब मैं बागपत, मुरादाबाद की ओर इनको ले जा रहा हूं । उधर अब भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सही बात कहते हैं । बागपत कांड पर मैंने स्टेट दिया था । एक युवा लीडर ने उसे पूरी तौर से सपोर्ट किया था और कहा था कि बहुत बुरा हुआ है, ऐक्शन होना चाहिये । कोई कांट्रेडिक्शन अभी तक नहीं आया है । मैं एक दूसरे कांड को बतलाता हूं । मुझे माननीय सदस्य अकबर अहमद साहब दिखलाई नहीं दे रहे हैं । उनका एक आर्टिकिल है । हमारे पेपर में नहीं उस दल की मम्मी की जो सभाधिन हैं उनकी पत्रिका सूर्या में वह है । पढ़ लीजियेगा । उन्होंने इसको जलियान वाला बाग की संज्ञा दी है ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

एक आदमी का बयान है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह––

बल से निकाल दो। (व्यवधान) आप मुझे कटु सत्य कहने के लिये मजबूर कर रहे हैं। मैं जवाब बाद में देता लेकिन अब पहले ही दे देता हूं। माननीय नेता सदन ने यह कहा कि 203 थाने उनको खोलने पड़ रहे हैं, डिटेंशन ऐक्ट लगाने पड़ रहे हैं विरोधी बल की खुराफातों को नियंत्रित करने के लिये। मैं मान्यवर आपके माध्यम से नेता सदन को कहना चाहता हूं इस सदन में 95 वह लोग आये हैं जिनकी हिस्ट्री थानों में बहुत खराब लिखी गयी थी (व्यवधान तथा शोरगुल) अगर नेता सदन चाहें तो सदन की एक कमेटी बना दें और वह थानों में जाकर उन रिकार्ड्स को देख लेगी। हमारे भी देख लें और बाद में डिसकशन कर लें (व्यवधान तथा शोरगुल) श्रीमन् यह चाहते हैं कि मैं इनकी बातों को कहता चलूं। कुछ लोग इस सदन में ऐसे आये हैं जिनकी हिस्ट्रीशीट कांग्रेस (आई०) का टिकट मिलने के बाद कटी है। ऐसे लोग आये हैं जो जुवें, जेबकतरी का काम करते थे और इस सदन में मौजूद हैं (व्यवधान तथा शोरगुल) नेता सदन इसे स्वीकार करें न करें। (व्यवधान तथा शोरगुल)।

एक सदस्य––

यह सदन का अपमान है इस तरह की बातें करना।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष––

इस तरह का व्यवहार होगा तो भाषण नहीं चल सकेगा। आप लोग शान्त हों।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष––

मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से अपील करूंगा कि वे दोनों कृपया अपने–अपने दलों को संयत करें। माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें। लेकिन जब आप कोई आरोप किसी पर लगायें तो उसको जनरलाइज न करें क्योंकि इस सदन में बैठे हुये जितने माननीय सदस्य हैं, उन सब के ऊपर इस तरह की भावना रिफ्लेक्ट होती है। तो या तो आप उस विशेष आदमी का नाम बता दें...।

(व्यवधान)

आप भाषण प्रारम्भ करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

मान्यवर, उस शब्दावली को हटा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी एक श्री शेख रुस्तम साहब हैं जो कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य हैं । उनका कल पेपर्स ही में बयान आया था । उनको मेरठ और मुरादाबाद के दंगों के बारे में उनको भेजा गया था ....

(व्यवधान)

मैं तो वही बात कह रहा हूं जो अखबारों में निकला है और जो उनके बारे में लोग कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं । तो मान्यवर, राष्ट्रीय पुलिस आयोग के ये जो सदस्य हैं इनका कहना है कि अन्त में जिला प्रशासन की प्रभावहीनता की चर्चा करते हुये वे कहते हैं दुर्भाग्य से जिला प्रशासन का नेतृत्व करने वाले अधिकारी प्रतिभा और अनुभव के बल पर नहीं बल्कि राजधानी में अपनी पहुंच के कारण नियुक्त होते हैं और आज वे "संदेशवाहक" हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

यह कौन सी मैगजीन है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कादम्बिनी है अक्तूबर, 1980 की । मैं आपके पास भेज दूंगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मनोहर कहानियां भी पढ़ दें ।

राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, जब यहां पर बहस हो रही थी अलीगढ़ और मुरादाबाद के दंगों के बारे में तो उस समय हमने यह प्रश्न उठाया था कि अब यहां पर कोई प्रशासन नहीं रहा और केन्द्र से सब कुछ हो रहा है । केन्द्र ही आदेश देता है । हमने कुछ मिसाल भी दी । केन्द्र से शूट एट साइट के आदेश भी दिये गये बी० एस० एफ० कोच और आरमी को । मंत्री जी कहते हैं हमने कहीं देखा है । हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है कि एक गवर्नमेन्ट आफीसर ने कहा है कि हमने प्रान्तीय सरकार को सूचित कर दिया है । हमने उस समय कहा था कि यहां पर प्रशासन नहीं है । ये खाली निर्देश और आदेश दे रहे हैं इसलिये इस विधान सभा को भंग कीजिये और यहां पर राष्ट्रपति शासन कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें क्या कहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

उसमें लिखा है--

"इन्सट्रक्शन्स हैव बीन कनवेड टु द उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट व्हिच इज प्राइमरिली रैसपान्सिबुल फार ला एण्ड आर्डर इन द स्टेट ।"

यह इंटरप्रेट इनको करना था, इनको सूचना दी गयी थी ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं फिर निवेदन कर दूं यह मेरे पास हिन्दुस्तान टाइम्स की मैगजीन है शीर्षक है––ह्वेर हैव औल दीज लीडर्स गौन । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वह कभी–कभी कुछ चीजें देते हैं । इसमें श्री श्याम लाल, लिखिल चक्रवर्ती और गिरि लाल जैन जो बड़े अच्छे राइटर हैं उन्होंने लिखा है । मैं थोड़ा सा आपकी आज्ञा से पढ़ दूं वह अंग्रेजी में है उसका मैं हिन्दी कर दूंगा । उनकी क्या थिंकिंग है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप अपने विचार दे रहे हैं या उनके ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

वह कुछ चीजें देश को दे रहे हैं वह भी हमारे देश के निवासी हैं वह कहते हैं––

" While a lodestar can help to guide us, it cannot enable us to cross the river in spate. For that we need a bridge in a civilised society, the state series as that bridge. And the permanent machinery of the State, the bureaucracy, the security forces, the law enforcement agencies and political leaders. With reasonable well oiled party machinery at their disposal are the supports on which the bridge of the State rests "

किसी भी नदी में जो दीप स्तम्भ होते हैं वह रोशनी दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं लेकिन जिस नदी में तूफान आ रहा हो उसमें वह पार नहीं करा सकते जब तक कि उसमें ब्रिज न हो । (2 बजकर 12 मिनट) इसी प्रकार देश भी 4 स्तम्भों पर चलता है ब्यूरोक्रेसी, ला इनफोर्समेन्ट की मशीनरी, सिक्योरिटी फोर्स और पोलिटिकल लीडरशिप । देश को ठीक तरह से चलाने के लिए इनको होना चाहिये । उन्होंने स्टेट को ब्रिज कहा है । आज यह चार चीजें डगमगा रही है इसलिये ब्रिज सेफ नहीं रहा है । आज ला–एण्ड–आर्डर की प्राबलम हो गयी है आज सिचुएशन ऐसी हो गयी है चाहे कोई गवर्नमेन्ट हो ।

(व्यवधान)

आज केन्द्र में स्थिति खराब हो गयी है––

सिचुएशन इन इन्डिया वाज नेवर मोर डिफिकल्ट दैन इट इज टु डे ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज पोजीशन यह हो गयी है कि इंटेलिजेंसिया भी यह कह रहा है यह चीजें आज डगमगा रही हैं । मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । वह कहते हैं...

It is a wholesale bankruptcy of leadership. We have not uilt a new generation which has been properly educated or iced in political life.

श्रीमन्, उनका कहना है कि पोलिटिकल लीडरशिप समाप्त हो रही है क्योंकि इन्होंने उसे बिल्ट अप नहीं किया ।

एक सदस्य—

उसमें आप भी आते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने किसी को इनक्लूड या एक्सक्लूड इसमें नहीं किया है । लेकिन उसे लाने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा थी क्योंकि 30 साल तक शासन किया । मैं यह बात माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिए नहीं कह रहा हूं वह तो अभी आये हैं वह लीडरशिप आई नहीं कहीं से और न ही बिल्ट-अप की गई, खाली पकड़ कर बैठाल दिया गया यहां पर ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, अभी प्रश्न आया कि ला ऐण्ड आर्डर सिचुएशन क्यों ऐसी होती चली जा रही है । विपक्ष बहुत पहले यह कह चुका है । चूंकि यह सरकार ब्यूरोक्रेशी और पुलिस के माध्यम से बूथ-कैप्चरिंग करके सत्ता में आई है, उसमें...

(व्यवधान)

यह कमिटेड-ब्यूरोक्रेशी चाहते हैं । इन्होंने कुछ जाति विशेष को नम्बर-दो की कैटेगरी में रख दिया है ।

(व्यवधान)

आप ध्यान से सुनें, कुछ बिरादरी विशेष के अफसरों को नम्बर-दो पर रखा, यह सबसे बड़ी चीज अनुशासनहीनता की है । मैं इसको मानता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की चरित्र पंजिका में प्रविष्ट अच्छी नहीं है, तो उसको नम्बर दो का सिटीजन माना जाना चाहिए । पहले राज्यपाल शासन के जो ट्रांसफर होते रहे, उनको तो भूल जाइये, बहुत बड़े स्केल पर हुए । हमारे एक ऐडवाईजर बनकर रिटायर्ड डी० आई० जी० आये थे । इसलिए आए थे कि शायद बाद में कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह कहीं के राज्यपाल बना दिये जायें । लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, शायद अकबर साहब ने कुछ तथ्य सामने रख दिये । एक एस० एस० पी० मेरठ में श्री यादव थे, पिछले तीन सालों में 5 स्थानों पर उनका ट्रांसफर हुआ है । सदन में उनकी चरित्र पंजिका रख दी जाये, खराब हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ...

(व्यवधान)

अभी श्रीमन्, हमारे एक एस० एस० पी०, बरेली थे, उनको पी० ए० सी० से हटा दिया गया, नालायक करार दे दिया गया और उनको मुरादाबाद भेज दिया । थोड़े समय बरेली में रखा, फिर पी० ए० सी०, सीतापुर में गये, फिर कहा गया कि वह मुरादाबाद के योग्य हैं, जहां दंगे हो रहे हैं । एक थे एस० एस० पी०, आगरा में श्री वी० पी० सिंह, उनको सी० आई० डी० दिया गया । उनको जिले के काबिल नहीं समझा गया, फिर एस० एस० पी०, अलीगढ़ कर दिया गया ।

माध्यवर, एक बात और आज इस सदन में बताये देता हूं। एक सज्जन थे जिनको माननीय नेता सदन ने अपने जिले का एस० एस० पी० बनाकर भेजा है। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उनके ही किसी अफसर ने कहा था कि उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए। बाद में माननीय मुख्य मंत्री का इसके विरुद्ध एक बड़ा सख्त बयान निकला कि उनके आदेशों का पालन होना चाहिए लेकिन 1 1/2 माह बाद उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। आप कमिटेड लोगों को चाहते हैं, आप स्वयं उनको डिमोरेलाइज कर रहे हैं, हमने नहीं किया। यह है इनके शासन चलाने का तरीका ?

श्रीमन्, मैं फिर कहूंगा कि यहां पर बागपत इन्क्वायरी की बात आयी थी डी० आई० जी० और एस० पी० द्वारा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं पुनः सदन में एक बात और कहना चाहता हूं कि उस डी० आई० जी० ने और एस० पी० ने कोई चीज नोट्स शीट पर लिख कर दी थी। उसे आप रिपोर्ट या किसी और चीज की संज्ञा दे सकते हैं लेकिन उन्होंने वहां से आकर कुछ तथ्य लिख कर दिए, जो आज भी फाइलों में छिपे पड़े हुए हैं। चूंकि उसमें कुछ बातें इनकी इच्छा के विपरीत थीं, इसलिए उन अधिकारियों को प्रेशराइज किया गया लेकिन वे प्रेशराइज नहीं हुये। वे बहुत बड़े सीनियर अधिकारी हैं, वे मकान न होने के कारण टेन्ट में ही रह रहे हैं। जो वहां पर एस० पी० था उसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में भेज दिया गया, यह है इनका प्रशासन।

अभी कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद गया हुआ था कि वहां पर आई० जी० साहब का दौरा होने वाला था। मैं भी उसी इन्सपेक्शन हाउस में रुका हुआ था। वहां पर जो अफसरान थे, उनको यह भी पता नहीं था कि उनके आई० जी० वर्मा साहब हैं या दीक्षित जी, जो आ रहे हैं, वे वहां पर दोपहर को आने वाले थे। जब पुलिस अधिकारियों को यह पता न हो कि उनके आई० जी० कौन हैं तो आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनका प्रशासन किस प्रकार का है। इन सब चीजों से परेशान होकर और जिस प्रकार की गड़बड़ियां प्रदेश में हो रही हैं, उनसे उठ कर माननीय मुख्य मंत्री ने (इस्तीफे) का एक नाटक रचा। इस समय उन्हें नैतिकता के तकाजे का बड़ा ध्यान आया। मैं सब समझता हूं कि नैतिकता से कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति की अपनी परसनल चीज होती है लेकिन जल्दी में नैतिकता बोल गयी, नौटंकी के रूप में। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक दुर्घटना होने पर यह कहा था कि इसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इन्कार कर दिया लेकिन ये तो नैतिकता के साथ बलात्कार कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

आप अभी भूले नहीं हैं, आपके सिर पर बलात्कार का भूत सवार है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, अभी जब खान गफ्फार खां आये थे तो मां उनको लेने गयी थी और बेटा छोड़ने गया था और उसी के बारे में इंगलिश के इस पेपर में छपा है "इंडियन लीडर्स लस्ट फार पावर्स" (व्यवधान) इससे जाहिर है कि इनकी नैतिकता समाप्त हो चुकी है। यह तो खाली नौटंकी करते हैं...(व्यवधान) एक नौटंकी रची कि दूकानों को देखने जायेंगे। अच्छी बात थी, मगर उसके पीछे था क्या? सन्डे स्टैन्डर्ड में 24 अगस्त का एक फोटो छपा है, माननीय मुख्य मंत्री जी राशन की एक दूकान की जांच कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि यह वाकयी में जांच के लिये गये थे या केवल प्रचार के लिये? फोटो खिचवाने के लिये? इनका श्रीमन्, चेहरा कैमरे के बिलकुल सामने है, दूकान की तरफ नहीं है। तो यह तो फोटो खिचवाने गये थे...(व्यवधान) सड़कों पर पहले से चूना बिछाया गया था, दूकान पर सारी लिस्ट वैगरह तैयार लगी थी, फूल मालाओं का इन्तजाम था, जांच क्या इस तरह से होती है? यह तो केवल प्रचार के लिये था।

(व्यवधान)

यहां के श्रीमन्, डी० एस० ओ० का ट्रान्सफर किया गया किसी अन्य जगह पर। प्रेशर जब पड़ा तो रोक दिया गया, वे आज भी यहीं मौजूद हैं, यह आपकी प्रशासनिक अक्षमता है।

(व्यवधान)

महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं श्रीमन्। उसके बारे में बड़े-बड़े नारे लगाये जाते हैं। हमारी जनता पार्टी की सरकार के काल में 3 रुपये किलो चीनी ओपेन मार्केट में बिक रही थी, उसी शीजन की चीनी आज है, व्यापारियों का अधिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा, मगर आज चीनी 6·30 रुपये किलो तो आप अपनी दूकानों से बिकवा रहे हैं जब कि वह भी बाजार में जनता को उपलब्ध नहीं है। बाजार में तो उसका भाव कहीं अधिक है। (व्यवधान) जो चीनी हमारे समय में 3 रुपये किलो बिक रही थी वह आज 6·30 रुपये किलो सरकारी भाव में भी उपलब्ध नहीं है। यह इंडियन इक्सप्रेस है 22 सितम्बर का, इसमें बहुत कुछ लिखा है, शुगर स्कीम फेल्स। स्टेट्स कह रहे हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने गड़बड़ी की। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कह रही है कि इनका डिस्ट्रीब्युशन खराब है। महंगाई जमीन से एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच गयी ह, आप इसको नियंत्रित करने में फैल हो चुके हैं। श्रीमन् गांव में, देहाती क्षेत्रों के लिए चीनी के राशन की व्यवस्था की, मैं इसको बुरा नहीं कहता कि स्कीम खराब है, लेकिन पता लगा लीजिए कि वह सबकी दूकानें कांग्रेस (आई) यूथ के पास हैं। (शोरगुल) अगर आप वह महसूस करते हैं कि उसमें लोकदल के व्यक्ति चोरी कर रहे हैं, तो आप हटाइये उनको। मैं श्रीमन् फिर कहता हूं अगर मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश की डिस्ट्रीब्युशन व्यवस्था को देखना चाहें, तो किसी भी जिले को ले लें, सदन की कमेटी जाने को तैयार हैं और वह अपनी रिपोर्ट दे दे। मैं जानता हूं कि देहात में जो चीनी जा रही है वह किसी के पास ही, वह ब्लैक हो रही है। शासन आपका है, व्यवस्था आपकी खराब है। हम सबकी जिम्मेदारी है इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, अगर कहीं पर व्यवस्था खराब है, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक कमेटी बना दी जाय। क्या हो रहा है? ये तो खाली नारेबाजी पर चलना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर जब बोलूंगा तब कहूंगा। बड़े पैम्फलेट लगे हुए हैं "राजीव बुलाओ, भ्रष्टाचार भगाओ। "यह पूरा दल यहां इनकैपेबुल है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह––

इसमें कोई बुराई नहीं है । हम तो कहते हैं कि करप्शन आप नहीं मिटा पा रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

राजीव तो आ जायेंगे, लेकिन चरण सिंह नहीं आ पायेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाजपेयी जी जिस बात को कह रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सदन को भंग कराइये और चुनाव कराइये ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

सदन भंग कराना कोई गुड्डी–गुड्डा का खेल नहीं है । राजीव आयेंगे–आयेंगे, चौधरी चरण सिंह नहीं आ सकते ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

श्रीमन्, हमारे विरोध पक्ष का मतलब तो यही है कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि आप इनकंपेबुल हैं, तो आप हट जाइये, राजीव को आने दीजिये ।

(व्यवधान)

अब बतलाइये बाजपेयी जी (शोर) श्रीमन्, मैं बात यह कह रहा था कि यह जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, घबरायें नहीं, कुछ ही दिन और आप लोगों को बैठना है । (शोर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

घबराहट तो आपको है । वैसे अब आप मत घबराइये, अब आप मंत्री नहीं बनने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

श्री बाजपेयी जी भाषण के बीच कुछ पूछना तो ठीक बात है, लेकिन इस हद तक टोकना कि भाषण पूरी तरह से सुना भी न जा सके, यह बात ठीक नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

लेकिन मान्यवर, केवल मेरी ही बात को आप क्यों कह रहे हैं और भी तो माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इनकी तरफ के लोग भी तो बोल रहे थे, जब नेता सदन भाषण कर रहे थे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तो श्रीमन्, शासक दल ने जो कार्य पिछले दिनों किए हैं, उनकी तरफ फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नशाबन्दी जब जनता सरकार ने की थी, हो सकता है इम्प्लीमेन्टेशन में कुछ कमियां रही हो (शोर) मैं नहीं समझता हूं कि इस आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक इस बात को मानेंगे कि आदरणीय बापू के सपनों को इस तरह कुचला जायेगा, और नशाबन्दी को कुछ अपने स्वार्थों के लिए फिर चालू कर दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट है, और माननीय नेता विरोधी दल बोल किस पर रहे हैं, नशाबन्दी पर ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तो श्रीमन्, नैतिकता का प्रश्न तो आज उठता ही नहीं, राज्य में । जिस व्यक्ति ने ऐसे कठोर समय में अपनी तमाम चीजों का त्याग करके इस देश को आजाद कराया । तो श्रीमन्, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि आज हम उन्हीं के प्रयासों से एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं । जिनकी चित्र आज हम सभी के बीच में हर जगह लगे हुए हैं और सदन में भी लगा हुआ है । श्रीमन्, अभी पिछले दिनों एक में ही नहीं हिन्दुस्तान टाइम्स और अन्य अखबारों ने भी यह खबर निकाली 29 अगस्त को कि महात्मा गांधी के चित्र को हटा दिया गया । जिनके अनुयायी यहां बैठे हैं, इन्हीं के द्वारा । श्रीमन्, बहुत सी बातें हैं, कहां तक यह ठीक करेंगे । आज हां कानून और व्यवस्था के बारे में दो वक्तव्य आए हैं तो श्रीमन् आपके माध्यम से उस पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों की इस सदन की कार्य–सूची अगर आप देखें, जिसमें कितने निर्देश दिए गए हैं वक्तव्य देने के लिए , ऐसा क्यों । कानून और व्यवस्था दिन पर दिन ऐसी भयंकर क्यों होती जा रही है । इन्हें दो–तीन वक्तव्य रोज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है और श्रीमन्, आप, बताया जाता है कि हरिजनों के बारे में बहुत चिंतित हैं । एक लोकदल के हरिजन विधायक सहारनपुर के हैं, उनके साथ क्या व्यवहार वहां के गुन्डों ने किया, श्रीमन्, यह पता लगावें और फैजाबाद के एक पिछड़ी जाति के विधायक हैं, उनके साथ क्या हुआ ? पुलिस पहले उनके पीछे थी लेकिन अब संरक्षण उनको मिल गया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक एम0 एल0 सी0 थे उपाध्याय उनका मर्डर हुआ । गोरखपुर में दो छात्रों को पीटा गया और उनकी मौत हो गयी उनकी कोई चर्चा नहीं । सुल्तानपुर उरई, गोरखपुर में मान्यवर, एक हफ्ते के अन्दर 5 मर्डर हुआ है ।

एक सदस्य—

5 नहीं 6 ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मान्यवर, लीजिए हमारे साथी ने एक और जोड़ दिया 5 नहीं 6 । मान्यवर, एक इंजीनियरिंग कालेज का छात्र मारा गया एक यूनीवर्सिटी का मारा गया । मान्यवर, गोरखपुर में दो गुट हैं । मन्यवर, मैं कोई बात गलत नहीं कहना चाहता हूं यह हमारी सूचना है । मैं किसी का नाम नहीं लूंगा । मान्यवर, दोनों गुट दो डिफरेन्ट विरादरी के हैं । इन्हीं के द्वारा भूतपूर्व विधायक जनता जे0 पी0 का मर्डर हुआ था ।

एक सदस्य––

आपके राज्य में ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

प्यारे लाल शर्मा का क्या हुआ । उपाध्यक्ष जी, आपको भी इसकी जानकारी है कि गोरखपुर में क्या होता है । दोनों ग्रुप किस तरह से शासन पर हावी हैं उनकी एक पैरलल गवर्नमेन्ट है वह पिस्तौल के नोक पर हर विभाग के ठेके लेते हैं । मान्यवर, एन्टी करप्शन के बारे में कहा गया कि काफी संख्या में निलम्बित हैं काफी सस्पेन्ड है । मैं इतना कहना चाहता हूं आपने दवाइयों के वितरण के बारे में कहा । माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि कम से कम 33 या 23 विधायकों ने प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर किए थे । जिसमें 13 सदस्य कांग्रेस आई के थे विपक्ष के भी थ आपने आदेश दिए थे लेकिन पता नहीं कहां गई वह अप्लीकेशन वह दब गई उसको क्यों दबाया जा रहा है, उसमें कैबिनेट के एक सदस्य के हमदम समझिये नजदीकी रिश्तेदारों का मुझे पता नहीं । मान्यवर, बहुत सी चीज यहां पर आई में व्यक्तिगत कोई चीज नहीं कहना चाहूंगा जैसा मुझे सूचना है माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी जिक्र किया । उन्होंने कहा काफी केसेज पर विजीलेन्स की रिपोर्ट दबी हुई थी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बयान में कहा कि काफी क्लियर हो गई हैं । मान्यवर, आई0 ए0 एस0 पी0 सी0 एस0 की जो रिपोर्ट दबी हुई है आप बार–बार कहते हैं कि एक्शन लेंगे । मैं कहता हूं कि लोकदल की सरकार ने मुख्य अभियन्ता सिंचाई को भ्रष्टाचार के . . .।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी––

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने पहले भी एक बार लोकदल की सरकार कहा और अब दूसरी बार फिर कहा लोकदल की सरकार । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि लोकदल की कोई सरकार बनी थी ।

श्री उपाध्यक्ष––

इसका स्पष्टीकरण आप मुझसे चाहती हैं या उनसे ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी जानकारी में लोकदल की कोई सरकार नहीं थी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्या को मैं सूचना के लिए कह देना चाहता हूं कि इस बार भी जब यह पक्ष जीत कर आय तो उसका नाम जनता (एस) चौधरी चरण सिंह था, वही पक्ष लोकदल है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं । जो सरकार बनी थी वह जनता पार्टी के नाम से बनी थी या किसी विशेष दल के नाम से ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने एक स्पष्टीकरण चाहा था, वह दे दिया गया, अब आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य ला रहा था। कितने आई० ए० एस० आफिसरों के मकान सरकारी विभागों के पास किराए पर हैं, इसका पता मुख्य मंत्री लगायें, बड़े-बड़े लोग इसके घेरे में आ जायेंगे । पत्रिका में 19 सितम्बर, 1980 को निकला है ... ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, एक बात मैं जानना चाहता था कि आप क्या पूर्व रिकार्ड तोड़ना चाहते हैं या उसके अन्दर ही रहना चाहते हैं । अब तक 55 मिनट आप बोल चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

20 मिनट और लेंगे । अगर आप पहले कह देते श्रीमन्, तो मैं और पहले समाप्त कर देता ।

श्रीमन्, एक अधिकारी थे जिनको एक्साइज कमिश्नर बनाया गया । मुख्य मंत्री जी आप होम सेक्रेटरी को बुला कर पिछली सिंचाई विभाग की फाइलें मंगा लें, उनके बारे में क्या नोटिंग हुई थी ? इसी प्रकार एक और स्पेशल सेक्रेटरी थे, मामला पर्सनल है लेकिन 3-4 दिन पूर्व मुख्य मन्त्री के संज्ञान में लाया था, उसका कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे सदन के संज्ञान में लाया जाये, मैं कह सकता हूं कि वह आंत भ्रष्ट आदमी था, अगर मुख्य मन्त्री जी कहेंगे तो फाइलों के बारे में कुछ रेफरेंस दे दूंगा, वह अलीगढ़ में डी० एम० बना कर भेजे गये हैं । मैं लखनऊ में था, हजरतगंज चल रहा था, एक पुलिस अधिकारी, सब-इन्स्पेक्टर या एस० आई० जाने कौन था, मेरे घर आया और मेरे पिता से, जो इस माननीय सदन में 15 साल सदस्य रहे हैं, मेरे हथियार के बारे में कहा कि उसे जमा करना है । मेरे पास एक रिवाल्वर है श्रीमन् । उन्होंने अधिकारी से कहा कि

वह तो नेता विरोधी दल हैं लखनऊ में, वहीं रहते हैं। उसका जवाब था सैकड़ों नेता घूमा करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे फादर झूंठ नहीं बोल सकते 85 साल के हैं, 15 साल इस सदन में रहे। इसको आप पता लगा लें। मुझे बताया गया कि ऐसी–ऐसी बात हुई। मैंने डी0 एम0 से कहा क्या बात है। उन्होंने कहा कोई एवसेप्शन हमारे यहां नहीं है। मैंने कहा, मि0 शाह अपनी लिमिट में रहिये। मैंने कहा अभी दो दिन अलीगढ़ में मौजूद हूं, आप मुझे नोटिस भेजिये, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह का व्यवहार है। एक बात और बता दूं इस तरह की। एक रिटायर्ड डायरेक्टर कृषि थे। हमारे से पहले डायरेक्टर कृषि थे। हमारे जमाने में रिटायर हो चुके थ। एक इन्ट्री का मामला था। फाइल माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहें तो मंगा कर देख लें। नीचे के स्तर से काफी प्रयास हुआ कि इन्ट्री हट जाये। यूनीवर्सिटी का वाइस–चान्सलर बनने का चान्स मिल जाये। आपके दल का मन्त्री था जिसने दिया था। मैंने कहा नहीं, यह जरूरी है। इसको न हटाया जाये।

(शोर)

श्रीमन्, मुझे सुनें। जब इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो गया था तो वही व्यक्ति मुझे धमकी देने आता है। मैंने आई0 जी0 को टेलीफोन किया। एफ0 आई0 आर0 लाज करवाई। हुआ कुछ नहीं। यह तथ्य मैं इसलिए रख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग इसको समझें। यह सत्ता अदलती–बदलती रहती है। मन्त्री हैं कल नहीं रहेंगे। अधिकारी हैं कल नहीं रहेंगे। व्यवहार क्या होना चाहिये। क्या पुरानी रंजिश का बदला लिया जायेगा। क्या उन्हें हयूमिलियेट किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं। डी0 एम0 अलीगढ़ मुझे हयूमिलियेट करना चाहता है। समय बदलते देर नहीं लगती। कभी उस पक्ष के साथ भी यह हो सकता है।

एक सदस्य––

हम बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह––

आप क्या कर रहे हैं पूरा सदन इस बात को जानता है। पीठासीन अधिकारी भी जानते हैं। आगरे के कमिश्नर के बारे में आपके निर्देश हुए थे, निर्णय आज तक नहीं हुआ। मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही कि पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार हमने कर दिया है। आज तक नहीं हुआ।

एक सदस्य––

आपकी मर्जी के मुताबिक अधिकारियों को रख दिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इन्होंने कहा । मुझे फिर कहना पड़ेगा । आप पढ़िये अखबारों को । सिफारिशें कम करिये । मन्त्रियों के दफ्तर में जूते कम चलाइये ।

एक सदस्य--

सुझाव दीजिये । सुधार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

कैपसिटी सुधार करने की है ?

श्रीमन्, ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैंने कहा । इसका मतलब यह नहीं कि यहां अच्छे अधिकारी नहीं । बहुत अच्छे अधिकारी हैं । किस व्यक्ति की किस समय जरूरत है, नियुक्त किया जाता है । चुनाव जीतना था, अमुक व्यक्ति को इस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया । श्रीमन्, हवीट स्कैन्डल में उनकी चर्चा चली थी और जैसी सूचना है, शायद इस स्कैन्डल में उनका बहुत बड़ा हाथ है और कमिश्नर इक्साइज और बहुत से अधिकारियों का हाथ है । श्रीमन्, अपने उनको बदल दिया, अच्छा किया । नये मुख्य सचिव आये हैं । मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि कम से कम जो दुर्गुण उनमें थे, उनसे वे परे हैं । लेकिन पुनः स्कैन्डल का सूत्रपात किया जा रहा है । आपने कहा कि मैंने विजीलेंस बिठा दिया है । कृपया आप लोग सुन लें । कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दरख्वास्त देते हैं कि इनकी विजीलेंस इन्क्वायरी करायी जाय । लेकिन होता क्या है । जब वह अधिकारी रिटायर हो जाते हैं तो विजीलेंस रिपोर्ट आती है । एक नियम बना दिया गया है, श्रीमन्, कि विजीलेंस इन्क्वायरी के गम्भीर आरोप चलते रहेंगे, तो भी उसका प्रमोशन हो जायेगा । मैं तो कम से कम ऐसी ही चीजें सुन रहा हूं ।

एक सदस्य--

आप तो केवल सुनी चीजें बता रहे हैं । कुछ अपनी भी कहेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप सुना करें, इसीलिये बता रहा हूं, लेकिन आप तो सुनकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, विजीलेंस इन्क्वायरी के ऐसे केसेज में अति शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये । लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा । इनका प्रशासन समाप्त हो रहा है । थोड़ा समय था, लेकिन देखने का मौका मिला । माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि जो आपके होम सेक्रेट्री हैं, वह उस समय सिंचाई विभाग के सचिव थे । वह जानते हैं कि एक असिस्टेंट इन्जीनियर की सेवाओं के समाप्त होने के आदेश हुये थे । लेकिन वह फाइल गायब है । नाम भी कभी बता दूंगा । लेकिन वह फाइल गायब है । आपके सचिव सहमत थे कि वह बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है । वह जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना प्रेसर था । लेकिन हमने कनसीड नहीं किया और हमने आदेश कर दिये । लेकिन वह फाइल ही गायब हो गयी है । आज तक उस फाइल का पता नहीं चला ।

श्री पंचानन राय--

फाइल, जब आप मन्त्री थे, तभी गायब हो गयी थी, न ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपके जमाने में हुयी होगी । एक बहुत बड़ी चीज आ रही है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

एक लाख की जमीन 9 लाख में बेंच दी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो, मान्यवर साबित ही नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले भी कहा था और आज भी कहा कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे । हम प्रशासन और शासन में स्वच्छता स्थापित करेंगे । लेकिन किस तरह से करेंगे ? श्रीमन्, अभी 12 अगस्त, 80 को ही मार्डन इण्डिया पत्रिका में निलला है कि--डू नाट लुक कार ए हाउस, बट ग्रैब इट, किसी घर की तलाश न करें बल्कि कब्जा कर लें । तो हाउस की ग्रैबिंग हुयी है और आपके माननीय सदस्य ने किया । मानपुर के एक माननीय सदस्य ने जबर्दस्ती मकान पर कब्जा एल0 आई0 सी0 के मकान का कर लिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहीं कोई वक्तव्य देने की कोशिश की ? मैं मानता हूं कि वह परेशान हैं, व्यस्त रहते हैं । रिजवी साहब उनका काम देख रहे हैं । तो उन्हीं को बता देते ? या उनके सचिव बयान के लिए दे देते ? मैं तो अखबारों से बता रहा हूं कि यह स्थिति है आपके युवा लीडर जह रहे हैं । (शोर) आप घबड़ा क्यों रहे हैं । मैं बधाई देता हूं आपके युवा सदस्य को, आपके ही दल के हैं । उन्होंने काफी चिन्ता व्यक्त की है । माननीय संजय सिंह ने यह कहा कि यह नहीं होना चाहिए। आपके सदस्य परेशान हैं वह कहते हैं कि यहीं होना चाहिए।

एक सदस्य--

आप कुछ अमूल्य समय का भी ख्याल रख रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं तो ख्याल कर रहा हूं लेकिन आपके लिए अमूल्य समय का कोई ख्याल नहीं है । श्रीमन्, मकान से हटकर अब यह होटलों पर हो रहा है । मैं तो सिर्फ स्थिति को बता रहा हूं । नैतिकता का यह तकाजा रहा है । सच्चाई को आगे रखिए और कुछ अपनी तेजी दिखलाइए इन्हें, श्रीमन्, कुछ करना तो है नहीं । लेकिन मेरा कर्त्तव्य है विरोधी पक्ष का होने के नाते, कटमोशन रखने वाले के नाते इस प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ चीजें आपकी नोटिस में लाऊंगा । यह चीज जरूरी है, याद दिलाना । आप सत्ता में हैं । भूल सकते हैं । भ्रष्टाचार मिटाने का बहुत बडा नारा है । आपके माननीय सदस्य हैं, सीमेन्ट चोर बाजारी में पकड़े गए, एक माननीय सदस्य उसके अध्यक्ष हैं, उसके सेक्रेटरी हैं । क्या सुनना चाहते हैं । आप कर पायेंगे कुछ । कुछ नहीं कर पायेंगे । इस समय आपके दल में माननीय सदस्य हैं । निकालिए दल से, एक्सप्लेबेशन काल कीजिए क्यों ऐसा

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

हुआ ? एक माननीय सदस्य थे उस कमेटी के अध्यक्ष से तमाम पुलिस आफिसर ने वहां बैठे फोटो खिचवाई । वहां इनवाइट किये गये । सब जानते हैं । यूथ कांग्रेस, कांग्रेस (आई) के सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अध्यक्ष हैं । इस प्रदेश के अन्दर जब लखनऊ में आप संभाल नहीं पा रहें हैं तो अलीगढ़ और मुरादाबाद में क्या संभाल पायेंगे । मैं थोड़ा समय लूंगा । जो दंगा हुआ, उसके सम्बन्ध में सेंटर ने पी० ए० सी० को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा । बहुत बड़ी चीज है । मुझे शंका है जिस तरह से पिछले दिनों कुछ जाति विशेष के अफसरों के साथ इस प्रदेश में जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनसे मैं चिन्तित हूं । 22-8-80 के पायनियर में जनार्दन ठाकुर का एक लेख है---"ब्लांड ऐक्शन टु स्प्वायल इंडियाज सेकुलर इमंज" । प्रधान मन्त्री से कुछ एम्पीज मिले । उन्होंने कहा कि पी० ए० सी० में जातिवाद है । यह तथ्य सही नहीं है । इसी तरह से 1 सितम्बर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में है । कहा गया है कि पी० ए० सी० में जाट और अहीरों का बहुमत है । यह सब जाति विशेष के अधिकारियों के साथ अन्याय करने के लिए हो रहा है । आप ऐसा करेंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा । इस व्यवस्था के अन्दर अगर ऐसा किया गया तो कानून व्यवस्था नहीं रह पायेगी । आप कमिटेड करना चाहते हैं । अगर कमिटेड कर दिया आप कभी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पायेंगे, मैं अधिक नही कहूंगा । सिर्फ रेफरेंस दूंगा । माननीय मुख्य मन्त्री मांग कर पढ़ लें टाइम्स आफ इंडिया, 1 सितम्बर, 1980 का, मि० जे० एस० लाल, रिटायर्ड आई० सी० एस० का लेख है । मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लें । एक लेख और है इंडियन एक्सप्रेस में, 10 जुलाई, 1980 को, "पुलिस, पालिटिक्स ऐंड पालिटी शियंस" । लेखक हैं मधुकर एस० हेवले । पढ़ लीजियगा । आपकी समझ न हो तो रिजवी साहब को दे दीजयेगा, भानु प्रताप सिंह जी को दे दीजिएगा शायद पढ़ कर बता दें । इस तरह की व्यवस्था आपने किया है कि अधिकारियों का ट्रांसफर उनको यहां भेज कर, वहां भेज कर, कमिट करने के लिए करते हैं । जरा सोचना पड़ेगा ।

हमारे देश के अन्दर आजादी के बाद एक पुरानी लिगेसी चली आ रही है कि अगर किसी अधिकारी के साथ कोई व्यक्ति बारदात करता है तो वह ब्रिटिश क्राउन का अपमान समझा जाता था । इस व्यवस्था को बदलना होगा । अगर कोई नागरिक, किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कानून बना हुआ है उसको सजा दीजिये । लेकिन वह देश और प्रदेश का अपमान नहीं माना जाना चाहिए । पुरानी लिगेसी को छोड़ना होगा । मैं इसी के लिये कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद, हो सकता है कि मुरादबाद के अन्दर यह सब कुछ असामाजिक तत्वों न किया हो तो आपने उन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की, उन लोगों को आपने क्यों नहीं पकड़ा । आपको देखना होगा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ ऐक्शन लें । क्राउन अब सुप्रीम नहीं है, अब तो देश सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है, अब व्यक्ति सुप्रीम नहीं है । श्रीमन्, अब क्राउन की सुपरमेसी नहीं रही इसी लिए श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इस पर विचार करें । मान्यवर, केन्द्र में व्यवस्था नहीं चल पा रही है और वही हाल प्रदेश का है । आप सुधार लाने के लिये सहारा ले रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का । श्रीमन्, मैं एक आर्टिकिल है उसको थोड़ा सा पढ़ूंगा । मुख्य मन्त्री जी आप पढ़ न पायें तो थोड़ा सा सुनें "इंडियन टुडे" 16 से 30 सितम्बर 1980 का यह आर्टिकिल है ।

एक सदस्य---

इस पर तस्वीर किसकी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

[× × ×]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरा लाइब्रेरी जाने का समय बच गया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं किताबें भी भिजवा दूंगा । मैंने मार्किंग भी कर रखी है । मान्यवर, किस तरह से प्रेस की स्वतन्त्रता को समाप्त किया जा रहा है बगैर सेंसरशिप लगाये यह किया जा रहा है । सन् 1975 जैसी चीजें अध्यादेश, नियमों या दूसरे तरीके से लायीं जा रही हैं । यह बहुत एलार्मिंग है । सोचिये, थोड़े से स्वार्थ के लिये, जिस देश का प्रेस स्वतन्त्रन हो उस देश को आजाद नहीं कहा जा सकता, न वहां डेमोक्रेसी ही आप कह सकते हैं । प्रेस को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिये, आप भी अपनी बात कहें । मैं इस आर्टिकिल में से थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं ।

एक सदस्य--

क्या पढ़ा नहीं है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

पंचानन जी मैंने सब कुछ पढ़ा है । आपके दिमाग में कितना घुस पायेगा उतना ही पढ़ूंगा । मि० एस० निहाल सिंह का लिखा हुआ आर्टिकिल है--

Let us be quite clear about it Mrs. Gandhi is no believer in a truly free press, as the term is understood in free societies, as her father understood it. But she attacks the press obliquely. "Is the freedom of the press greater than the interests of the country ?" She recently asked. To complete her line of thought, the country means the ruling party and the ruling party, the leader. And thus it follows that for Mrs. Gandhi, freedom of the press is what she decides it should be.

श्री उपाध्यक्ष--

इसको हिन्दी कर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं हिन्दी किये दे रहा हूं ।

एक सदस्य--

किस पेज पर है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रजेन्द्र सिंह--

यह पेज 14 पर है । श्रीमन्, हिन्दी में इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के लिये प्रेस की फ्रीडम के यह माने नहीं हैं जो उनके आदरणीय पिता य. इस देश का फ्री सोसाइटी के माने रहे हैं। उनके लिये फ्रीडम आफ प्रेस का मतलब जो पार्टी कहे, सत्ता पक्ष कहे और पार्टी का मतलब जो कुछ वह कहें, जो वह डिक्टेट करें कि यह लिखो, वही फ्रीडम आफ प्रेस है ।

फिर आता है--

"whatever his other failings, Mrs. Gandhi's not so new information minister is busy as a free working to achieve her objectives.

कुछ भी हो लेकिन मिनिस्टर इंफारमेशन के जो हैं उनके दिमाग की कल्पना और भावना है उसको वह कार्यान्वित करने में बड़ी तेजी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है । फिर आगे यह है--

The old Press Commission was virtually dismissed, the Government readily accepting the members' formal resignations, and a new one reconstituted, with a more 'Committed" membership and wider terms of reference, including ownership.

प्रेस कमीशन का इस्तीफा मांगा गया । जल्दी में स्वीकार हुआ और नया प्रेस कमीशन बनाया गया और वह उसमें रखे गये जो लोग कमिटेड हैं । देश की आजादी पर जो खतरा आ रहा है वह कमिटेड की ओर से आ रहा है । वह उनके साथी हैं । महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनके दल के महासचिव रहे हैं और वह कमिटेड जुडिशियरी चिल्ला रहे हैं । कहीं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मशीनरी कमिटेड प्रेस और कमिटेड मैन रखे जा रहे हैं । इससे प्रेस की स्वतन्त्रता नहीं रह गयी है । मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, यह सरकार फेल हो गयी है और प्रशासनिक क्षमता खो बैठी है। कर्नाटक में आपके साथ प्रेस के साथ क्या कर रहे हैं जिसको मैं कहना चाहता हूं । अमृत प्रभात में कुछ अधिकारियों के खिलाफ निकला । वहां श्रीमन्, 23 सितम्बर को संवाददाता ने लिखा है कि संवाददाता को फंसाने की साजिश की जा रही है । मान्यवर, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं चूंकि समय कम है ।

मान्यवर, अब मैं जो बातें प्रशासन से सम्बन्धित हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि बनारसी दास जी की सरकार ने कैबिनट में जिसकी वह अंतिम मीटिंग थी, 14 फरवरी को एक निर्णय लिया था, प्रेस में आया था, बिजली के रेट के बारे में नलकूपों के संबंध में । निर्णय इसलिये था कि सूखे के कारण किसानों की इस साल बिजली नहीं दी गयी थी । कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि गत तीन वर्षों में किसानों को जितनी बिजली दी गयी है उसी प्रोप्रोरशिनेट में इस साल जितनी बिजली कम मिल होगी, किसानों पर प्रोप्रोरशिनेट उतने चार्जेज कम कर दिये जायेंगे ।

श्री रजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने अभी एक खबर "इंडिया टुडे" दिख

दिया कि इस पक्ष (शासन दल) के बैठने वालों की [× ×] पत्रिका में ऊपर है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या नेता विरोधी दल अपने [× × ×] के बारे में भी कोई सूचना दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल की गरिमा के अनुकूल यह नहीं था कि वह इस दल की मम्मी शब्द का प्रयोग करते और (तालियां) यह जो इधर से पूछा गया कि इस दल के पापा के दामाद के बारे में कहा जाय वह भी अनुचित है। दोनों अनुचित हैं (तालियां) इसलिये ये दोनों शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं किसानों को मिलने वाली बिजली के बारे में 14 फरवरी के कैबिनेट के निर्णय की ओर माननीय नेता सदन का ध्यान दिला रहा था कि वह कृपया इसे देख लें। अगर यह राष्ट्रपति शासन में समाप्त कर दिया गया है तो हम कुछ नहीं कहना है। यदि आप के समय में समाप्त किया गया हो तो उसे लागू करने की कोशिश करेगें। फाइनल क्या निर्णय इस बारे में हुआ उसे बतलाने की कृपया करेंगे क्योंकि पेपर से हमें सूचना मिलती नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ और अपने कटौती के प्रस्तावों को पुनः रखते हुये और इस सरकार की इस मने में निन्दा करते हुये कि यह असक्षम रही है, सारा प्रशासन चौपट हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था जैसी नाम की चीज नहीं है, चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मैं श्रीमन्, अपना भाषण समाप्त करता हूं। (तालियां)।

(वाह, वाह की आवाजें)

*श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शांति से और धैर्य के साथ....

श्री मोहन सिंह--

यही तो ताज्जुब है...

श्री काशी नाथ मिश्र--

नेता विरोधी दल की वार्ता सुन रहा था। और श्रीमन् मैं जितनी गहराई से इन की बातें सुन रहा था, उतनी ही गहराई से इन के शासन काल को याद कर रहा था। आज माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, चीफ मिनिस्टर के

नोट [××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र—]

प्रशासन की आलोचना किसान, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग, भले ही करें लेकिन आप को ऐसा करने का हक नहीं है । श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय नेता विरोधी दल, माननीय राजेन्द्र सिंह जी को कोई नैतिक अधिकार है इस कांग्रेस (आई) प्रशासन की आलोचना करने का । कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं है । श्रीमन् अभी आप बिजली की चर्चा करते हुए बैठ गये । मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय बहुगुणा जी की यहां सरकार थी और कांग्रेस का प्रशासन था तो बिजली की जब कमी पड़ी तो कमीशन बैठाया गया , इस कमीशन ने यह तय किया कि गाजियाबाद के अंदर जो 15–15, 20–20 वाट के बिजली देने के स्टील फरनेश हैं उनकी बिजली में कटौती कर दी जाय और वह बिजली किसानों को दी जाय जब जनता शासन हुआ और उस में जो यह लोकदल का नाम ले रहे हैं उस के मंत्री हुये तो उन्होने एक करोड़ रूपये लिये । मेरा आरोप है । मैं जानता हूं । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि एक करोड़ रुपये रिश्वत ले कर स्टील फरनेस को स्टील जारी रखी गयी (शोर) एक तरफ बिजली की कमी और दूसरी तरफ आप के मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय राजेन्द्र सिंह जी के मंत्री ने पूंजीपातयों से एक करोड़ रुपया रिश्वत ले कर गाजियाबाद के अंदर स्टील फरनेस को चालू रखा । इतना ही नहीं भ्रष्टाचार का उदाहरण दे रहे हैं । इन के प्रशासन में क्या हुआ । माननीय बनारसी दास ने एक एम0 एल0 ए0 को अपनी तरफ करने के लिए सब इनस्पेक्टर और एक अधिकारी का पांच–पांच (व्यवधान) गोरखपुर के गुन्डों के गिरोह की बात कर रहे थे । दो गिरोह हैं मैं जानता हूं उसमें से एक गडा इनके दल का नेता रह चका है । दूसरा हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है । दोनों का कांग्रेस (आई0) से सम्बन्ध नहीं है । दोनों गुंडों का सम्बन्ध आप कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते । फिर आप भ्रष्टाचार की बात करते है । सर्वाधिक दुहाई दी जाती है चरण सिंह की । उनके भानजे तथा दामाद दोनों अधिकारी हैं जनता पार्टी में । रुद्रपुर एवं नैनीताल में जमीन के मामले में, 9 लाख रुपये के गबन के मामले को राज्य सभा में पेश किया गया । यह सारे मामले उनके भ्रष्टाचार के सबूत हैं और उल्टे आप हम पर इल्जाम लगते हैं । यह विषय आलोचना का नहीं हो सकता ।

प्रशासन क्या है, सामान्य प्रशासन क्या है उस पर नेता विरोधी दल कुछ नहीं बोले केवल एक एक अखबार लेकर कादम्बनी से कुछ जिक्र कर दिया सूर्या में क्या लिखा है उसका जिक्र कर दिया । एक आदमी के लेख से विशाल उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता पर जो प्रशासन हो रहा है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं नेता विरोधी दल से, उनको यह मानना पड़ेगा कि जितने भी मुख्य मंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में आज तक उनमें से पहले मुख्य मंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने शपथ लेने के बाद इस बात का ऐलान किया कि हमारा प्रशासन गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, भूमिहीनों के पक्ष में, शोषित और पीड़ित जनता के पक्ष में झुका रहेगा । इस प्रकार की बात आज तक सदन में किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं कही । आज भी उन्होंने कहा कि गाबियाबाद की मोदी मिल में जो हड़ताल हो रही थी उस सम्बन्ध में मोदी साहब के प्रतिनिधि जो आये हुए थे उनसे साफ साफ कहा, मैं भी उस समय मौजूद था, यह सरकार दिल से मोदी के मिल की हिफाजत नहीं कर सकती और जो कुछ भी मजदूरों के हकूक होंगे उनको मोदी को देना पड़ेगा जैसा नेता विरोधी दल ने शुरू में कहा अगर आंकड़े ही मापदंड हैं

डकैती, चोरी, लूट कत्ल तो सरकारी आंकड़े ही वह हो सकते हैं एक तराजू से आप तोलें एफ0 आई0 आर0 में लिखे जो सरकारी आंकड़े हैं, या जो छपते हैं सरकारी आंकड़ें उनकी अगर तुलना की जाय, हालांकि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन उन सरकारी आंकड़े के आधार पर अगर आप कोई निर्णय लेना चाहें तो निश्चित रूप से इधर 3,4 महीने में तो जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस (आई0) के शासन काल में अपराध घटे हैं, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व काल में अपराध घटे हैं इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती तो यह प्रशासन की स्थिति है। आप देखें कि पिछले साल क्या हालत रही। कितने अपराध डकैती, चोरी, लूट के सम्बन्ध में हुए और उतने ही दिन में अब जो हुए उनकी तुलना कीजिये। माननीय नेता विरोधी दल आगरा तथा मुरादाबाद का जिक्र कर रहे थे। मैं उनसे कहूंगा कि उनके शासन काल में अलीगढ़ में लगातार एक साल तक सितम्बर, 78 से अक्तूबर, 79 तक साम्प्रदायिक दंगे होते रहे थे। वह उन पर काबू नहीं पा सके थे।

श्री मारकन्डेय चन्द्र--

26 तारीख का बी0 बी0 सी0 से ब्राडकास्ट गोरखपुर के बारे में आपने सुना ? (व्यवधान)।

श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि प्रशासन का रास्ता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बदला है और उसकी तस्वीर इन 5/7 महीनों में ही हमारे सामने आ गई। जहां तक दुकानों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि राशन की दुकानें और सस्ते गल्ले की दूकानें लगभग प्रदेश के सभी क्षेत्रों में खोली गई हैं। जनता पार्टी के शासन काल में ये सस्ते गल्ले की दुकानें कुछ अराजक तत्वों के हाथ में दी गई थीं जिससे आम आदमी को गल्ला नहीं मिल पाता था। सामान चोर बाजारी में बेंच दिया जाता था। मुख्य मंत्री जी ने छापा मारकर और जिले के प्रशासन को चुस्त बनाकर इस बात का असर डाला है कि इस प्रकार की दुकानों को हटाया जाय। अन्यवर, नेता विरोधी दल चले गये। मैं एक-एक आदमी का नाम बता सकता हूं कि किन-किन को ऐसी दुकानें दी गई थीं। मैं अपने जिले के लोगों को जानता हूं इस समय पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे लोगों के हाथ से ये दुकानें निकाली जा रही हैं औ गांव के लोगों की राय से ही इस तरह की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। नेता विरोधी दल कई ऐसी बातों का जिक्र कर रहे थे और मैं समझता हूं कि उस समय वे अपने वक्त के प्रशासन तंत्र को भूल गये कि उन्होंने किस तरह से काम किया ? किस तरह से उनके समय में बिजली की व्यवस्था थी ? राशन की क्या व्यवस्था थी ? ला एन्ड आर्डर की क्या व्यवस्था थी। म आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय

[श्री काशी नाथ मिश्र---]

पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्य मंत्री मिला जिसको कि कुर्सी से कोई लगाव नहीं है वरच् और अइडियाज के लिये प्रशासन करते हैं । जिस तरीके से आज हमारी मंत्रि-परिषद् का कई बार विरोध पक्ष की तरफ से मखौल बनाया गया, मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही कोई कम्पीटेंट क्यों न हो। यदि मंत्रि-परिषद् की टीम ठीक नहीं है तो प्रशासन में गड़बड़ी होती है लेकिन जो आज हमारा व्यवस्था है उससे हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे मुख्य मत्री जी के नेतृत्व प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलेगा ।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी, बिना उस बात का जवाब दिये मेरी बात पूरी नहीं होती इसलिये मैं कह देना चाहता हूं । उन्होंने आरोप लगाया है कि हम जातीयता के आधार पर पी० ए० सी० और पुलिस का गठन कर रहे हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वे यहां पर कृषि मंत्री थे तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर ब्राह्मणों पर आरोप लगाया था और उसके सिलसिले में विजीलेंस बिठायी थी कि ये लोग जातीय दृष्टिकोण से काम करते रहे । चोर की दाढ़ी में तिनका---इस रूप में ये लोग काम करते रहे । हम जातीय तरीके से किसी के साथ कोई एसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं । हमारा प्रशासन किस तरह से अच्छा चले, उसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है ।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये। यदि वे इस समय सदन में बैठे होते तो अच्छा होता । मान्यवर, 9/10 मुख्य मंत्रियों को इस कुर्सी पर बैठे देखा है लेकिन 9 जून के बाद जो ये मुख्य मंत्री आये हैं इनका वजन 10 पौंड घट गया है और रंग भी पीला पड़ गया है वरना जो भी मुख्य मंत्री यहां पर बैठा है उसकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हुई है। और मोटे ताजे होकर गये हैं । वजह क्या है मैं नहीं जानता हमारे देहात में एक कहावत है एक बकरी किसी कसाई के यहां बंधी थी वह बकरी रोजाना दुबली होती जाती थी इस डर से कि न जाने किस दिन वह कट जायेगी तो एक तो यह वजह हो सकती है या फिर देहात में एक जानवर होता है जिसे सावन के महीने में छोड़ दिया जाता है कि जहां चाहो चरो चारों तरफ हरा ही हरा होता है वह जानवर नहीं समझ सका कि कौन से घास चरू कहां जाऊं तो वह इसी में दुबला हो गया तो दूसरी वजह यह भी हो सकती है । आपको इतनी शक्ति मिल गयी है कौन सी फाइल में कौन सा आर्डर करूं, कौन बात मानूं और कौन न मानूं । तो इसमें ही उलझ कर आप दुबले हो रहे हैं । इनमें से कौन सी वजह है यह आप स्वयं समझ सकते हैं । लगभग 60 करोड़ रुपया आप मांग रहे हैं । जिन लोगों के लिए मांग रहे हैं उन्होंने आज इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप उनकी तनख्वाह भी बंद कर दें और उनसे कहेंगे कि सारी खर्चा टेलीफोन, वायरलेस आदि का तुम दोगे, वह इतने सेल्फ सपोर्टिंग हो गये हैं कि वह बिना तनख्वाह के काम करने को तैयार रहेंगे । इसलिए यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक जो मशीनरी है उसका केवल एक ही काम रह गया है कि पैसा कमाओ । वह आपको भी दे देंगे तो क्या आप 60 करोड़ रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं और जनता पर भी टैक्स लगा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुल्क आजाद हुआ गांधी जी और नेहरू जी ने कहा अब जो है गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल यानी जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार और जनता द्वारा सरकार होगी। तो वह-वह जमाना बदला और यह सरकार गवर्नमेंट आफ दि आफिसर्स, बाई दि आफिसर्स फार दी आफिसर्स हो गई। इन तीस सालों में अधिकारियों की सरकार अधिकारियों के लिए सरकार और अधिकारियों द्वारा सरकार बन गयी। इसमें जो प्रजातांत्रिक ताकत थी वह बिल्कुल बताकत हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जरायम 14 परसेंट घट गये हैं। तो मैं आपसे एलान के साथ कहना चाहता हूं आप अकेले मुरादाबाद को ले लें कि कितने 302, कितने 396, कितने 307 कितने 376 के केसेज जिसमें बलात्कार आप लेते हैं और कितने 34, के केसेज वहां पर हुए हैं। जो अपने में एक रिकार्ड हैं दूसरे शहरों को लेने की जरूरत नहीं होगी। इस पर भी काशीनाथ जी आप कहते हैं कि जरायम कम हुए हैं आपके पास मुरादाबाद की रपट आ रही होगी। तीन दिन पहले की रिपोर्ट भी आ गई होगी कि 10 हजार बच्चे और औरतें की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गयी। क्योंकि आपकी पुलिस 20 आदमियों को घर में घुस कर पकड़ ले आई तो उसके विरोध में 10 हजार आदमी इकट्ठा हो गये कि इनको नहीं छोड़ेंगे तो हम भी इनके साथ जायेंगे और आपको उनको छोड़ना पड़ा। कल कनवेंसन में यह बात हो गयी है। मुरादाबाद में जो आपने खून की होली खेली है उसके बारे में मैं तीन बातों का जवाब आपसे चाहता हूं जिनका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। पहला यह है कि कर्फ्यू लगने से पहले 9 बजे से 11 बजे तक जो आपने पुलिस और पी0ए0सी0 वहां लगायी थी उसके लिए क्या किसी हिन्दू भाई ने दरख्वास्त की थी कि 50 हजार मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं हमें खतरा है पुलिस लगाइये नहीं तो क्या किसी मुसलमान भाई ने कहा था कि हिन्दू भाईयों से हमें खतरा है पुलिस भेजिये, नहीं।

आपने अपनी जिम्मेदारी ओढ़ी कि हम तो पुलिस का और तमाम दूसरा इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कि मसलमानों की नमाज डिस्टर्ब न हो सके, और वह डिस्टर्ब हो गई और इस बुरी तरह वह डिस्टर्ब हो गई कि दुनियाँ के अन्दर एक मिसाल बन कर रह गई। इसमें आप नालायक साबित हो गये, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे के चौकीदार से लेकर एस0एस0पी0 तक की नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी तथा अन्य तमाम धाराओं में प्रासीक्यूट करने चाहिए और उन्हें तुरन्त नौकरी से निकाल देना चाहिये। कर्फ्यू 13 तारीख को 11 बजे लगा और वहां मिलेट्री 16 की शाम को पहुंची और इन बीच के तीन दिनों में क्या हुआ। क्या कारण था कि आपने हिन्दू मुसलमान गुन्डों के हाथ में मुरादाबाद को इन तीन दिनों के लिए खुलकर खेलने की मनमानी करने की इजाजत दे दी। 17 की सुबह जो गिरफ्तारी हुई है, क्यों नहीं असामाजिक तत्वों और गुन्डों की गिरफ्तारी 14 की सुबह की गई। तीन दिन उनको सब करने के लिए फ्री छोड़ दिया गया। 14 तारीख की सुबह ही यदि गलत तत्वों की गिरफ्तारियां हो जातीं तो शायद मुरादाबाद में यह कत्लेआम और लूटमार न हुई होती। फिर जो

[श्री रियासत हुसैन—]

लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं, जो 396, 302 आदि धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं, जो इन धाराओं के मुलजिम हैं, जो मौका पड़ेगा तो सेक्रेटरिएट को खरीद लेंगे । ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को 25-25 हजार रुपया केवल इसलिए दिया है कि हमारे घरों की तलाशी न ली जाए । यह इतने धनी लोग थे और जानते थे कि यदि पुलिस अन्दर आ गई तो न कुछ मिले तो भी धन दौलत, सोना चांदी लूट ले जाएगी । जब वह रिमान्ड पर बरेली से 4 बसें आई थी (व्यवधान) मुरादाबाद के लिए 3-4 हजार औरत उनको देखने के लिए बस में आई थीं । शर्म नहीं आती आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हुए और मुख्य मंत्री जी उनके लिए 60 करोड़ रुपया मांग रहे हैं । मैं तो साफ तौर से कहना चाहता हूं कि उसके यहां देर है अंधेर नहीं । आप खुदा से डरिये । ऐसे लोगों को जिन्होंने सारे जुल्म किये आप जानते हैं, उनके काले कारनामे जानते हैं, इसलिए आप उनके कार्यों का पर्दाफाश करके दंडित कीजिए । मुख्य मंत्री जी जो कुछ कह रहे थे, उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने की मजबूरी कि जिनको मुकदमें चलाकर जेल के सीखचों के पीछे डाल देना चाहिये, उनके लिए वह रुपया मांग रहे थे । दिसम्बर, 1978 से अब तक की अवधि में यानी दो साल से भी कम समय में वहां के 5-6 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बदले गये । सर्वश्री ए० बी० सिंह, नागेन्द्र नाथ सिंह, प्यारे मोहन अग्रवाल, आर० एन० तिवारी और एस० पी० आर्य । इस वक्त श्री एस० पी० आर्य पांचवें आए थे । यही बात मैंने 11-12 तारीख को होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से बात करते हुए कही थी कि मुरादाबाद वह जगह नहीं है जहां नातजुर्बेकार, नये-नये डी० एम० भेज दिये जाएं, वह ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है, वहां काफी अनुभवी और चुस्त अधिकारी भेजे जाने चाहियें ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हालात अब भी चल रहे हैं, उसम और तीन दिन पहले ईदगाह में जो इतना बड़ा मजमा जमा हुआ, उससे आप समझिए कि हालात क्या हैं और आपका हुकम कौन मानता है ? रेवेन्यु मिनिस्टर ने वहां की तहसील बिलारी के 8 लेखपालों के ट्रांसफर किये थे, इसलिए कि वह मुसलमान थे । लेकिन जब आपने समझा कि यह उनके साथ ज्यादती हुई है तो आपने आर्डर किया कि ट्रांसफर कैंसिल किए जाएं, किन्तु दो महीने हो गये हैं और डी० एम० मुरादाबाद ने वह आर्डर कैरी आउट नहीं किया है । हैसियत क्या है आपके आर्डर्स की ? अखबारों में छपी बातों को माननीय नेता विरोधी दल ने काफी विस्तृत रूप से कही है । सैयद हुसैन एक आदमी हैं, उनका सम्बन्ध आपसे है । मुझे इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है । आप उसे भलीभांति जानते हैं । आपका कोई अधिकारी यहां के सीक्रेट्स देता है और सुना है कि आप इसकी भी इन्क्वायरी कर रहे हैं । क्या आप अपने अधिकारियों के जरिये प्रशासन को चलाना चाहते हैं, क्या आप माइनोरिटीज की सिक्योरिटी कर सकते हैं ? अंग्रेजों ने जो हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का तरीका अपनाया था क्या आप भी उसी को अपनाकर हरिजनों और मुसलमानों को लड़ा रहे हैं क्योंकि हरिजन भाई तो जगजीवन राम के साथ हैं और मुसलमान भी आपके साथ नहीं हैं । तो मैं साफ बताये देता हूं कि इस "डिवाइड एंड रूल" की पालिसी से काम नहीं चलने वाला है ।

यह जो किताब आपने सामान्य प्रशासन के बारे में वितरित की है उसमें पृष्ठ संख्या 8 पर स्पष्ट रूप से हरिजनों की प्रतिशत का विवरण दिया है जो हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियों में हैं । इसमें क्लास 1 में 4.4 प्रतिशत दिया हुआ है ...

श्री काशीनाथ मिश्र––

माननीय सदस्य तो बहुत पुराने हैं। इनको मालूम होना चाहिये कि हरिजनों और मुसलमानों को लड़ाने वाला आर० एस० एस० है न कि शासन।

श्री रियासत हुसैन––

द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों में इनका प्रतिशत 4.8 है, तृतीय श्रेणी में 9.8 और चतुर्थ श्रेणी में इनका प्रतिशत 14.8 है। क्यों है ऐसा ? आज तक भी यह पूरा क्यों नहीं हुआ है ? आज भी यही रोना रोया जा रहा है।

मान्यवर, एक बहुत बड़े इम्पार्टेन्ट एम० पी० हैं। वे पब्लिक अन्डरटेकिंग के चेयरमैन बना दिए गये थे। जब वे किसी प्रोजेक्ट को देखने गये तो वहां के एम० डी० जो कि एक आई० ए० एस० अधिकारी थे, तो उन्होंने उससे कहा कि मुसलमानों और हरिजनों का कोटा फोर्थ क्लास में इतना होना चाहिये। कुछ दिन बाद वे फिर वहां पर गये। जब उनसे फिर पूछा गया कि यह प्रतिशत पूरा क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर टैक्नीकल या क्लेरिकल कैडर में इस कोटे को पूरा करने की बात हो तो हम निर्धारित परसेन्टेज के कोटे से अधिक ले सकते हैं लेकिन फोर्थ क्लास में हम इस कोटे को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि श्रीमन्, हम घरों से काफी दूर काम कर रहे हैं तो हमारा खाना कौन लाये, पानी कौन लाये। क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि इन जगहों पर हरिजनों और मुसलमानों को नियुक्त करें। हम इस्तीफा देकर जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यह सुनकर वह एम० पी० भौचक्का रह गया। उनका नाम आप जानते ही होंगे ? उनका नाम फिरोजगांधी है। अगर आपको यकीन न हो तो "मुस्लिम डाइलेमा इन इंन्डिया" नामक पुस्तक के पृष्ठ 103 पर आप देख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र––

श्री फिरोज गांधी कतई नहीं हो सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन––

फिरोज गांधी ने ही यह कहा था। आप देख सकते हैं। आज भी तहसीलदारों के यहां हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है, इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि वे लोग यह नहीं चाहते कि उनके चौकों में हरिजन जाये या उनकी तरकारी आदि हरिजन लाये। इस जहनियत पर आपको सोचना पड़ेगा...

(व्यवधान–शोर)

कांग्रेस ने अपने सन् 1937 के एक रिजोलूशन में यह पास किया था, एक किताब है "माइनारिटी सेफगार्ड इन इंडिया" इसके पृष्ठ 232 पर लिखा है––"जिन कामों से अक्लियत को तकलीफ होती हो वह सरकारी जराये से न हों...."

(व्यवधान)

[श्री रियासत हुसैन---]

सेकुलर के लफ्ज का सही तर्जुमा होना चाहिये, फ्रीडम आफ रिलीजन की बजाय फ्रीडम फ्राम रिलीजन होना चाहिए। जब सारे हिन्दुस्तान के अन्दर माइनारिटीज को हिफाजत होगी तभी यह बजट आपका...

(व्यवधान)

आज कर्मचारी रिश्वत को रिश्वत समझ कर नहीं ले रहा है, वह उसको अपना हक समझता है जब तक आप इस चीज को खत्म नहीं करेंगे तब तक यह बजट पास करना बेकार है, इसलिए हम एक रुपया करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ में माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् व कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा 13 विश्वविद्यालयों की सभा के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियत कार्यक्रम में परिवर्तन करके नामों की वापसी की तिथि व समय 6 अक्तूबर, 1980 को 5 बजे अपराह्न तक के स्थान पर 8 अक्तूबर, 1980 को 5 बजे अपराह्न तक रखा जाये तथा निर्वाचन यदि आवश्यक हो तो 9 अक्तूबर, 1980 के स्थान पर 10 अक्तूबर, 1980 को पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा एक विश्वविद्यालयों की सभा के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियत कार्यक्रम में परिवर्तन के नामों की वापसी का तिथि व समय 6 अक्तूबर, 1980 को 5 बजे अपराह्न तक के स्थान पर 8 अक्तूबर, 1980 को 5 बजे अपराह्न तक रखा जाय तथा निर्वाचन, यदि आवश्यक हो तो 9 अक्तूबर, 1980 के स्थान पर 10 अक्तूबर, 1980 को पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 3--मन्त्रि परिषद, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80--गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29--सतकता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कर्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्राद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88--सूचना विभाग (जारी)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19, 25 व 80--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 43 व 88--सूचना विभाग (क्रमागत)

(3 बजकर 52 मिनट)

अपराह्न ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्याम लाल जी आपको छूट है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, दोपहर के बाद अधिष्ठाता महोदय बैठते थे, मैं क्षमा चाहता हूं, इसीलिए मैंने अधिष्ठाता का ख्याल करके मैंने अधिष्ठाता महोदय कह दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने दोपहर के बाद ही समझ करके आपको छूट दे दिया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने इस सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग का बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, नेता विरोधी दल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि सदन में नेता सदन । नेता सदन के बाद नेता विरोधी दल का नाम ही आता है । मान्यवर, मुझे आशा था कि आज कटौती के प्रस्ताव पर कोई नई दिशा देंगे और नई नीति का सुझाव देंगे । लेकिन उन्होंने यह न करके एक पकी-पकाई खिचड़ी रख दी, पता नहीं कहां से वह लेकर आये थे, सदन में रख दिया । मान्यवर, नेता

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पुनः पीठासीन हुए ।)

[श्री श्याम लाल बाजपेयी---]

विरोधी दल के प्रति मेरा ही नहीं, सदन के बहुत से सदस्यों के हृदय में उनके प्रति सम्मान हैं । वह सम्मान के योग्य हैं । परन्तु जहां तक उनके प्रति सम्मान ह, उनसे यह आशा की जा सकती थी कि वह एक महत्वपूर्ण सुझाव रखेंगे । लेकिन वह क्या लोक दल के प्रशासन काल को भूल गये ? निष्पक्ष विचार उन्होंने नहीं रखा, परन्तु 4 महीने के इस कांग्रेस (अ ई) के शासन की आलोचना करने म ही उन्होंने अपना पूरा भाषण किया भविष्य में म उनसे आशा करूंगा कि वह एस विचार रखेंगे कि जिससे इस देश और प्रदेश को लाभ हो । इस सम्बन्ध में कोई नई दिशा देंगे । उन्होंने अपने शासन काल में क्या किया, उस बात को भी वह इस सदन में रखें, तब उसके बाद हमको दोषी ठहरायें, हम तो दोषी हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री ने जो सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग का बजट रखा, निःसंदेह उन जैसे चरित्रवान, नक व्यक्ति से यही आशा थी कि वह इस प्रकार का बजट रखते । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे अन्दर मूल भूत कमियां हैं, उनको भी हमें देखना होगा । सदन में बैठने वाले पक्ष या विपक्ष के भाइयों की बातों का दबा लेने से कोई हल नहीं होने वाला है । उसके लिए हमें कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा । जहां तक ठोस निर्णय का प्रश्न है, मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हू कि इस बार बंकी जिले में एक ऐसा भ्रष्ट पुलिस अफसर था,....जो अपने को कहते थे कि मैं किसी बड़े आदमी का दामाद हूं । वह अपने को पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से कम नहीं समझते थे । तो मैंने इस सिलसिले में (शोर) निवेदन किया कि यहां तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकिए या मेरा त्याग-पत्र ले लीजिए । तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उसका तबादला कर दिया । तो मान्यवर, आप देखें वास्तव में हमारे मुख्य मन्त्री जो जितने देखने में कोमल हैं शारीरिक रूप में और सरल है, लेकिन उतने ही गम्भीर भी हैं और निर्णय लेने में सक्षम भी हैं और जैसा कि अभी हमारे रियासत भाई ने कहा । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद का दंगा, चाहे वह लोक दल का शासन होता, तब भी लज्जा की बात थी और आज हमारे कांग्रेस (आई) के शासन में यह हुआ है, तो भी हमारे लिए बहुत कलंक की बात ह । अंग्रेजों के शासन में तो होता था लेकिन आज हमारे यहां इतने वर्षों बाद हो रहा ह, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । तो मान्यवर, आपके माध्यम से आज सदन को बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद का दंगा एक सुनियोजित षडयन्त्र था । वही सुनियोजित षडयन्त्र आज सदन में भंग करना चाहता हूं । मैं उस समय दिल्ली में था । मुझ से बताया गया माननीय अधिष्ठाता महोदय जरा गौर से सुनें, बड़ी गम्भीर बात है । मुझसे बताया गया कि उत्तर प्रदेश में विद्रोह करने वाली है । बात समझ में नहीं आयी । मगर दिल्ली में जिसने मुझसे बताया वह एक राष्ट्रीय स्तर का आदमी था (शोर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

नाम बता दीजिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

नाम बताना ठीक नहीं है । तो मान्यवर, जब मैं लखनऊ आया तो वास्तव में मुझे विश्वास हुआ कि यह षडयन्त्र हो था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह केवल पुलिस षडयन्त्र तक ही

सीमित नहीं रहा, इसको हिन्दू-मुस्लिम के दंगे का रूप दे दिया गया और मान्यवर, इस षड़यन्त्र का रचने वाला इस मौजूदा शासन का ही एक आदमी है। जोकि मुख्य मन्त्री भी बनना चाहता था और उसका विदेशों से भी सम्बन्ध है। वह चाहता था कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था भंग हो। इसकी वजह यह है कि इस तरह की हरकतें करके माननीय मुख्य मन्त्री को बदनाम करना चाहता था। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि उसने मुख्य मन्त्री जी को बदनाम होने से बचा लिया। (व्यवधान) धीरज धरें। मान्यवर, अब आइये पुलिस व्यवस्था पर। आज पुलिस बहुत अनियंत्रित हो गयी है और यही पुलिस हमारे इससे पूर्व के शासनकाल में अनियंत्रित थी, लेकिन इस पुलिस को निरंकुश जनता सरकार ने बनाया। लेकिन आज वह इन चार महीनों के शासनकाल में ठीक नहीं हो जायेगी। इसके ठीक होने में समय लगेगा। जिस पुलिस को हम एक टैबलेट देते थे, उसको आपने 3-3 और चार-चार टैबलेट देनी शुरू की, जिससे इनकी व्यवस्था में काफी गड़बड़ी आयी। (शोर)

एक सदस्य--

इमरजेंसी की याद नहीं है, आपको क्यों ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

नहीं इमरजेंसी भूले नहीं हैं, घबराइये नहीं जल्दी ही लागू होने वाली है। इसके लिए समय दें। सब ठीक हो जायेगा। मुख्य मन्त्री और मंत्रि परिषद् में कोई ऐब नहीं है, ऐब है तो अधिकारियों में और आप लोग जो यह आरोप लगाते हैं कि मुख्य मन्त्री का काम खराब है मंत्रिमन्डल खराब है। यह कभी खराब नहीं होते। खराब होते हैं तो आफिसर। अगर आप पुलिस पर विश्वास करना चाहते हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि पुलिस को वास्तव में सुधारने के लिये गांव के चौकीदार की तन्खवाह बढ़ाये उनके ऊपर जिम्मेदारी डाले। मान्यवर, लाल बत्ती न दिखायें अभी मैं 5 मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

पुलिस में सुधार करना है तो पुलिस का इन्सपेक्टर का और सब-इन्सपेक्टर का वेतन बढ़ायें। जो आपके डी0 आई0 जी0 हैं डी0 वाई0 एस0 पी0 हैं जिनको आपने बिना मुल्क का नवाब बना दिया है जिनको आपने शहंनशाह बना दिया है उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी, उनकी अय्याशी पर रोक लगानी होगी तभी प्रदेश का सुधार हो सकता है। मान्यवर, मुरादाबाद के दंगे के बारे में कहा गया। मान्यवर, जो यह डी0 आई0 जी0, आई0 जी0 हैं, जो इतनी बड़ी

[श्री श्याम लाल बाजपेयी—]

तनख्वाह लेते हैं, उनके बारे में किसी ने नहीं कहा । माननीय मुख्य मन्त्री के बारे में रियासत साहब ने कह दिया । इस विभाग के अन्दर डी० आई० जी० हेड क्वार्टर हुआ करते हैं श्री बी० के० जैन । मान्यवर, मैं जनता के प्रति और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति वफादार हूं । श्री बी० के० जैन राज्य मन्त्री के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालता हूं और कहता हूं कि ऐसे मंत्रियों के आदेश तो रोज हुआ करते हैं । हमारा बाराबंकी जल रहा हूं । उन्होंने एक व्यक्ति के सामने कहा कि जो मैं चाहूंगा वह होगा । कई बार इस सदन में कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कांग्रेस आई वह दल नहीं है उसमें ऐसे भी नौजवान आ गये हैं जो इन सारी कुरीतियों से निपटने के लिये तैयार हैं । बाराबंकी का एस० पी० जो देवरिया भेजा गया है वह लखनऊ में आकर मेरे कत्ल की योजना बना रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे यह शासन जिम्मेदार होगा । मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के प्रति वफादार हैं, इस प्रदेश के प्रति वफादार हैं तो पुलिस अफसरों के प्रति कठोर होना पड़ेगा तभी यह प्रदेश चलेगा । यह तो संख्या अधिक है जो भी प्रस्ताव होगा पास हो जायेगा लेकिन यह न भूलें कि हमको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा जहां हम गिर जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव की निन्दा करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपनी लच्छेदार भाषा में अपना भाषण कर रहे थे तो उसे मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने अपनी लच्छेदार भाषा में बड़ी सुन्दर-सुन्दर घोषणायें की । यदि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी होते तो बड़ी खुशी होती। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय मनोनीत हुए थे उस समय की घोषणा का कागज हमारे पास है । मान्यवर, इस समय उस शंख की याद आती है जो बाबा तो बहुत करती थी लेकिन देती कुछ नहीं ।

श्री मोहन सिंह—

डपोर शंख ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ऐसे शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं । माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें सदन के सामने रखी उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन मान्यवर, इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या स्वच्छ प्रशासन इन कर्मचारियों के बारे में बड़ी-बड़ी घोषणाओं से होगा । क्या सदन में घोषणाओं से प्रशासन चलता है, नहीं प्रशासन इस बात से चलता है कि प्रशासन को मंत्रि-मंडल का देखने का तरीका क्या है और उन तर्कों के आधार पर जिस पर मैं पहुंचा हूं हम इस मंत्रिमंडल पर सहारा नहीं कर सकते । वर्तमान सत्तारूढ़ दल के मुख्य मंत्री रोज लखनऊ से दिल्ली के लिए दौड़ते रहते हैं और जो खबरात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समस्यायें हैं उन पर निर्णय लेने का उन्हें मौका नहीं मिला है । क्या यह बात सही नहीं है कि इस समय धान का मौसम आ गया है लेकिन धान की खरीद की कोई नीति अभी तक निर्धारित नहीं की गई है । इसी तरह से मान्यवर, गन्ने की पेराई का समय आ गया लेकिन गुड़ की नीति क्या होगी, चीनी की नीति क्या होगी । मान्यवर, टेलेक्स की बात कहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कहा है कि धान की खरीद 95 रुपये की जायेगी । कास्ट प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन खरीद की जो कीमत है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है । अगर कोई बात हो तो मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में कह देंगे । प्रशासन के सम्बन्ध में, इनके एक लेफ्टीनेन्ट कर्नल हैं संजय सिंह, उन्होंने स्वयं कहा कि सम्पूर्ण प्रशासन लाल फीताशाही से त्रस्त है । मुख्य मंत्री ने कहा कि वह भ्रष्टाचार पकड़ा, वह भ्रष्टाचार पकड़ा लेकिन वह आंकड़े सुना देते कि जो पकड़ा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? इस आदरणीय सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं के स्कैण्डल की बात कही, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जांच कराने की कृपा करेंगे मैंने कहा था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया । मेरी जानकारी है कि जो जांच हो रही है उसे रुकवा दिया, यह मेरा आरोप है । इसी तरह से भ्रष्टाचार को पकड़ नहीं सकते । सारे सदन में माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि कमिश्नर, आगरा के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि आज तक कोई फैसला किया ? यह सरकार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है । श्रीमती किशोरी शुक्ला ने कितना गम्भीर आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ लेकिन एक और आरोप लगाया कि वह चीफ इंजीनियर चेयरमैन बनना चाहते थे और वह इसके लिए सहभागी नहीं बनी, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया अपने जिले में कोयले के आबंटन के बारे में । मेरी शिकायत गलत हो या सही, लेकिन शासन से अपेक्षा थी कि वह जांच कराए । इसमें लिखा था कि सीतापुर जिले में कोयले के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच जिलाधिकारी, सीतापुर से कराने के आदेश दिए गए हैं । मान्यवर, जिलाधिकारी के खिलाफ ही आरोप दिया था । और मान्यवर, 8 फार्मों के नाम उसमें दिए थे पत्र मेरे पास जाता है । पत्र में लिखा है कि उसकी जांच जिलाधिकारी से कराई जायेगी । मुख्य मंत्री जी की घोषणा डपोरसंख बनकर रह गई । मैंने उदाहरण दिए थे । ताजा उदाहरण देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि आज घोषणा करें सदन में । मुख्य मंत्री जी के नगर की बात है । सोनकर की गिरफ्तारी की गई । शाही जी भाषण देने के लिए गए थे । 11 बजे से उनका भाषण प्रारम्भ हुआ । ढाई बजे भाषण समाप्त करके मंच से नीचे उतरते हैं तो गिरफ्तारी का वारन्ट मिल जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि 11 बजे दफा 144 लगी थी, सभा की गई, नहीं रोका गया, भीड़ इकट्ठा हुई, नहीं रोका गया । कितने लोगों ने भाषण किया, चले गये, नहीं रोका गया । शाही जी मंच से नीचे उतरते ही गिरफ्तार कर लिए गए । थाने जाते हैं मैजिस्ट्रेट आता है । 188 में आरोप लगाए गए । आप जानते हैं साक्ष्य होता है । इत्तफाक से शाही जी भी साक्ष्य में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

पड़ गये । 30 सितम्बर तक दफा 144 थी, पकड़े जाते हैं 1 अक्तूबर को माननीय शाही जी बिगड़ गये । बोले यह क्या मजाक है । जुडीशियल मजिस्ट्रेट आय रिहा कर दिया । 342 में आरोप लगे । आगे फैसला होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी को असीमित अधिकार दे रखा है क्या उन पर कोई अंकुश आपने लगाया है ।

दो मिनट और लूंगा । संक्षेप में कहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा अपराध कम हो गये । मुझे खुशी हुई सुनकर । मेरे पास महेन्द्र सिंह, आई० जी० का पत्र है वह स्वीकार करते हैं । 28 तारीख को वाराणसी में प्रेस कान्फ्रेंस में बयान दिया था । उन्होंने बताया कि गत वर्ष सितम्बर माह तक चोरी-डकैतियां 10 हुई थीं, इस बार 15 हो गयीं । बढ़ रहे हैं अपराध । बिहार विधायक ट्रेन में सफर कर रहे थे । उनके शैडो का रिवाल्वर छीनकर भाग गये । एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा । रियासत हुसेन जी बोल रहे थे हरिजनों के बारे में । मैं मान्यवर, एक पत्र का हवाला देना चाहता हूं । फोटो स्टेट कापी है मेरे पास, यदि आप चाहें तो दिखा दूंगा । पिथौरागढ़ में दो कुक के स्थान रिक्त हुए । रिक्त तो और स्थान हुए चिकित्साधिकारी, नर्सेज, 4 कुक । सी० एम० ओ० ने दो हरिजनों को नियुक्त कर दिया । उस पर एस० पी० ने सी० एम० ओ० को चिट्ठी लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नियमों में आता है कि किसी हरिजन को कुक या कहार के पद पर भर्ती न किया जाए । सी० एम० ओ० ने हरिजन को नियुक्ति कर दी क्योंकि आपके आदेश हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

एक बात पूछना चाहता हूं इसकी तिथि क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 224 गो० पुलिस अधीक्षक, प्रभारी, पिथौरागढ़, दिनांक 27 मई, 1980 । फोटो स्टट दे दूंगा ।
मान्यवर, एक और घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, केवल एक मिनट दे दें ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के एक बहुत ही विद्वान, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, श्री रामसरन दास, जिनकी उम्र 85 साल है, ने गांधी जी के बारे में एक पुस्तक गांधी चरित्र एवं अहिंसा लिखी थी । यह पुस्तक उन्होंने उस समय लिखी थी जब भारत का विभाजन हो रहा था । भारत के विभाजन के समय लिखी थी। उन्होंने गांधी जी की नीति की आलोचना की थी । लेकिन तब तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । पिछले महीने सी०-आर० पी० सी० और 505 में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है । जमानत की बात है । सी० जी० एम० के कोर्ट में मामला है । 85 साल की उनकी उम्र है । मान्यवर, गांधी जी की प्रतिमा को खंडित नहीं कर पाये हैं, लेकिन आज उनको गिरफ्तार कर रहे हैं ।

उस पुस्तक को देखें । उसको जप्त कर लें, कोई बात नहीं । कोई बात है, लेकिन 85 साल के बुड्ढ़े को जेल में सड़ने के लिए, कृपया मौत का परवाना न दें । आज के संदर्भ में कह रहा हूं कि आज उनके खिलाफ कार्यवाही करना कहां तक उचित है ?

इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री दयाल कृष्ण--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं । मान्यवर, यह मंत्रिमंडल तो तीन महीने पूर्व आया था । तीन महीने पूर्व इसने शासन का भार सम्हाला था और इसको विरासत में एक जर्जर प्रशासन, एक ऐसा प्रशासन जो जाति-पांति से ओतप्रोत था और जो दिशा-विहीन था, ऐसा प्रशासन प्राप्त हुआ । इन तीन महीनों में मैंने आज जो नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों की बहस सुनी, तो बड़ी निराशा हुई । उनसे अपेक्षा थी और मैं तो समझता था कि ये कुछ अपने अनुभव से रचनात्मक सुझाव कहेंगे जिससे कि कोई मार्गदर्शन हो और जिसके लिए कोई योजना बनें । आखिर 10 करोड़ की आबादी के भीमकाय प्रदेश में कठिनाइयां तो होती ही रहेंगी और उनके आधार पर केवल विरोध करना चाहते हैं तो यह अनुचित है । मान्यवर, इस प्रशासन में दो बातें, अगर गौर किया जाय तो महत्वपूर्ण हैं । इन तीन महीनों में । मान्यवर, मैं इनको एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं कि 7/8 में नवम्बर के महीने में एक परीक्षायें होने लगीं । एक कालेज के टीचर्स ने संकल्प किया कि हम नकल नहीं होने देंगे और इस संकल्प को लेकर प्रशासन से मिले तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आधार नहीं है कि कालेज के अन्दर जा सकें और हस्तक्षेप कर सकें । तब वे लोग वाइस चान्सलर और डी0 एम0 से मिले । फिर यह तय हुआ कि पुलिस जायेगी और बाहर रहेगी । एक डी0 एस0 पी0 गये । कुछ छात्र और छात्रायें परीक्षा दे रहे थे । उन्होंने कापियां फाड़ी और टीचर्स को धक्का दिया और 18 के 18 पेपर्स का वहिष्कार हुआ । केवल एक ही बात थी कि पुलिस जायेगी और अन्दर हस्तक्षेप नहीं करेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय के प्रशासक, जो आज विरोध में बैठे हैं, क्या पुलिस, जहां अपराध हो रहा हो, चाहे कालेज हो, मन्दिर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या प्राइवेट घर हों, किसी जगह अव्यवस्था हो, तो व्यवस्था करने का कर्तव्य पुलिस और प्रशासन का नहीं है ? फिर, आज तीन महीनों में तमाम नीति बदल गई है । आज पूरे प्रदेश में शान्तिपूर्ण तरीके से नकल रहित इम्तहान हुए हैं । यह इस प्रशासन के लिए गौरव की बात है । मैं दूसरी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इतिहास याद करेगा महात्मा गांधी को जातीय एकता लाने के लिए । इतिहास याद रखेगा सरदार पटेल को इस देश के खंड-खंड को मिला एक करने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दयाल कृष्ण---]

लिए । इतिहास यह भी यदि रखेगा इस देश में ऐसा भी व्यक्ति आया कि हर जगह जातीय विष का वातावरण फैला दिया । उसके कारण प्रशासन में जातीय आधार का माहौल पैदा हो गया । तीस महीने के अन्दर जो किया है उसको तीन महीने के अन्दर मिटा दिया जाय यह कल्पना बिल्कुल गलत है । वह विष समय से जरूर दूर होगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक भयंकर षड़यंत्र बनाया गया था इस सरकार के खिलाफ अलीगढ़ और मुरादाबाद और दूसरी जगह जो दंगे हुए और जिस मजबूती के साथ इस पर काबू पाया गया माननीय मुख्य मंत्री जी और तमाम प्रशासन उसके लिए प्रशंसनीय है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । इतनी जल्दी जब तक पक्का इरादा न हो, दृढ़ निश्चय न हो, तब तक यह काम नहीं हो सकता था । मैं अनुदान संख्या 25 के अन्तर्गत कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री दयाल कृष्ण---

एक मिनट में तो मुश्किल है । जहां तक पुलिस और जनता का सम्बन्ध है यह भी एक विषय है कि पुलिस और जनता में कैसे सौहार्द रहेगा, पुलिस का क्या रूप होना चाहिए । इसके लिए मौलिक विचार करना होगा कि पुलिस का केवल दण्डकारी कर्तव्य है या दूसरा कर्तव्य है । उसके हिसाब से कोई राहत का कार्य भी पुलिस कर सकती है । पुलिस रेगुलेशंस ब्रिटिश काल के बने हुए हैं । इनमें जनता के सुख सुविधा के कार्य करने के लिए कोई भी हिदायत नहीं है । इसमें पुलिस का जनता के संदर्भ में क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका एक अध्याय जरूर जोड़ा जाना चाहिए । मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मान लीजिए एक रिक्शा वाला जा रहा है उसकी टक्कर एक मोटर से हो गई रिक्शे का पहिया टूट गया । दस रुपये का गरीब आदमी का नुकसान हो गया । वह कहां न्यायालय से डिग्री और इजरा करायेगा ? कोई खोंचे वाला है, किसी साइकिल वाले से टक्कर हो गयी उसका खोंचा उलट गया । वे छोटे-छोटे कार्य हैं जो पुलिस कर सकती है । पुलिस सामाजिक न्याय दिला सकती है । यह पुलिस रेगुलेशंस में आना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, सामान्य प्रशासन के मानी स्वच्छ प्रशासन । माननीय मुख्य मंत्री सदन के नेता ने वादा किया था स्वच्छ प्रशासन देने के लिए । स्वच्छ प्रशासन कैसे होगा ? रियासत भाई ने कहा, जवाहर लाल ने कहा कि सरकार जनता के लिए होगी, जनता की भलाई के लिए होगी, गांधी जी के तीन बन्दर थे, उन्होंने कहा---देखो मत, सुनो मत, बोलो मत और इसमें आप समझ जायं, मैं तो समझता हूं, माननीय काशीनाथ जी आप वहां से कभी नहीं बोलते हैं । दिल में कुछ और रहता है कहते हैं कुछ हैं । मान्यवर, यह हम लोगों के नेता थे एक जमाने में ।

मान्यवर, इसमें व्यूरोक्रेसी का कोई दोष नहीं है । इसलिए कि व्यूरोक्रेसी एक घोड़े के समान है ।

श्री काशीनाथ मिश्र––

ऊदल जी यहां से बोल रहे हैं, ह वहां से नहीं बोल रहे हैं ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, व्यूरोक्रेसी घोड़ा है, उसके ऊपर सवार कैसा होगा । अगर सवार ही निकम्मा होगा जैसा कि राजेन्द्र प्रसाद जी कह रहे थे कि डपोर शंख होगा तो व्यूरोक्रेसी का क्या कुसूर है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन जो है वह इतना लुंज–पुंज है जितना कभी नहीं रहा है । आप दिल पर हाथ रखकर देखें । अगर आपका प्रशासन अच्छा होगा तो आपकी सरकार मजबूत रहेगी और जनता के अन्दर उसकी छवि अच्छी होगी। आज संजय सिंह का बयान मैंने पढ़ा है, मैं उनको अभी जानता नहीं हूं, नजदीक से परिचय नहीं है । उनका कहना है कि लाल फीता शाही को समझने के लिए यूथ जो है सक्षम है । मान्यवर, बाहर पोस्टर लगे हैं कि राजीव लाओ भ्रष्टाचार मिटाओ । जब भ्रष्टाचार है ही नहीं तो राजीव को लाने और भ्रष्टाचार मिटने की क्या बात है । डाक्टर अम्मार साहब, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मान्यवर, अलीगढ़ में एक अतरौली तहसील है, रिजवी साहब नोट कर लीजिए डायरी में । वहां पर साढ़े तीन महीने एक तहसीलदार आ गया फर्जी । कलेक्टर से चार्ज ले लिया साढ़े तीन महीने उसने फैसले किये, शासन किया, लाखों रुपये कमा लिये और अभी दो हफ्ते हुए हैं वह पकड़ा गया है । अगर इसी को आप प्रशासन कहते हैं तो यह कैसा प्रशासन है यह मैं आपसे जानना चाहता हूं । उस तहसीलदार को अजय विक्रम सिंह, जो अलीगढ़ के डी0 एम0 थे, उन्होंने चार्ज दिलवाया था । यह आपका प्रशासन है ।

आज रेलों के अन्दर डकैतियों की भरमार हो रही है क्या आपने सुरक्षा को है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग के लिये आपने क्या किया है । आज युग बदल गये, जमाना बदल गया, यह प्लानिंग का युग है, समाजवादी युग है, क्या इसके मुताबिक जितने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है । आज जो आई0 ए0 एस0 हैं, कहें आलू बुआ दें, सेब लगवा दें, धान की रोपाई करवा दें, जिस काम को कहें करवा दें । चाहे जो उनसे आप करवा लीजिए। मान्यवर, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो देश बनाने का जो हमारे सामने नक्शा है, मैं समझता हूं कि यह देश वैसा नहीं बन सकता है । इसलिये सोचिये, स्थायित्व की बात हमेशा नहीं रहती है । आप हमारे दोस्त थे, आप भी भोगें और हमने भी भोगा, लेकिन अब हम दूर हो गये हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्थायित्व कायम रहने वाला नहीं है । सोचने के तौर तरीकों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा और उसके मुताबिक जब तक काम नहीं होगा तब तक प्रशासन नहीं चल सकता है ।

[श्री ऊदल---]

आज अखबारों में आपने दीक्षित जी का भाषण पढ़ा होगा। माननीय श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, कल उन्नाव गए थे, वहां उन्होंने भाषण करते हुए कहा, अपराध और समाज गोष्ठी का उद्घाटन किया और भाषण दिया, कि आज का विधायक अपराध मूलक हो गया है और वह सिवा ट्रान्सफर, पोस्टिंग और नौकरी दिलाने के लिये रातोदिन मन्त्रियों को परेशान कर रहा है। चाहे इधर के या उधर के विधायक हो, मैं समझता हूं कि दीक्षित जी ने उनका अपमान किया है। इसलिए कंटम्प्ट की नोटिस मैंने दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि सरकारें आती और जाती रहेंगी, यह रहेंगे नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि सम्मत पुलिस से काम कराया जायेगा कि नहीं। पुलिस को यह कहां से अधिकार हासिल हो गया है कि न्यायालयों के अन्दर वह घुसकर लोगों को पकड़ कर ले आये और इन-काउन्टर दिखायें। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि आज से और पहले जनता पार्टी के शासन में भी, 50 फीसदी से ज्यादा इन-काउन्टर किये गये हैं, वे मुठभेड़ नहीं हुई है। पकड़ कर मारा जाता है। इस सम्बन्ध में लखनऊ के अखबार में कमेन्ट भी निकला था कि योजना बनाते समय और जब गोली चलने लगी तो इंस्पेक्टरों ने पोजीशन ले लिया और इन-काउन्टर कर दिया। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधि सम्मत काम कराने की जरूरत है। नियम बने हुये हैं, सरकारी अधिकारियों के ट्रान्सफर के लिये क्लास-2 और 1 के अफसरों का तीन वर्ष के अन्दर ट्रान्सफर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी शिकायत न हो, उसका प्रोमोशन न हो या उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार या गबन का आरोप न हो। तो क्या मैं जान सकता हूं कि कई मामले हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2-4 काम ठीक कहने पर कर दिए गए हैं, लेकिन क्या बड़े पैमाने पर यह काम नहीं कराया जा रहा है।

मान्यवर, आज धमकियां दी जा रही हैं मंत्रियों को भी, हमारे सामने एक मन्त्री ने कहा था कि एक विधायक शराब पीकर मुझको धमकी दे रहा था और नाजायज काम मुझसे करवाया। तो इस तरह से क्या प्रशासन चलने वाला है। इनके प्रशासन में आने के बाद विद्रोह हुये मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ में जो हम सबके लिए कलंक की बात है। आप सोचें कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश धर्मनिरपेक्ष रह सकता है, साम्प्रदायिकता यहां नहीं रहेगी, सभी सम्प्रदाय के लोग आपस में मिलकर रहेंगे। इसके लिए उपाय करने होंगे, लोगों को समझाना होगा और विचारों को बदलना होगा। और सम्प्रदाय के आधार पर जहां-जहां सेन्टर एजूकेशन के खुले हुये हैं, उनको रोकना होगा। साम्प्रदायिक संगठनों को मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह जमाते इस्लामी हो या आर0 एस0 एस0 हो या कोई और हों, उन के उपर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। जब तक प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तब तक मैं कहना चाहता हूं कि यह साम्प्रदायिकता देश में फैलेगी और उसका असर प्रशासन में पड़ेगा। इस वक्त प्रशासन के अन्दर भी जाति-पांति पैदा हो गई है और पैदा की गई और उसको आप रोकिए। पुलिस के अन्दर, पी0 ए0 सी0 के अन्दर, प्रशासन के अन्दर, बड़ी भारी निराशा की भावना बढ रही है। निराशा की भावना बढ गई तो मैं कहता हूं कि यह प्रदेश और देश ठीक से चल नहीं सकता और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो हम नये समाज की रचना करना चाहते हैं, वह लंज-पुंज हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ (व्यवधान) इन्हीं से तो मुझे आशा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह से आशा नहीं है। राजा, महाराजा, जिन्होंने पहले ही गरीबों को लूटा और प्रगति करने को छूट नहीं दी, जिन्होंने लोगों को निरक्षर बनाया, शोषण किया, लेकिन वे लोग अगर जनता की भलाई करने लगेंगे तो यह सपने की बात लगती। [illegible] जरा सोचिये, कुछ कराइये।

*श्रीमती सुखदा मिश्रा--

अपने इस समय बोलने की आज्ञा दी जब कि प्रदेश और देश की राजनीति में ऐसा परिवर्तन आया है, जिसका बहुत बड़ा असर हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ा। बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारे माननीय नेता, विरोधी दल, हमारे माननीय नेता ऊदल जी, रियासत हुसैन जी, सब लोगों ने काफी समय इसमें व्यतीत किया कि बहुत तबादले हो रहे हैं, तबादलों की स्थिति प्रदेश में बहुत खराब है और सिवाये तबादलों के सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके संदर्भ में हमको प्रकाश डालना इस सभा में बहुत आवश्यक हो गया और वह इसलिए कि 1947 में हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत गई थी और हमने स्वतन्त्रता पाई थी। लेकिन जिस तरीके से जनता पार्टी ने जो कि दूसरी स्वतन्त्रता का दावा करती थी, अफसरों के साथ व्यवहार किया वह एक बहुत बुरा और बहुत खराब इतिहास है अपनी शासन प्रणाली का। उन अफसरों को जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठे हुये थे दफ्तरों में गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ जुल्म किए गए, क्योंकि उन्होंने कमीशन के सामने गवाही नहीं दी। हमारे सामने भूतपूर्व उप राज्यपाल दिल्ली का चेहरा आ जाता है, जब हम जुल्मों की बात करते हैं। उनके हत्या की पूरी जिम्मेदारी उस समय की जनता पार्टी पर है। उन्होंने अपनी आत्म हत्या इसलिए कर ली, क्योंकि जिस प्रकार से उनका नैतिक व चरित्र हनन किया गया कोई भी व्यक्ति जो सम्मान रखता हो, वह इसको बरदास्त नहीं करेगा और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी आत्म हत्या कर ली। मुझे बड़े खेद के साथ इस सभा में कहना पड़ता है कि जो लोग तबादले की बात करते हैं जो आजकल अफसरों की रक्षा की बात करते हैं, उनको यह याद रखना चाहिये कि उन्होंने 1977 से 1980 तक किस तरह का व्यवहार अफसरों के साथ किया। उनको कानून तोड़ने के लिए बाध्य किया गया। सरकार जिस तरीके से हटाई गई इस और आप सब जानते हैं। धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, अफसरों के तबादले उन दिनों किए गए। मान्यवर, एक लम्बा इतिहास है हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन हम यह जरूर सदन में कहना चाहते हैं कि जो ढांचा बिगड़ जाता है, उसको बनाने में बड़ा लम्बा समय लगता है। आत्म बल गिर जाय, सम्मान गिर जाय, तो उसे फिर से बनाने के लिए बड़ा समय लगता है। यही कारण है कि आज हम लोगों को बड़ी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम अपने विरोधी दल के नेता और सभी माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष में बैठे हुये है, उनको इस बात की विशेष तौर से याद दिलाना चाहते हैं।

जहां तक तबादलों का सवाल है, आज हमारे सामने भी यह समस्या आ रही है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह विशेष अनुरोध करूंगी कि जितनी भी सख्ती उन्होंने अफसरों के तबादले में बरती है, उससे ज्यादा उनको बरतनी चाहिए और जो

*वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया]।

[श्रीमती सुखदा मिश्रा--]

अफसर आज की तारीख के बाद तबादले के लिये आये और यदि वह कोई सिफारिश लाता है राजनीतिक या अन्य कुछ लोगों, साथियों को लेकर आता है, उसे सस्पेन्ड कर दिया जाय, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जिस तरीके से तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ है प्रदेश में वह शासन को बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश के खिलाफ हमें सख्ती से पेश आना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि आप इस पर विशेष रूप से विचार-विनिमय करें। जहां तक दंगों का सवाल है उस पर बहुत विचार-विमर्श हुआ। विरोधी दल के नेता इसे सुनेंगे और मैं उनको बतलाना चाहती हूं कि जब दंगे हुए तो उनकी न्यायिक जांच की गई। जिला स्तर के अफसरों को बदला गया। असहाय लोगों को राहत दी गई। प्रिवेंशन डिटेंशन ऐक्ट लगाया गया। आर्मी बुलाई गई। पुलिस के लोगों का तबादला किया गया। जितनी भी कार्यवाही की जा सकती थी, की गई। मुख्य मन्त्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि पुलिस बजट जो यहां पेश किया गया वह बहुत अच्छा बजट है। उसमें मैं एक संशोधन चाहूंगी जहां समस्यायें ज्यादा हैं वहां के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिये और वहां कुछ ज्यादा पुलिस के लोगों का रखना चाहिये। मैं एक बात की ओर विशेष रूप से मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है वहां जिलाधीश को और जिम्मेदारी देनी चाहिये। कलेक्टर साहब पूरे तौर से कानून व्यवस्था नहीं देख पाते न अन्य काम देख पाते हैं। वह कहते हैं कि इंजीनियर्स दूसरे विभाग के साथ हैं, कानून-व्यवस्था एस० पी० के साथ है। केवल उनका थोड़ा सा सहयोग उसमें रहता है। मैं अनुरोध करूंगी कि जिलाधीश को पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिये जैसे कि और प्रदेशों महाराष्ट्र, पंजाब में होता है तभी हम आगे प्रगति कर सकेंगे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

अधिष्ठाता महोदय, नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में बजट भाषण किया उसको मैंने सुना। बहुत देर तक उन्होंने सदन के समक्ष अपने बजट पर चर्चा की। उनके बजट भाषण पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार जो थी वह निष्क्रियता, अकर्मण्यता और आपसी द्वन्द्वता के कारण कानून-व्यवस्था चलाने में असमर्थ रही। मैं इस बहस में न पड़ कर केवल इतना कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार भी अकर्मण्यता, शिथिलता और आपसी द्वन्द्वता की शिकार है और उसका यह नतीजा है कि चारों तरफ समाज में देश व प्रदेश में बदअमनी फैली हुई है जिसको देख कर यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार कितनी निकम्मी है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ संकल्प दोहराये। उनमें से मुख्य तौर पर तीन चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। पहली चीज यह कि निर्बल लोगों की रक्षा करेंगे। महिलाओं की हिफाजत करेंगे और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की बात कही। लेकिन यह केवल तरीका था भाषण करने का और उन्होंने इन तीनों कामों की ओर कोई तवज्जोह नहीं दी। मिसाल के तौर पर पहली बात महिलाओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद अब तक इतने हुए हैं कि मैं उसकी तस्वीर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खींचना चाहता हूं । उदाहरण के तौर पर बाराबंकी में पीरनगर कांड हुआ । हरिजन महिला के साथ पुलिस ने बलात्कार किया और साथ ही साथ उसको जान से भी खत्म कर डाला और बाद में हत्या का मुकदमा चलाने का प्रयास किया गया । दूसरे नवाबगंज, थाना उन्नाव में हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया, बाद में हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसको हत्या कर दी गई । यह इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि बलात्कार की संख्या पहले के मुकाबले कम हो रही है । मैं बता देना चाहता हूं कि आपके गद्दी में बैठने के बाद इसकी संख्या बढ़ी है । 28 तारीख को लखीमपुर खीरी में एक माया देवी नाम की महिला के साथ पहले तो बलात्कार किया गया और बाद में जालिमों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली और उसके स्तनों को काट दिया और यहां पर मुख्य मंत्री जी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बलात्कार नहीं हो रहे हैं.....

श्रीमती महारानी दोहरे--

हरिजन महिलाओं का ही नाम क्यों लिया जाता है । मैं इसका विरोध करती हूं । इस तरह से आप हरिजन महिलाओं को अपमानित करते हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माया त्यागी के बारे में कहना चाहता हूं और अल्पसंख्यकों के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार उनकी वकालत करती है । उदाहरण के तौर पर जब से यह सत्ता आई है तब से लेकर दर्जनों दंगे इस राज्य में हुये हैं । पहले मुरादाबाद में हुये और ईद के मौके पर हुये । पी० ए० सी० के जवानों ने मुसलमानों पर प्रहार किया और यह नतीजा हुआ कि कत्ले आम हुआ । यह आग पूरे प्रदेश में फैल गई और चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच गई । यह सत्तारूढ़ दल अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए रीलिजियस कलर दे रही है । यह सत्ता की कमजोरी का एक कारण है । कहा जाता है कि प्रशासन में जो कमजोरी आई है वह जनता सरकार के जमाने से है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सत्ता सम्भालने से पूर्व प्रदेश में प्रेसिडेंट

(इस समय 4 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

रूल हुआ और सिर्फ साढ़े तीन महीने में 1,212 डकैती पड़ी, 2, 141 के केसेज हुये, 1,549 हत्यायें हुई, 3,117 दंगे हुये और 612 नकबजनी के केसेज हुये और कुल कग्निजेबुल आफेन्स 53,233 हुये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तब से लेकर आज तक लिखत जरायमों का संख्या इसलिए कम हुई है कि आपके जो थाने के इंचार्ज हैं वे लिखते ही नहीं है, इसलिए आपको कम दिखाई देते हैं । दूसरी तरफ प्रदेश में आज कोई कायदे कानून की बात नहीं रह गई है । चारों तरफ बेकारी फैली हुई है, भुखमरी फैली हुई है, चीजों के दाम बढ़ते

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

चले जा रहे हैं और उन पर सरकार का अंकुश नहीं रह गया है। इस राज्य में यदि कोई सस्ती चीज है तो वह इन्सान की जान है। मान्यवर, आज कोई ठिकाना नहीं है अगर कोई आदमी घर से दफ्तर के लिए निकलता है या बच्चा स्कूल के लिए जाता है तो उसकी जान सुरक्षित रहेगी। इस कांग्रेस शासन में आदमी की जान सबसे सस्ती है इसके अलावा कोई चीज सस्ती नहीं है। मान्यवर जनता शासन में एक नारायणपुर कांड हुआ और श्रीमती गांधी को बड़ी बेचैनी हुई और नतीजा हुआ कि वह वहां पर गईं और यहां पर जो सरकार व्यवस्थित ढंग से चल रही थी उसको खतम कर दिया। यह जब से सत्ता में आये हैं तब से दर्जनों की तादात में नारायणपुर कांड हो रहे हैं। मुरादाबाद, जो कि दिल्ली के नजदीक है, वहां पर इतना बड़ा कांड हो गया प्रधान मंत्री को वहां जाना चाहिये था लेकिन शर्म के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री ने मुरादाबाद जाने की तकलीफ गवारा नहीं की। दूसरी तरफ नारायणपुर कांड में जो अधिकारी दोषी थे उनको आपकी सरकार ने बहाल कर तरक्की दे दी।

आज जो प्रशासन में कमजोरी आ रही है उसके सिलसिले में मैं सुझाव देना चाहता हूं यह जरायम क्यों नहीं रुक रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जो बड़े-बड़े सामन्त हैं, जो पेशवर बदमाश हैं और जो पुलिस वाले हैं वह सब आपस में मिले हुये हैं उन तीनों का एक जुट बना हुआ है, भूतपूर्व

(4 बजकर 52 मिनट)

सामंत, पेशेवर बदमाश और पुलिस वाले जो एक साथ जुड़े हुए हैं जब तक कि यह टूटेंगे नहीं तब तक जुरायम कम नहीं होंगे। यह लोग पैसे के लालच में जरायम बढ़ाते हैं और उससे पैसा कमाने का प्रयास करते हैं।

दूसरी चीज जो पहले पुलिस व्यवस्था थी गांवों में जो प्रारम्भिक इकाइयां थी उसमें चौकीदार की जिम्मेदारी होती थी और उसके साथ एक पुलिस कानिस्टेबिल होता था। आज यह व्यवस्था नहीं रह गई है....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

तो इन प्रारम्भिक इकाइयों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि सी० आई० डी० में जो लोग भेजे जाते हैं वह पुलिस महकमे में जो बदनामशुदा होते हैं, जो पहले सिविल पुलिस में होते हैं, थाने में जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको सी० आई० डी० में भेजा जाता है। चूंकि थाने में वह भ्रष्टाचार के आदी होते हैं इसलिए वह सी० आई० डी० में भी भ्रष्टाचार करते हैं। इस सिलसिले में भी गहराई से सोचना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—)

मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी इस बात की गवाह है कि जो हमारे साधन हैं, जितने लोग पुलिस में हैं वह काफी नहीं हैं जो स्थिति को संभाल सकें।

इसी वजह से इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि पुलिस संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है यह जिम्मेदारी एक तरफ जहां जनरल एडमिनिस्टेशन की है वहां दूसरे लोगों की भी उतनी ही है। इस समय सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि प्रदेश में जो अनुपात है उसको किसी तरह से कम किया जाय और पुलिस को तमाम वह सुविधायें दी जायं जिनसे वह सख्ती के साथ बढ़ते हुए जरायम में काबू पा सकें। जब तक पुलिस के पास ज्यादा साधन नहीं होंगे, उनके पास ज्यादा असलह ही नहीं होंगे जिनसे वह डाकुओं का मुकाबला कर सकें तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता क्योंकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आजकल जो डाकू हैं उनके पास आटोमेटिक और सेमीआटोमेटिक असलहा हैं उनका मुकाबला मस्केट्स से नहीं हो सकता है और यही वजह है कि पुलिस इतनी कामयाब नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो इस बात की जरूरत है कि हम बराबर उनको तमाम सुविधाएं दें। चाहे वायरलैस की हों, असलाहों की हों, गाड़ियों की हों या थानों की संख्या बढ़ाने की हों। मैं उन आंकड़ों की तरफ डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह अवश्य है कि मैं यह नहीं जानता कि हमें कोई बात कहनी है तो हम पिछले शासन पर दोषरोपण करने लगें। लेकिन मजबूरी यह है कि जब दो तथ्य, चीजें सामने रखी जाती हैं तो पहले साल की कुछ बातें जरूर हो जाती हैं, उन बातों को सामने रखना आवश्यक हो जाता है और सौभाग्य या दुर्भाग्य से पिछले साल की जो हुकूमत थी, उसे आप जानते हैं, उनके बारे में मैं कुछ आंकड़े दूं तो यह न समझें कि कोई दोषारोपण की नीयत से मैं कह रहा हूं। मैं सन् 1975 से अपनी आंकड़ों की बात शुरू करना चाहता हूं, जिससे मोहन सिंह जी मेरी नीयत पर शक न करें। 1975 में पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल 2,42,024 शिकायतें आईं। 76 में 2,00,167, 77 में 2,22,400, 78 में 2,13,471 तथा 79 में और उसके बाद 2,05,644 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई। तो इसमें यह दिखाना है कि अभी तक जो स्थिति है बीच में घटी और बढ़ी भी है, यह प्रयास है या नहीं कि आंकड़े कम किये जाएं। कोई भी सरकार इस बात को नहीं चाहती कि उसके यहां जुर्म हों, उसके यहां ला ऐण्ड आर्डर की प्राब्लम क्रिएट हो। आपने भी प्रयास किया और हम लोग भी कर रहे हैं उसमें अब दिखाना यह है कि किसने किस हद तक इस दिशा में काम किया। हमारा प्रयास है कि क्राईम कम करें, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिक सुविधा दें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा यह भी प्रयास है कि जो लोग दोषी हैं। चाहे वह जितने बड़े अफसर हों, उनको सजा दी जाए और इस सम्बन्ध में इस साल के आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस साल 1 आई0 पी0 एस0 अधिकारी को निलम्बित किया गया, 4 उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी निलम्बित हुए। इसी प्रकार एक अन्य उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस के अधिकारी को रिवर्ट किया गया और कुल 4,540 एसे केसेज हैं।

डाक्टर धर्मपाल--

मैं मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि खाली सस्पेंड किया गया है या किसी का निष्कासन भी आपने किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

समय हम लोगों को थोड़ा मिला है और सस्पेंशन के बाद एक दम से टरमिनेशन नहीं होता है। इसमें देर लगती है। उसका भी समय आने दीजिए वह भी होगा। लेकिन श्रीमन् सस्पेंड में ही यह परेशान हो गये, तो क्या कहें। 4,544 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यह इस बात का सबूत है कि शासन पूरी तरह से सजग और सचेत है, उसमें कोई ढिलाई नहीं है। अब हमने इसमें जो उपलब्धियां की हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार है 7,353 नाजायज असलहा बरामद हुए, 8739 कारतूस पकड़े गये, 129 डकैत मारे गये और 2551 डकैत गिरफ्तार हुए हैं।

(व्यवधान)

फारसी की एक मसल है। राना साहब उस इलाके के रहने वाले हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जिन डकैतों को पकड़ा गया, जिनका जिक्र माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया है, उसमें से कितने डकैत पकड़े गये हैं ? जो बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारी और व्यापारी आदि हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आजकल अटम फैस्टिवल चल रहा है अतः जो क्राइम करने वाले डकैत थे सब पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं।

(हंसी)

हमारे राना साहब को डकैतों का बड़ा तजुर्बा है। उन्हें चंबल की एक-एक घाटी की जानकारी है। वे डकैतों को खुद पहचान लेंगे। इसके अलावा काफी तादाद में असलहा और दीगर चीजें बरामद हुयी हैं।

यहां पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो नियम बना रही है उससे लोगों की आजादी पर कुठाराघात कर रही है और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है। मान्यवर, इस सिलसिले में जो फीगर्स मैं बताए देता हूं। हमने अपने शासन में 196 लोगों को पकड़ा, जिनमें से केवल 16 को ही रोका गया था। इनके शासन काल में 9,202 लोगों को एसेन्शियल ऐक्ट में गिरफ्तार किया गया जिसमें से केवल 837 इन्जीनियर्स और 8,365 टीचर्स थे। आज टीचर्स के प्रति हमदर्दी रखने वाले, सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी रखने वालों द्वारा 9,202 लोगों को 1 महीने के अन्दर बन्द किया गया था। तो मान्यवर, जो हमने $3\frac{1}{2}$ महीने में किया और इन्होंने एक महीने में किया उससे आप स्वयं फैसला कर सकते हैं कि किस ओर से ज्यादती हुई है।

इसी प्रकार से अगर देखा जाय तो यहां पर जो साम्प्रदायिक घटनायें हुयीं ये बड़े ही कलंक की बात है, पूरे समाज के लिए, किसी सरकार, पार्टी या दल के लिए नहीं। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गई जिसमें उनका कहना

है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना । तो मजहब एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए नहीं होता है । अब मैं कुछ आंकड़े निवेदन करता हूं । वर्ष 1977 में 251 साम्प्रदायिक ढंग की घटनायें हुई, 1978 में 322, वर्ष 1979 में 327, और वर्ष 1980 में 115 घटनायें हुई । इसी प्रकार से साम्प्रदायिक दंगे 1977 से 1980 तक 45 और 30–9–80 तक कुल 9 घटनाएं हुयी थीं । इसमें मुझे कोई जस्टीफिकेशन नहीं करना है । साम्प्रदायिक दंगे चाहे जिस तरफ से हों, उनके साथ सख्ती से निपटा जायेगा । उन पर नियंत्रण किया जायेगा । माननीय रियासत भाई ने बहुत से फैक्ट्स और फीगर दिए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में समर्पित कर दूंगा और उन पर जांच होगी ।

इसी प्रकार से रेलवे की घटनाओं में भी कमी आयी है । टीका टिप्पणी करना आसान होता है, काम करना और जवाब देना मुश्किल होता है । माननीय मोहन सिंह जी तथा उधर के कई माननीय सदस्य मन्त्री पद पर रह चुके हैं और वे इधर होते तो यही जवाब देते । मुझ एक शेर याद आ रहा है ––

ऐ मौजे बला उनको भी खिल, दो चार थपेड़े हल्के से,
कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

जब कश्ती साबिब साबिल व सालीम भी तो साहिल की तमन्ना हर एक को भी ।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, पर लेकिन अब ऐसी शिकस्तां किश्ती पर,
साहिल की तमन्ना कौन करे ।

(हंसी)

इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किये मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री काजी मोहिउद्दीन––

मान्यवर, आपने मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट पर बोलने की इजाजत दी है मगर मुझे खेद इस बात का है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज इस प्रदेश में है ही नहीं । फिर किस चीज पर बोला जाये । मैं पिछले महीने

[श्री काजी मोहिउद्दीन---]

तीसरी तारीखको अपने घर से आ रहा था, रास्ते में मेरा सामान रेल से उठा ली गया । 4 तारीख को मैं रिपोर्ट लिखाने जी० आर० पी० थाने में गया । वहां पर रिपोर्ट मोहर्रिर टांग पर टांग रखे आराम कर रहे थे, मेरे पहुंचने पर उन्होंने एक सिगरेट सुलगायी । मैंने जाकर कहा मेरा सामान चोरी चला गया है । मेरे साथ रेलवे कूपन्स आदि भी थे जिनका नम्बर मेरे पास नहीं है मैं बाद को भिजवा दूंगा । मेरे साथ एक डाइरेक्टर भी थे जिनका सामान भी चोरी चला गया था । उन्होंने उसको बताया कि मैं एक विधायक हूं । इस पर उसने कहा कि अभी कानपुर में एक विधायक का सामान चोरी चला गया । आजकल विधायकों पर मुसीबत हो आयी है । मैंने जब उनसे कहा कि कूपनों के नम्बर मैं बाद में टेलीफोन से बता दूंगा तो उसने कहा कि टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आदमी जब तफतीश करने जायेगा तो आप उसे बता दीजियेगा । एक महीना हो गया, अभी तक कोई भी आदमी मेरे पास नहीं आया है । यह है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ।

माननीय नेता विरोधी दल ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये कहा था कि यह सरकार पुलिस के द्वारा चुनी गयी है, जिस पर उधर से उधम भी मचा था, मैं एक स्पेसिफिक चार्ज लगाता हूं, लोग हारने के बाद जब लगाते हैं तो कहा जाता है कि हारने के कारण लगा रहे हैं, जीतकर आने के बाद में यह चार्ज लगा रहा हूं कि इलक्शन के समय हमारे क्षेत्र में, मैंने डी० एम०, एस० पी०, तथा कई अधिकारियों को लिख कर भी दिया, कि फलां फलां पोलिंग स्टेशनों पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जायेगा, धपला होगा, मगर उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गयी । 12 पोलिंग स्टेशनों पर मेरे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिये गये । एक प्रिसाइडिंग अधिकारी ने भी स्वयं यह लिखित शिकायत की कि ग्राम मखदूमपुर में कांग्रेस (आई) के वर्कर्स ने जबरदस्ती बैलेट पेपर्स पर कब्जा करके कांग्रेस (आई) की मोहर बैलेट पेपर्स पर लगायी । आज तक उसकी शिकायत पर भी एक भी गिरफ्तारी नहीं की गयी न ही कोई एक्शन लिया गया ।

(व्यवधान)

गवर्नमेंट अब भी बाई दि पुलिस, फार दि पुलिस है । मान्यवर, मैं फार दि सेक आफ क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं । लेकिन सुझाव उसी समय दिया जा सकता है, जब हकीकत से आगाह कर दिया जाय । मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि पुलिस को इतना बढ़ावा दिया गया । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जो लगभग 40-50 साल तक इस सदन के सदस्य रहे हैं ...

(व्यवधान)

सन् 37 से वह एम० एल० ए० रहे हैं ।

एक सदस्य--

50 साल से वह इस सदन के सदस्य हैं माननीय यह गुमराह कर रहे हैं सदन को, ऐसा कह कर ।

श्री काजी मोहिउद्दीन--

मान्यवर, केन्द्र में गये, एम0 पी0 बने, गृह मंत्री बने, और प्रधान मंत्री भी बने, आज भी वह एम0 पी0 हैं । मान्यवर, हमारा मतलब राजनीति से है । मान्यवर बागपत में जो एक महिला पर अत्याचार हुआ था, आन्दोलन चला, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है और मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह गौर करें । गौड़ नाम के थानेदार ने कहा कि मेरा मुकाबिला चौधरी चरण सिंह जी से है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी बयान देते कि हमारा मुकाबला चौधरी चरण सिंह जी से है, तब तो ठीक था । मगर ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि वह इस तरह से कहे कि मेरा मुकाबिला चौधरी चरण सिंह जी से है और उसका जवाब-तलब भी नहीं किया गया । यह खेदजनक बात है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि उसने सरकार की शह पाकर ही यह बयान दिया होगा । उस पुलिस के कोतवाल के बयान को मैं इस सरकार का बयान समझता हूं । मान्यवर, मुरादाबाद में जब निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गयी, तो मैं यह समझता हूं कि गोली इस शासन ने चलाई है । प्रधान मंत्री ने चलवाया । मान्यवर, रिजवी साहब ने कहा पिछले सालों में ऐसा हुआ है मोहतरिम रिजवी साहब से मैं आपके द्वारा गुजारिश करूंगा, कि हर शासन में कुछ खराबियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप उन खराबियों से कंपटीशन न करें, अच्छाइयों से कम्पटीशन करें, शायद पिछले शासन में कुछ अच्छाइयां भी हुई हों । मान्यवर, यह कहा जाता है कि अलीगढ़ में इतने महीने तक बल्वा हुआ । इतने महीने बल्वा हुआ । मुझे अफसोस है, बदकिस्मती मुरादाबाद के मुसलमानों की है, जोकि इस तरह की कम्पटीशन की बात हो रही है । अलीगढ़ में जो बल्वा हुआ था, इसकी सजा आप जनता शासन वालों को दीजिए या लोकदल वालों को दीजिए, उन बेकसूर लोगों को क्यों सजा दे रहे हैं । मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों तक अलीगढ़ में बल्वा हुआ । मान्यवर, इस शासन में मैं पहली बार बोला हूं, मुझे दो-तीन मिनट और दे दिया जाय तो मेहरबानी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है दो मिनट और बोल लें ।

श्री काजी मोहिउद्दीन--

मान्यवर, इमर्जेन्सी के जमाने में . .

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ कोई भूल गया ।

श्री काजी मोहिउद्दीन--

मान्यवर , 5 नमाजी नुमाइंदों पर मुजफ्फरनगर में हमला किया गया । क्या शासन इस बात को कह सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं ? मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ जनता राज्य में । मान्यवर, जनता राज्य म बलवा हुआ था और यह जाहिदी साहब सियासत में छपा था ।

जो सियासत जदीद में भी छपा था, मैंने कहा कि मुझे इस होम मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है, उन्हें हटा दिया जाए । तो उस समय जो श्री र म सिंह, होम मिनिस्टर थे हटा दिये गये । लेकिन श्रीमन् इसके कारण हमारी सरकार भी टूट गयी, लेकिन हमने उसकी चिन्ता नहीं की । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से शासन को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी का कसूर नहीं है । वाकई यह इतना बड़ा सूबा है कि यह किसी से भी सही तरीके से इन्तजाम हो ही नहीं सकता । इसलिए इसको तकसीम करायें । वैसे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने थोड़ी सी नैतिकता की जिम्मेदारी दिखाई, त्याग-पत्र दे देने की लेकिन मैं समझता हूं कि मरदानगी का और करेज का तकाजा था और वसूलना अपना त्याग-पत्र यहां के गवर्नर को देते या इस सदन में एलान करते । लेकिन उन्होंने ऐसा न करके दिल्ली के जनानखाने में जाकर इसको रखा ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह सामान्य प्रशासन पर चर्चा कल भी चलेगी ।

श्री मोहन सिंह--

तो इसके लिए हम लोगों को भी कल मौका मिलेगा, अवसर दिया जायेगा, बोलने का ?

श्री उपाध्यक्ष--

यदि आप बोलना चाहेंगे तो अवश्य अवसर दिया जायेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री मोहन सिंह--

दफा 51

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में 7 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिसमें से श्री धर्मसिंह जी की जो देहरादून में शराब के ठेकों को चालू किये जाने के स्वरूप हुयी हत्याओं एवं मौतों के सम्बन्ध में थी, इसे स्वीकार किया गया और बाकी सभी सूचनायें अस्वीकार हुयीं ।

नौतनवां बाजार गोरखपुर में पुलिस आतंक द्वारा पैदा भयावह स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-9-80 को 8-30 बजे शाम मोहल्ला मुन्डो कस्बा नौतनवां में 3 व्यक्ति अलगू नामक एक व्यक्ति के घर में चोरी करते हुए पकड़े गये। चोरों के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। श्री अलगू व अन्य का यह कहना था कि चोरी की घटना में थाना नौतनवां का कान्स्टेबिल रनजीत यादव भी सम्मिलित था। इस मामले की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नौतनवां घटना स्थल की ओर चले जिन्हें एक जनसमूह ने जयहिन्द सिनेमा के पास रोक कर कान्स्टेबिल रनजीत यादव की गिरफ्तारी एवं निलम्बन का आश्वासन मांगा। इसी बीच वहां एक पुलिस दल, जिसमें सर्वश्री श्रीराम यादव एवं उमाकांत यादव सिपाही, मस्कट लिये थे, पहुंचे जिस पर भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस कर्मियों की ओर आक्रामक हो उठी। कान्स्टेबिल श्री श्रीराम यादव की मस्कट श्री सुदामा वर्मा नामक एक व्यक्ति द्वारा छीन ली गई जो बाद में कतिपय स्थानीय व्यक्तियों की मध्यस्थता पर वापस मिली।

2—इस सम्बन्ध में श्री अलगू ने मुकदमा अपराध संख्या 236/80 अन्तर्गत धारा 458 भा0 द0 वि0 5 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया है जिसमें उसने तीन पकड़े गये व्यक्तियों के अतिरिक्त कान्स्टेबिल रनजीत यादव को भी नामांकित किया है। कर्मचारियों की मस्कट छीनने, मारपीट करने इत्यादि के सम्बन्ध में हेड कान्स्टेबिल सत्रजीत सिंह के द्वारा थाना नौतनवां पर अभियोग अपराध सं0 236 बी अन्तर्गत धारा 147/395/342/332/353/186 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया। इसके अतिरिक्त अपराध संख्या 236/80 में नामित अभियुक्त राजू पुत्र भगेलू ने भी 6 व्यक्तियों के विरुद्ध इस आशय की सूचना दी कि वे उसे घर से पकड़ कर ले गये, उसकी घड़ी छीन ली तथा उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया। इस सूचना पर अपराध संख्या 236-ए/80 अन्तर्गत धारा 394/342/323 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया है।

3—इस समस्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, क्या मेरी इस बात पर माननीय मुख्य मंत्री जी यह विश्वास करेंगे कि आज भी सैकड़ों संभ्रान्त नागरिक नौतनवां से, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं और विभिन्न दलों के वहां के कार्यकर्ता, महिलायें और बच्चे नौतनवां बाजार और गोरखपुर में जान बचा रहे हैं। मान्यवर, 19-8-80 को 8-30 बजे अलगू के घर में चोरी हो रही थी ताला तोड़कर, अलगू काम पर गया हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

जब वह लौटा तो ताला टूटा हुआ था और चोर आहट पाकर भागने लगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सब वक्तव्य में है ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, थोड़ी ही देर में वहां 5, 6 हजार की भीड़ इक्ठ्ठा हो गई चोरी में से राजू पकड़ा गया, रंजीत यादव भाग रहा था, जो सिपाही कट्टे से फायर किया, पूरी भीड़ थाने की तरफ गई उधर से दरोगा जी दो कांस्टेबिल को लेकर पहुंचे । दरोगा जी हर राजनीतिक पार्टियों के लोगों को अपमानित करते हैं वह कुर्सी पर अकेले बैठते हैं और मेज पर पैर रखते हैं जब कोई जाता है तो कहते हैं किस लिये आये हो । जब हिटलर जनतंत्र को नहीं रौंद सका तो एक दरोगा जनतंत्र को रौंदने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं ...।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, वक्तव्य में इस सन्दर्भ की कोई बात नहीं है यह चर्चा हो रही है या प्रश्न किया जायेगा मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कई बार टोक चुका हूं । यह चर्चा नहीं है । तिवारी जी सन्दर्भ में काफी कह चुके हैं, प्रश्न पूछिये ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

इन बातों को विश्वास करके माननीय मुख्य मंत्री जी मैं चाहता हूं कि उस दिन अलगू का मुकदमा कायम नहीं हुआ दूसरे दिन पुलिस अधिकारी आये तो मुकदमा कायम हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको प्रश्न करने को इजाजत नहीं देता आपके दिमाग में प्रश्न नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं 2, 3 तथ्यों के सम्बन्ध में । एक जिस दिन की घटना है उस दिन मुकदमा नहीं दर्ज हुआ यह सत्य है दूसरे दिन सी० ओ० गये तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई तीसरी जिस अलगू के घर में चोरी हुई थी ताला तोड़कर, रंजीत यादव नाम का जो सिपाही चोरी में साथ था जो चोर पकड़ा गया है, जो चोरी में था उससे एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई सुदामा वर्मा और जगन्नाथ त्रिपाठी भी थे और इसके विरोध में 2 तारीख को गोरखपुर डिस्ट्रिक्स मैजिस्ट्रेट के समक्ष यह हुआ तो यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सारी साजिशों में वहां के दरोगा की जिम्मेदारी है और उसको हटाकर ही निष्पक्ष जांच हो सकती है । तो क्या थानेदार, नौतनवा को हटाने के बाद जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो घटना घटी उसके सम्बन्ध में तिवारी जी ने, जितना स्टेटमेन्ट है, वही बताया और जो रिपोर्ट की बात कही कि हम अपने घर के पास खड़े हुए थे पुरानी दुश्मनी के कारण पकडवा दिया। यह मामला हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है इसीलिए इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवायी जा रही है। यह भी बात कि जो दरोगा हैं, उनकी तरफ कुछ पोलिटिकल लीडर भी हैं, इसलिए मैंनें आखीर में कहा है कि इसको सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द कर दिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि शासन की तरफ से किसी तरह की रियायत नहीं बरती जायेगी, जो भी मुजरिम पाया जायेगा, सजा दी जायेगी।

श्री मोहन सिंह--

अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करायी जायेगी, बयान में भी कहा, तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, विरोधी हैं, इसलिए सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जा रही है। मान्यवर, यह सर्वमान्य तथ्य है कि जिसके विरुद्ध जांच हो रही है उसके रहते जांच प्रभावित होने की सम्भावना है। इसलिए यह जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हेतु उन सम्बन्धित कर्मचारियों के स्थानान्तरण का आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

केवल इसी बात पर कि किसी के खिलाफ कोई बात कही जाये, फौरन स्थानान्तरण कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि वह प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा और जैसा मोहन सिंह जी ने कहा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसे फौरन हटा दिया जायेगा।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, प्राइमाफेशाई में बेस बना इसी वजह से उसे सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया। तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि जब जांच सौंप दी गई तो स्थानान्तरण में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

आश्वासन तो मैं दे सकता हूं लेकिन सरकार ने प्राइमाफेशाई में बेस पाया है, व्यक्तियों को नहीं। जब व्यक्तियों को पाया जायेगा, उनको हटा दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

स्थिति की गम्भीरता का अहसास मन्त्री जी लखनऊ में बैठ कर नहीं कर पा रहे हैं। पूरा शहर साम्प्रदायिक अग्नि में जला जा रहा है। रामायण और सत्यार्थ प्रकाश कश्मीर में जब्त हो रही है। गोरखपुर के अलावा किसी जिले में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। वहां प्रदर्शन कराया जा रहा है। एक दरोगा के खिलाफ पहले से रिपोर्ट मौजूद है। सबसे बडी बात यह है कि जिला पत्रकार संघ ने उस दरोगा के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के यहां प्रदर्शन भी किया। सम्भवतः मंत्री जी अहसास कर लेंगे कि मामला कितना गम्भीर है। तनाव तो है ही, वह तनाव किसी समय भी सामने आ सकता है। यह हमारे लिए कलंक की बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न कीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रश्न ही कर रहा हूं । न केवल विरोध पक्ष, जनता (जे0 पी0), लोकदल, भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस (आई) के जिम्मेदार लोगों ने बयान किया है, यूथ कांग्रेस (आई) के लोगों ने बयान किया है, सारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने बयान दिया कि तत्काल थानाध्यक्ष को हटाना आवश्यक है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि थानाध्यक्ष को तुरन्त हटायेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

ओझा जी ने जिन तथ्यों की तरफ इशारा किया उनकी जांच कराते हुए यदि उचित हुआ तो हटा दिया जायेगा ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी अलग् और अन्य नागरिकों, पत्रकारों पर जो मुकदमा कायम है वह मुकदमा उठाने की कृपा करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

ऐसा करने से दूसरों को बढ़ावा मिल सकता है । अभी तो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने शंडो का रिवाल्वर छीने जाने की शिकायत की । तब दूसरी शिकायत लायेंगे । यह विचाराधीन नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य जैसा है उसमें थोड़ा छिपाया गया है । हकीकत यह है कि तीन चोरों को अन्दर पकड़ा गया । कानेस्टबुल रिवाल्वर दिखाकर भाग गया । वहीं पर पहचाना गया । तीनों चोरों को जनता पकड़कर थाने ले गयी उनको बन्द कराने के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह प्रश्न पूंछ रहे हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या अलग् की जो रिपोर्ट धारा 458 के अन्तर्गत दर्ज हुई है उसको 395 में कनवर्ट किया गया है । कनवर्ट हुई है मेरी जानकारी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय देहलवी जी ने पूरी स्थिति ऐसी बयान की जैसे वह। खुद चश्मदीद थे । स्वयं देख रहे हों । जहां तक रिपोर्ट की बात हमारे अधिकार में नहीं है । जो तथ्य लाये गये हैं तोड़-मरोड़ के सवाल नहीं है ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 531

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980‡

(5 बजकर 35 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र सिंह अग्निहोत्री अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 का अननुमोदन करता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रवर समिति का प्रस्ताव तो मेरा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, चूंकि आपका नाम अमेन्डमेन्ट में नहीं है, इसलिये आप बोल लीजिए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, शायद इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि जब दोनों सदन चल रहे हों तो इस तरह के अध्यादेश की बात न हो लेकिन पता नहीं किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक सदन को रोककर अध्यादेश के जरिये यह नगरपालिका के चुनाव की तिथि को जो बढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में गलत परम्परा होगी क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय अपने विभाग की शपथ लेने के पूर्व कई बार सुझाव में, कई बार प्रेस सम्मेलनों में और इस सदन में भी यह घोषणा कर चुके हैं कि नगरपालिकाओं के चुनाव 6 महीने के अंदर या जनवरी के पूर्व करा देंगे और, मान्यवर, माननीय मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्यों से भी इस बात को चर्चा में कहा कि नगरपालिकाओं की जो हालत है, बहुत खराब है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय स्वयं इस बात को जानते हैं (क्योंकि वह स्वयं एक नगरपालिका के निवासी हैं) कि नगरपालिकाओं का सारा कामकाज ठप हो गया है । न कहीं पर सफाई की व्यवस्था है । और न दूसरी व्यवस्थायें चल रही हैं । जो कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया है, वह तीन महीनों से उठाया नहीं जा रहा है । प्रकाश की जो जिम्मेदारी है, अधिकारीगण उस जिम्मेदारी को छोड़ कर बैठ गये हैं और नगरपालिकाओं के माध्यम से जो भी आमदनी है, वह शायद नगरपालिकाओं के कामों में न खर्च करके प्रशासक उसका अपव्यय कर रहे हैं । पता नहीं उसको किस कोष में जमा किया जा रहा है । मुझे ऐसी शंका है और मैं माननीय

‡दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

मन्त्री जी से स्पष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो शंका पैदा हो गयी है कि यह जो नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं कराया जा रहा है उसका क्या कारण है और क्या भविष्य में चुनाव होंगे कि नहीं और आज जो प्रशासकों के द्वारा भ्रष्टाचार नगरपालिकाओं में व्याप्त हो गया है, क्या उसी कारण से अध्यादेश के जरिये से चुनाव को बढ़ाया जा रहा है ? इसलिये माननीय मंत्री जी का आशय क्या है ? अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह इस अध्यादेश को वापस लें और जो चुनाव को कराने की घोषणा जनता की अदालत में, चुनावों की सभाओं में कर चुके हैं, नगरपालिकाओं के चुनावों को एक निश्चित समय में और एक समय पर करायेंगे और वह समय दिसम्बर 1, दे भी दिया है। चुनाव कार्यालयों में सूचना भी प्राप्त हो गयी और जो 18 साल के मतदाताओं की सूची की बात है, वह भी चुनाव कार्यालयों में तैयार हो गयी है। फिर उसको न कराने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। यह बात सही है कि आप कानून के माध्यम से अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। अगर सही रूप में विचार करना है, तो यह अध्यादेश की परम्परा बहुत खतरनाक परम्परा है। मान्यवर, इस समय दोनों सदन चल रहे हैं। इसलिये इस पर पुनः विचार होना चाहिये और खुली चर्चा होनी चाहिये। इसी के लिये सदन चलाया जाता है और इसी के लिये प्रतिनिधि लोग चुनकर आते हैं। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली। इस आवश्यकता को एक किनारे में रखकर जो इसको इस तरह से किया जा रहा है, वह बहुत गलत है। नगरपालिकाओं में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, आज जो नगरपालिकाओं का काम ठप हो गया है, जो जनता की सम्पत्ति है, जो एक व्यक्तिगत धरोहर बनती जा रही है, उस पर, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी सदन में चर्चा करायें और जो सदन निश्चित करे, उसको स्वीकार करें और जो दिसम्बर के लिये एक बार सदन में माननीय मन्त्री जी चुनाव कराने को कह चुके हैं, उस निश्चित तिथि पर नगरपालिकाओं के चुनाव की घोषणा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा, हालात खराब हैं, म्युनिसिपैलिटी में जितनी बातें उन्होंने कहीं, उसके बारे में हम लोग बजट के वक्त सभी कर चुके। उस वक्त भी साफ कर दिया गया था। जहां तक आपका ऐतराज है कि इस तरह से अध्यादेश न लाना था, वह मैंने बताया कि मजबूरी थी। 30 सितम्बर को समय खत्म हो रहा था और 30 सितम्बर तक काउन्सिल बैठने जा नहीं रही थी। 19 से स्थगित होकर 3 को बैठने वाली थी। इस वजह से मजबूरन पेश किया गया। मैंने आपसे क्षमा मांगी थी कि आप ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए इसको क्षमादान दें। इसीलिए आपके सम्मुख है। किसी तरह की और कोई मंशा छिपी नहीं

है । यह परिस्थितियां न होती तो यह आपके सामने न होता । इसमें ज्यादा समय नष्ट न करके इसकी तारीख बढ़ा दें। हमारी पूरी कोशिश ह कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएं । लेकिन परिस्थितियों के बश हम लोगों को ऐसी बात सुनने का इतफाक से मौका भुगतना पड़ा जो हम नहीं चाहते लेकिन जो हालात हैं आपसे छिपे नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, अभी जो सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही थी मैंने सरकार पर आरोप लगाया था कि यह सरकार अकर्मण्यता और इनडेसिसिवनेस की शिकार है। वह इस विधेयक से पुष्टि हो जाती ह । माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चाहे कानूनी मुद्दा ठीक ही हो अध्यादेश जारी करने के लिए लेकिन जहां तक औचित्य का सवाल है आप खुद सहमत हैं, आपने सरकार को चेतावनी दी, उसके बारे में आगे कहना नहीं चाहता । सरकार का दिमाग साफ था कि चुनाव बढ़ाना है । विधान मंडल की बैठकें चल रही थीं । उसके बाद सदन की अवमानना करते हुए, परम्पराओं की अवहेलना करते हुए, अध्यादेश लाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इस बिन्दु को साफ कर दिया था कि सदन के अवमान का कोई प्रश्न नहीं है । हां, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने अवमान की बात कही इसे मैंने उसी दिन साफ कर दिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह विधेयक जो प्रिंट हुआ, यह मंत्रिमंडल में गया, उस समय इनकी मंशा अध्यादेश लाने की नहीं थी । लेकिन बाद में न जाने क्या प्रेशर पड़ा, और अध्यादेश ले आए जो विधेयक आज प्रस्तुत है । इसमें सरकारी पक्ष की ओर से माननीय पंचानन राय और जेतली साहब का संशोधन है । सरकारी संशोधन हैं। उनके माध्यम से अध्यादेश का निरसन लाया गया है । दूसरी नीयत यह है कि जिस समय सरकार ने प्रिंट किया था उस समय 31 जून, 1981 तक बढ़ाने का प्राविधान था। लेकिन आज जब चर्चा की बात की जा रही है तो 6 महीने का समय और बढ़ाए जाने का संशोधन लाया गया हैं । कह रहे हैं कि 30 सितम्बर, 1980 की जगह पर 31 जून, 81 कर दिया जाय ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, जून, 30 का होता है यह 31 दिनों का कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर, 6 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है । इससे यह बात साफ है कि सरकार का इरादा नगर पालिकाओं के चुनाव अनन्त काल तक न

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

कराने का है । संशोधन लाकर 6 महीने का समय और सरकार बढ़ा रही है । मान्यवर, बात साफ होनी चाहिए, अगर चुनाव नहीं कराने हैं तो साफ-साफ कह दें । मैं तो यह मानकर चलता हूं कि इस पार्टी का विश्वास जनतांत्रिक संस्थाओं में नहीं है । यह तो तानाशाही परम्पराओं को कायम रखना चाहती है । अगर सरकार के पास साहस है, विश्वास करने का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस आशय का आश्वासन देगी कि कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं आयेगी जिससे नगर पालिकाओं के चुनाव आगे बढ़ाना पड़े । इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है । सलाहकार समितियां नियुक्त होनी हैं, जुलाई, अगस्त में जिस समय ट्रान्सफर्स का सहालग होता है चारों तरफ सचिवालय में गैलरियों में भीड़ ही भीड़ होती है, उसी तरह से आज सचिवालय की गैलरियों में आपके वर्कर्स भरे पड़े हैं, कहते हैं कि हमको चेयरमैन बना दो । मैं नगरपालिका की जमीनों के बारे में कहना चाहता हूं, एक मामले को छोड़-कर जिसमें दो मस्जिदों का मामला था, एक भी आदमी को नगरपालिका की जमीन आवंटित नहीं की गयी है । लेकिन आज आपकी सरकार में, अम्मार रिजवी साहब बैठे हैं, पता लगा लीजिए चालीस से ऊपर प्रस्ताव नगरपालिका की जमीनों को बांटने के लिए आपके कार्यालय में आ गए हैं । जब सलाहकार समितियां बन जायेंगी तो क्या यह सब जमीनें देंगे ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि चुनाव न होने से क्या नुकसान हो रहा है । चुनाव में जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जीतकर आयेंगे । उनको अपने नगर में अपने मतदाताओं के सामने जवाब देना होगा इसलिए वह काम ठीक करेंगे । मैं अपने नगर की बात कहना चाहता हूं वहां पर नगरपालिका की जो अव्यवस्था है वह अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर है । चारों तरफ कूड़ा भरा है, बिजली का, प्रकाश का अभाव है । 35-40 ऐसी लाइनें हैं जहां लाइन जाने की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन कोई भी न स्टीमेट जमा करने वाला है न परसू करने वाला है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, सदन में कही है, मंत्रिगण से मिलने पर व्यक्तिगत रूप से कहा है कि जल निगम द्वारा पूरा शहर खोद दिया गया है । मान्यवर, मेरा कहना है कि जहां पर पाइप डालना है वहां पाइप डालकर पक्का कर दीजिए । हमारे यहां 2 लोगों की मृत्यु गड्ढों में गिर जाने के कारण हो चुकी है । मैंने नियम 301 में भी इस बात को उठाया था मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन मंत्री जी का वह आश्वासन कहां गया । आज ही समाचार निकला है कि एक आदमी तीन दिन पहले मर गया है । दो आदमी पिछले महीने मर चुके हैं । यह हालत है नगरपालिकाओं की इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज पर ध्यान दिया जाय । वहां जलकर का एसेसमेन्ट हो रहा है । मेरी मांग है कि जब तक जनप्रतिनिधियों का चुनाव न हो जाय तब तक एसेसमेन्ट का कार्यवाही को रुकवा दीजिए । सलाहकार समितियों द्वारा एसेसमेन्ट की कार्यवाही होगी तो जो गरीब लोग हैं तथाकथित न्याय की वेदी पर मारे जायेंगे । मान्यवर, मैं आगरे गया था । वहां सब्जी मंडी के लोग मुझसे मिले । उन्होंने बताया कि वहां कुछ छोटे-छोटे चबूतरों पर लोग सब्जी लगाकर बैठते हैं । उनको एक झब्बा या डलिया रखने की जगह मिलती है जिसका किराया आजकल 24 रुपए महीना लेते हैं, यह किराया पहले 6 रुपए था, बाद में 9 रुपए, फिर 12 रुपए और आज 24 रुपए हो गया है जबकि 144 स्क्वायर फीट के पक्के चबूतरे का जिसमें शेड पड़ा है, शटर लगा है उसका किराया 21 रुपए महीने है ।

इसके अलावा मान्यवर, वहां बड़ी गन्दगी है । सीवर लाइन जा रही थी लेकिन सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य का पीछे मकान है जिससे सत्ता

रूढ़ दल का दबाव डालकर सीवर लाइन नहीं मिलाई जा रही है जिससे वहां चारों तरफ गन्दगी है ।

इसलिए मान्यवर, यह कारण होते हुए यदि कर्मचारियों के हाथों में नगर-पालिकायें सौंप दी जाती हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं है चूंकि उनके पास और काम हैं । इसलिए प्रशासन के हित में, नगर में रहने वाली के हित में, मैं बल देता हूं कि चुनाव जल्दी करायें और तारीख न बढ़ायें ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त की तकरीर सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो काम वह तीन साल में नहीं कर पाए उसको वह हमारे बूढ़े मंत्री जी से कैसे सोच सकते है कि तीन महीने में कर लेंगे । वर्ष 1978 में उन्होंने संशोधन पास कराए । पावर में आकर इन्होंने क्या किया । नगरपालिकाएं काम कर रही थीं, चुने हुए विधि द्वारा नगरपालिकाएं और ब्लाक कमेटियां हमारी काम कर रही थीं और जैसे ही वह पावर में आए, जनतन्त्र का नारा लगाया, मोरार जी देसाई और जय प्रकाश नारायण ने नारा दिया कि दूसरी आजादी ले आयेंगे और आते-आते नगरपालिकाओं और स्वायत्त सेवी संस्थाओं पर इन्होंने कुठाराघात किया और नगरपालिकाओं और ब्लाक कमेटियों को समाप्त किया । तीन वर्ष तक सोचते रहे कि कैसे चुनाव करायें । 1978 में संशोधन पास करया कि 30 सितम्बर, 1980 तक चुनाव करा देंगे । इन्होंने पहले नियम बनाया कि डाइरेक्ट चुनाव कराये जायेंगे लेकिन बाद में तय किया कि तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाय और जनता पार्टी के लोग आ जाय इसलिये फिर बदला गया । इस तरह यह तीन साल में कोई निर्णय नहीं कर पाये । मान्यवर, हमारी मंशा चुनाव कराने की है और मन्त्री जी ने जैसा कहा है कि 30 सितम्बर का समय संभव नहीं था, इसलिये कहा है कि 30 जून, 1981 तक का समय दे दिया जाय लेकिन इसमें मेरी राय है कि जब तक चुनाव नहीं कराते हैं तब तक पुरानी जो कमेटी थीं उनको पावर में लायें चाहे प्राविधान कर दें कि सरकार द्वारा जो चुनकर आये थे जो काम जनता पार्टी के पहले कर रहे थे वह तब तक काम करेंगे जब तक कि चुनाव न हो जाय ।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, हमारे बुजुर्ग मन्त्री एक नया अध्यादेश लाये नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के संबन्ध में । सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने मुख्य मन्त्री जी को कि उन्होंने इस बुजुर्ग को छांटा बलि का बकरा बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठा कर देख लीजिए जनतन्त्र को खत्म करने वालों का अंजाम क्या हुआ है । 1952 से 1980 तक कोई भी स्वायत्त शासन मन्त्री इस सदन के अंदर पुनः नहीं आया । मेरा दावा है । मान्यवर, यह सरकार तो जनता का विश्वास खो चुकी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज यह सरकार चुनाव कराने से भागती नहीं । ठीक है चन्द लोगों की रोजी रोटी के लिए, अपने दल के लोगों को खुश करने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के स्थान पर उसे बढ़ावा देने के लिए, आप कमेटियां, मनोनीत करना चाहते हैं । मान्यवर, नगरपालिकाओं के चुनाव शहरी क्षेत्र के चुनाव होते हैं जहां विशेष साधनों की भी आवश्यकता नहीं होती । वोटर लिस्ट बन चुकी है । सिर्फ चुनाव की घोषणा बाकी थी । हमारे सदस्य काशी नाथ मिश्र वरिष्ठ सदस्य हैं शायद उनकी जानकारी

[श्री धरम पाल--]

नहीं है । 18 वर्ष से अलीगढ़ की नगरपालिका भंग है । ऐसे ही 15-20 वर्ष से मुरादाबाद की नगर पालिका भंग है, 9 वर्ष से हरिद्वार की, 8 वर्ष से बहराइच की, 8 वर्ष से सीतापुर की, माननीय मिश्र जी को पूरी जानकारी नहीं है प्रदेश की । ठीक है, हमने तो गलती की हमारी सरकार ने गलती की, तीन साल में चुनाव नहीं कराये, नतीजा भुगत रहे हैं...।

एक सदस्य--

मान्यवर, समय हो गया...।

श्री धरमपाल--

नगरपालिका प्रजातन्त्र की सब से पहली इकाई है । हमारे नगरपालिकाओं में प्रजातन्त्र की सही तस्वीर झलकती है । इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, इस प्रजातन्त्र की सब से पहली इकाई की, आज मन्त्री जी अपना बिरादरी के साथ, कुचल रहे हैं, जनता के अरमानों को कुचल रहे हैं और सौपना चाहते हैं कुछ बेईमान सत्ता के भूखे लोगों को । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर मन्त्री जी को साहस हो तो 1975 तक की जो निर्वाचित नगरपालिकायें हैं उनको फिर से सौंप दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

धरमपाल जी आप अपनी भाषा को संयत रखने का प्रयास करें । आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया ।

(श्री त्रिवेनी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह--

वह बोलना नहीं चाहते...

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने समय हो गया, कहा था...

(श्री त्रिवेनी के खड़े न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

हमने तो मौका दिया, खड़े नहीं हुये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं इस अध्यादेश के विरोध में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे अफसोस है कि काशी नाथ मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ सदस्य भी ऐसे दकियानूसी ढंग से सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं । उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का खेद और अफसोस है कि हम ऐसे सरकार से सम्बद्ध रहे जिसने स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये । दुर्भाग्य है इस देश का कि संवैधानिक और कानूनी तकत न होने की वजह से जितनी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं वे शासन के प्रकोप का भाजन हो जाती हैं । इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश

का नहीं होगा । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह बात.ना चाहता हूं कि हमने ब्लाक डवलपमेंट कमेटियों को भंग नहीं किया था, उनका टर्म पूरा हो गया था, उसे एक्सटेन्ड नहीं किया...

एक सदस्य--

आपके समय में जिन कमेटियों ने टर्म पूरा नहीं किया था, जिन्हें भंग किया गया, उनके तीस नाम बता सकता हूं...।

(श्री त्रिवेनी के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

त्रिवेनी जी, आपको बोलने का मौका दिया गया आप बोले ही नहीं..।

श्री मोहन सिंह--

दूसरी बात महापालिकाओं को भंग करने का काम भी ऐसी सरकार ने किया था जिसमें कृपा नाथ जी सलेदार थे 74 से पहले की सरकार ने। महापालिकाओं को हमारी सरकार ने भंग नहीं किया था। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप स्पर्धा करना चाहते हैं तो अच्छे काम से करिये गन्दे काम से स्पर्धा करने से कठिनाई पड़ती है। आपने निरन्तर आश्वासन दिया इस सदन के अन्दर और बाहर कि नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे। ऐसी नगरपालिकाओं में जहां आज साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं है उनके चुनाव किसी परिस्थिति में टाले जा सकते हैं लेकिन प्रदेश भर में सभी स्थानों के चुनाव टालना उनके साथ अन्याय है। छोटी सी नगरपालिका है देवरिया जिले में गौरीबरहज जहां एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिये 2 लाख रुपये का अनुदान सरकार ने दिया था और 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक मील सड़क पर दो लाख रुपया नहीं खर्च किया जा सका। मैंने सवाल किया तो माननीय मन्त्री जी ने कह दिया अगले मार्च महीने में उस सड़क के बनाये जाने की संभावना है। आज नगरपालिकाओं की हालत इतनी खराब है कि सरकारी अनुदानों को वे ठीक से नहीं खर्च कर पाती हैं। अफसरशाही नियंत्रण में होने के नाते उनकी वित्तीय व्यवस्था खराब है। चुंगी खत्म की गयी, फिर लगा दी गयी। हाउस टैक्स का एसेसमेंट शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ जिससे वे नये संसाधन भी नहीं जुटा पाती हैं और जो शासकीय अनुदान उनको मिल भी रहे हैं उनका भी वे ठीक से उपयोग नहीं कर पा रही हैं। नतीजा यह है कि जो छोटी और बड़ी नगरपालिकायें हैं उनके सारी वित्तीय साधनों को उपयोग अधिकारी अपने हितों में कर रहे हैं और नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के हित मारे जा रहे हैं। अन्त में मेरा यही आग्रह है कि शीघ्रतिशीघ्र जहां हालत ठीक है उन नगरपालिकाओं के चुनाव बिना देर किये हुए कराने की घोषणा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि स्वायत्त शासी संस्थायें जो हैं जिनसे हमारे जनतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं उनकी स्वायत्तता बनी रहनी चाहिये और वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार में रहना चाहिये लेकिन मुझे खेद है कि हमारे साथियों ने जो भूल की है उसका दोषारोपण वह हमारी

[श्री पंचनान--]

सरकार पर कर रहें हैं । जून 77 में प्रदेश में जनता पार्टी का शासन आया था और वह स्वायत्त शासन संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि उसका जनतंत्र पर से विश्वास उठ गया था । जनता ने बहकावे में आ कर उनको सत्ता को चलाने का जो विश्वास दिया था उसको उन्होंने 10 अगस्त, 77 को भंग कर दिया और कोई न कोई बहाना बना कर उन्होंने उस स्वायत्त शासी संस्थाओं का चुनाव नहीं कराया । कभी कहा कि 18 साल मतदान का अधिकार देना है । कभी कहा कि चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव करना है । इस देश की जनता उनको पहचान चुकी थी जिससे इनको विश्वास था दुबारा अवसर मिलने वाला नहीं है, जिससे उन्होंने चुनाव नहीं कराया । मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अधिकारी जगह-जगह मनमानी कर रहे हैं । गोरखपुर का उदाहरण देकर मैं बतलाता हूं कि वहां एक हाई स्कूल चलता है जो 20 साल से कम किराये के मकान में था । मकान मालिकों को इजाजत दे दी गयी कि वह स्कूल गिरा दिया जाय । उस बिल्डिंग में सैकड़ों लड़के पढ़ते हैं जिससे माननीय मन्त्री जी ने आदेश दिया कि उसका गिराना रोक दिया जाय । इस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश वह कर रहे हैं ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं । जिन बातों को ले कर मुझे इसका विरोध करना है वे ऐसी हैं जिनसे माननीय मन्त्री जी भी इन्कार नहीं कर सकते । इस विधेयक का विरोधकरने के लिये मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । लोकल बोर्ड्स का पिछला इतिहास मैं अर्ज करूंगा । 1935 में जब लोकल बोर्ड्स का इलेक्शन हुआ उसके बाद सेकिंड वर्ल्डवार शुरू हो गयी तब भी अंग्रेजी शासन ने उनके चुनाव का टाइम नहीं बढ़ाया । 44 में इलेक्शन करा दिय और उसके बाद दूसरे इलेक्शन 53 में हुए । जबकि आजादी आ गई, हमारा कांस्टीट्यूशन बन रहा था और बहुत सी समस्यायें थीं मगर इलेक्शन को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया था । सन् 1971 में म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हुये थे । 9 साल हो गये और तब से दुबारा न करा सके । इसकी कोई वजह नहीं थी । 30 सितम्बर, 1980 तक इसको मियाद बढ़ाई गई थी और अब इसके जरिये 30 जून, 1981 तक करने जा रहे हैं । आब्जेक्शन एन्ड रीजन्स में कोई वजह नहीं दी गई है कि क्यों आप समय बढ़ा रहे हैं । सिर्फ लिख दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में मुमकिन नहीं है । मैं कहता हूं कि मुमकिन तो कभी नहीं हो पायेगा । आपके इस नामुमकिन को कौन मुमकिन कर पायेगा । मान्यवर, मुझे यह कहना है कि लोकल बाडीज प्रजातंत्र, जम्हूरियत और डिमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है यदि आप पहली सीढ़ी को ही छोड़ देंगे तो आगे कैसे चल पायेंगे । कलेक्टर जो हैं वे जिला प्रशासन के बादशाह बने हुये हैं । बदायूं की म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री जी के घर से 30 मील की दूरी पर पड़ता है । उसकी हालत यह है कि सड़कों में सफाई नहीं होती । कोई म्युनिसिपैलिटी का अधिकारी या इन्सपेक्टर घूमने के लिये नहीं जाता है, घर पर बैठा रहता है, सैनिटरी इन्सपेक्टर कोई काम नहीं करते हैं । इसलिये मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अब चुनावों को मुल्तवी न कराया जाय, उसका कोई औचित्य नहीं है और जल्दी ही इलेक्शन कर लिये जायं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे संशोधन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर आपने जो एक तानाशाह का डंडा चलाया है और प्रदेश के अन्दर चुनाव नहीं हो सके ह और उसके लिये अध्यादेश लाये हैं पुनः एक शब्द में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि नगरपालिका की जो आय है वह जनता के कर्मों में खर्च न करके जो वहां के प्रशासन के कर्मचारी हैं उनकी जेब म जा रही और उससे जो भी थोड़ा बहुत जनतन्त्र की परम्परायें हैं वे भी समाप्त हो रही हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अत्यन्त आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं सिर्फ दो-एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को जानते होंगे कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो पहला मौका था यहां पर कि नगरपालिकाओं को जो मैचिंग ग्रान्ट दी जाती थी कि इतना पैसा वह लगाय वह शर्त खत्म कर दिया कि वह पैसा देते रहेंगे। क्या यह सही है कि उस समय भी उस पैसे का सदुपयोग उसने नहीं किया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में यह सब कुछ नहीं हो पाया और आज जिला प्रशासन बिलकुल निरंकुश हो गया ह। सीतापुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके यहां से निर्देश होते हैं कि वर्षाकाल में जो खतरनाक मकान हैं उनको गिरा दिया जाय। एक सज्जन ने जिला प्रशासन से कहा कि हमारा मकान गिरा दिया जाय ऐसे आदेश हुये हैं। उसके ठीक दूसरे दिन सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग जिलाधिकारी के पास गये और कहा कि यह साहब क्या कर दिया तो आपको ताजुब होगा कि जिलाधिकारी ने यह मकान मालिक को आदेश दे दिया कि इस मकान को ठीक करिये, इसे बनवाइये। तो शासन के निदेश से मकान को गिरा दिया गया कि जिलाधिकारी ने अपने पहले के आदेश को बदल दिया। इस पर मोहल्ले भर के लोगों ने आन्दोलन किया और वह खड़े हो गये जिलाधिकारी ने पुलिस को भेजा और कहा कि मकान को बनाओ। मकान मालिक कहता है कि 30 साल हो गये इस किरायेदार ने किराया नहीं दिया। तो एक बबेला हो गया और कोर्ट ने आदेश दिये तब प्रशासन के आदेशों को रोका गया। इसलिए मैं फिर अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान के नाम पर इन नगरपालिकाओं को प्रशासनिक अधिकारियों के चंगुल से बचा लीजिये और इन्हें जन प्रतिनिधियों को सौंप दीजिये। मैं इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा कि सब निकम्मे हैं लेकिन कहना चाहता हूं कि उनके पास इतना ज्यादा काम है कि वह काम कर नहीं पाते हैं और पावर्स डेलीगेट कर दी गयी हैं।

अन्त में एक वाक्य कह कर खत्म करता हूं कि यहां पर तीस साल की बात कही जाती है वह बहुत पुरानी बात हो गयी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि यह हमने नहीं किया आज आपकी जिम्मेदारी है आप इस बात का आवरण न पहनें, ऐसा कह कर कब तक अपने को छुपायेंगे। जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, हमें प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है हम उसे जिम्मेदारी से निभा रहे हैं।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

इसलिए आप यह कह कर छुटकारा नहीं पा सकते हैं । इसलिए आप इस वाक्य को खत्म करें, इस आर्ग्यूमेन्ट पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और सहयोग दिया । साथ ही साथ में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन से यह शासन इंदिरा कांग्रेस के हाथ में आया और यह काम मुझे सौपा गया मैंने उसी दिन से कोशिश की कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में स्वायत्त शासी संस्थाओं को सौप दिया जाय । जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा तीन साल में जो खराबियां हुई उसकी आड़ में अपनी सफाई न दें तो मैं पूरी तरह से अक्षरशः इस बात से सहमत हूं । जो गलतियां अपने की जनता ने उसको आंका और आप उधर तशरीफ ले गये और हमको इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया । वह जो उनको तकलीफ हुई चाहे आपकी दी हो या तीन महीने में पैदा हुई हों उन सब का उत्तरदायित्व हम पर है । मुझे अफसोस है एक बात का और जिस तरह आप कहते हैं उसमें विरोधाभास ही है, थोड़ा कड़ुआ लगेगा, अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिये । जब हमने कहा और आपने मांग की कि चुने हुए लोगों को स्वयत्तशासी संस्थाओं को सौपा जाय और हमने कोशिश की कि गैर-सरकारी लोगों को इससे सम्बद्ध करें तो माननीय सदस्य इस हद तक गये और क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया । जो लोग यहां बैठे हैं या गैर-सरकारी लोग जो बाहर भी हैं उनके लिए क्यों इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । उनके बारे में बिना उन्हें सम्बद्ध किये ही इस तरह की बात कहना उचित नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है इससे तकलीफ होती है । आप और हम उसी कैटेगिरी में आते हैं । अभी सुपुर्द नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि किस तरह सम्बद्ध करें । गैर-सरकारी लोगों को सम्बद्ध करने से उसमें बेहतरी ही आयेगी जब तक कि हम चुनाव करायें । और जहां तक चुनाव कराने का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मिनट भी ऐसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा इसको कराने में । लेकिन आपको पूरी तरह से मालूम है कि हमारे पास सूची तैयार नहीं थी 18 वर्ष की आयु के हिसाब से और न समय था । मार्च तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि आप करा ही नहीं सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में अब इसको बहुत जल्द से जल्द हम करायेंगे । आपने कहा 31 दिसम्बर को एक तजवीज रख दें कि बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसको आप कैसे कह सकते हैं, कल्पना करके कह सकते हैं क्या । मैं तो पूरी कोशिश इस बात की करूंगा कि हमारी सरकार जागरुक है कि किसी तरह एक मिनट का समय भी बर्बाद न हो, जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराये जाएं । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको वापस लें, इसमें हमारी कोई बदनीयती नहीं है, नीयत पूरी तरह साफ है । हम इसका अंजाम देख चुके हैं और हम यह नहीं चाहते कि हमारा यह दल उधर जाकर बैठे । इसलिए हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर-स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" आये हों उनके स्थान पर अंक और शब्द "30 जून, 1981" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

श्री प्रियदर्शी जेतली--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून," के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, मेरा विरोध नोट कर लिया जाये । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी, क्या आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कोई आपत्ति नहीं है इसको स्वीकार करने में मुझे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग मान लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 3

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980 के स्थान पर अंक और शब्द" "30 जून, 1981" रख दिये जायेंगे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 की दूसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून," के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर," रख दिये जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह संशोधन जो माननीय सदस्य ने अभी प्रस्तुत किया, जनतन्त्रीय भावनाओं का विरोधी है, इसलिये इसका मैं विरोध करता हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करता हूं कि जवाब देते समय यह आश्वासन दे दें कि चूंकि हम लोकतंत्र और समाजवाद को मानते हैं इसलिये दरमियानी असें में वे कोई कमेटी नोमिनेट नहीं करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं पूरी तरह से यह सोच रहा हूं और इसे सही समझता हूं कि किसी न किसी तरह से गैर सरकारी लोगों को इससे सम्बद्ध किया जाय ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री इसमें दलगत आधार पर लोगों को घसीटने की साजिश कर रहे हैं, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसके विरोध में, मैं और मेरे दल के सभी माननीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री मोहन सिंह लोक दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जानबूझ कर यह संशोधन लाया गया जिससे ये अपनी पार्टी के लोगों को इसमें ला सकें और इससे भ्रष्टाचार बढ़े । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसके विरोध में, मैं और मेरे दल के सभी माननीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(राजेन्द्र कुमार गुप्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 की दूसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाये ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 4

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" के स्थान पर, अंक और शब्द "30 जून, 1981" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 की दूसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जायं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 4 की दूसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "30 जून" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड 5

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय :--

"5--(1) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

[श्री पंचानन---]

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

श्री राम सिंह खन्ना –

मान्यवर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड 5 रख दिया जाये---

निरसन और अपवाद

"5---(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतत्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नया खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1–प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 को पुनः संख्यांकित करके, उसे उप खंड (1) बना दिया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (2) जोड़ दिया जाय—

"(2) यह 27 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझा जायेगा ।"

श्री राम सिंह खन्ना—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1 को पुनः संख्यांकित करके, उसे उपखंड (1) बना दिया जाये, और तत्पश्चात् निम्निलिखित नया उपखंड (2) जोड़ दिया जाये—

"(2) यह 27 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझा जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह खन्ना—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अक्तूबर, 1980

पी० एस० यू० पी०—54 वि० सभा—29-9-81—885—(पी० डी०)